ISSN 2278-1633ANTIM JAN

गांधी दर्शन

अंतिम जन

वर्ष-7, अंक: 6, संख्या-56 नवम्बर 2024 मूल्य: ₹20

गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति संग्रहालय

समिति के दो परिसर हैं- गांधी स्मृति और गांधी दर्शन।

गांधी स्मृति, 5, तीस जनवरी मार्ग, नई दिल्ली पर स्थित है। इस भवन में उनके जीवन के अंतिम 144 दिनों से जुड़े दुर्लभ चित्र, जानकारियाँ और मल्टीमीडिया संग्रहालय (Museum) है। जिसमें प्रवेश निःशुल्क है।

दूसरा परिसर गांधी दर्शन राजघाट पर स्थित है। यहाँ 'मेरा जीवन ही मेरा संदेश' प्रदर्शनी, डोम थियेटर और राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र संग्रहालय (Museum) है।

दोनों परिसर के संग्रहालय प्रतिदिन प्रातः 10 से शाम 6:30 तक खुलते हैं।
(सोमवार एवं राजपत्रित अवकाश को छोड़ कर)

गांधी दर्शन
अंतिम जन

वर्ष-7, अंक: 6, संख्या-56
नवम्बर 2024

संरक्षक
विजय गोयल
उपाध्यक्ष, गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति

प्रधान सम्पादक
डॉ. ज्वाला प्रसाद

सम्पादक
प्रवीण दत्त शर्मा
पंकज चौबे

परामर्श
वेदाभ्यास कुंडू
संजीत कुमार

प्रबन्ध सहयोग
शुभांगी गिरधर

आवरण
सीताराम

मूल्य : ₹ 20
वार्षिक सदस्यता : ₹ 200
दो साल : ₹ 400
तीन साल : ₹ 500

गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति
गांधी दर्शन, राजघाट, नई दिल्ली-110002
फोन : 011-23392796
ई-मेल : antimjangsds@gmail.com
2010gsds@gmail.com

गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति, राजघाट, नई दिल्ली-110002, की ओर से मुद्रित एवं प्रकाशित।

लेखकों द्वारा उनकी रचनाओं में प्रस्तुत विचार एवं दृष्टिकोण उनके अपने हैं, गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति, राजघाट, नई दिल्ली के नहीं।
समस्त मामले दिल्ली न्यायालय में ही विचाराधीन।

मुद्रक
पोहोजा प्रिंट सोल्यूशंस प्रा. लि., दिल्ली - 110092

इस अंक में

धरोहर
रामनाम की महिमा – *मोहनदास करमचंद गांधी* 5
भाषण
स्वच्छता से संपन्नता – *श्री नरेंद्र मोदी* 9
चिंतन
समाज धर्म : सामाजिक सद्गुण – *काका साहेब कालेलकर* 14
विशेष
'कहने से करना अच्छा': स्वच्छाग्रही महात्मा गांधी – *सौरव कुमार राय* 23
विमर्श
गांधी और पत्रकारिता – डॉ अंजनी कुमार झा 28
ग्रामीण विकास और गांधी के सपनों का भारत – नृपेन्द्र अभिषेक नृप 31
पर्यावरण
बिहार के बाढ़ में डूबती परम्परागत समझ – कुशाग्र राजेंद्र और नीरज कुमार 37
गांधीजी शाकाहार और वैश्विक तापमान–धीप्रज्ञ द्विवेदी 40
कविता
गंगाधर चाटे की कविताएं 45
कमलेश झा की कविता 48
फोटो में गांधी 49
गांधी क्विज-7 50
बचपन
घोष बाबू का स्कूल – प्रकाश मनु 51
किताब
महात्मा गांधी के जीवन मूल्य – रघु ठाकुर 57
गतिविधियाँ 60

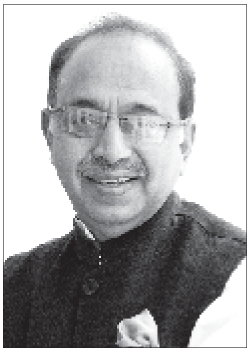

गांधीजी और रामराज्य

दिवाली का पर्व भगवान राम की विजय का प्रतीक है, जिन्होंने बुराई के स्वरूप रावण को पराजित करके रामराज्य की स्थापना की। यह त्योहार हमें रामराज्य के आदर्शों को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। रामराज्य अर्थात एक आदर्श समाज, जहां सत्य, न्याय और समरसता का समावेश होता है।

मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का राज कार्य इतना महान और विलक्षण था कि आज भी लोग रामराज्य का उदाहरण देते हैं। महात्मा गांधी भी राम से अत्याधिक प्रभावित थे। रामायण और गांधी के विचारों में जो मूल बात है वह है–बेहतर दुनिया के निर्माण का सपना। रामराज्य पर उन्होंने बहुत लिखा है और उस पर चिंतन किया है। गांधी जी के लिए रामराज्य का अर्थ ऐसे राज्य से था जहां कोई भेदभाव न हो, सब लोग परस्पर समन्वय की भावना से साथ रहते हों।

25 मई, 1947 को एक साक्षात्कार में महात्मा गांधी ने आर्थिक असमानता को रामराज्य के लिए खतरा बताते हुए कहा था – 'आज आर्थिक असमानता है। समाजवाद की जड़ में आर्थिक असमानता है। थोड़ों को करोड़ और बाकी लोगों को सूखी रोटी भी नहीं, ऐसी भयानक असमानता में रामराज्य का दर्शन करने की आशा कभी न रखी जाए. 1931 में यंग इंडिया में वे लिखते हैं– मैं ऐसे संविधान की रचना करवाने का प्रयत्न करूंगा, जो भारत को हर तरह की गुलामी से मुक्त करे। मैं ऐसे भारत के लिए कोशिश करूंगा, जिसमें गरीब से गरीब भी यह महसूस करेंगे कि यह उनका देश है। ना तो हम किसी का शोषण करेंगे और न किसी के द्वारा अपना शोषण होने देंगे। राम का दर्शन सत्य का दर्शन है, वहीं गांधी जी के दर्शन का मूल केंद्र भी सत्य और अहिंसा है।

आज आवश्यकता है कि हम रामराज्य की संकल्पना को साकार करने के लिए आगे बढ़ें। एक अच्छे नागरिक बनें और देश के विकास में सरकार के साथ मिलकर अपना योगदान दें। हम अपने नागरिक कर्त्तव्यों का निष्ठा से पालन करें । दूसरो के प्रति मानवीयता का भाव रखें।

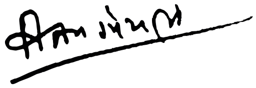

विजय गोयल

महात्मा गांधी से सीखें नैतिकता

महात्मा गांधी का सारा जीवन जनसाधारण के नाम रहा। पहले दक्षिण अफ्रीका में अपने जीवन के करीब 21 साल उन्होंने प्रवासी भारतीयों के हितों की सेवा में लगा दिए। उसके बाद भारत आकार जीवन पर्यन्त देश की सेवा में रत रहे। इस लम्बी लड़ाई के बीच उनके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आये, लेकिन उन्होंने इन सबके बावजूद अपनी नैतिकता की आभा को खोने नहीं दिया। उन्होंने अपने विरोधियों के प्रति व्यक्तिगत द्वेष कभी नहीं रखा। अपनी कार्यसिद्धि के लिए अनैतिक साधन का प्रयोग आजीवन नहीं किया।

बिना लाभ–हानि की चिंता किये गांधीजी ने अपने नैतिक गुणों को बनाए रखा। इस बात की पुष्टि हेतु मैं चंपारण की एक घटना का जिक्र करना चाहूँगा। चम्पारण में नीलहों के खिलाफ गांधीजी आंदोलनरत थे। गांधीजी को वहां नीलहों के विरूद्ध जांच कमेटी का सदस्य बनाया गया था। जांच से सम्बन्धित रिपोर्ट अंग्रेजों द्वारा गांधीजी के पास भेजी गयी। गांधी के एक सहयोगी ने उस रिपोर्ट को पहले ही पढ़ लिया और कुछ लोगों के सामने उस रिपोर्ट को लीक कर दिया। जब गांधी जी को इस बात का पता चला तो वे बहुत नाराज हुए। उनका कहना था कि ब्रिटिश सरकार ने विश्वास और निष्ठा पर ये रिपोर्ट हमें भेजी है। इसे पढ़कर, दूसरों के सामने जाहिर करना विश्वासघात होगा। गांधी के उच्च नैतिक बल का यह एक उदाहरण है कि वो कैसे अपने विरोधी तक का विश्वास और भरोसा नहीं टूटने देते थे।

आज हम अपने अंदर झांक कर देखें कि क्या नैतिकता के इस पैमाने पर हम टिक पाते हैं? नैतिकता केवल कहने, समझने और सुनने की शब्दावली नहीं है, यह व्यक्ति के चरित्र का एक पैमाना है, जिसके आधार पर इतिहास आपका–हमारा मूल्यांकन करता है और करता रहेगा। आइए हम संकल्प लें कि हम अपने नैतिक बल को मजबूत करेंगे और चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, अनैतिक कार्यो से बचकर रहेंगे।

अंतिम जन के इस अंक में नए–पुराने अनेक प्रतिष्ठित लेखकों के आलेख संकलित हैं। प्रधानमंत्री जी का 'स्वच्छता ही सेवा' विषय पर भाषण विशेष प्रेरणादायी है। उम्मीद है कि आपको यह अंक पसंद आएगा।

डॉ ज्वाला प्रसाद

आपके ख़त

यह दीप अकेला

यह दीप अकेला स्नेह भरा
है गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो।
यह जन है–गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा?
पनडुब्बा–ये मोती सच्चे फिर कौन कृती लाएगा?

यह समिधा–ऐसी आग हठीला बिरला सुलगाएगा।
यह अद्वितीय–यह मेरा–यह मैं स्वयं विसर्जित–
यह दीप, अकेला, स्नेह भरा
है गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो।

यह मधु है–स्वयं काल की मौना का युग-संचय,
यह गोरस–जीवन–कामधेनु का अमृत–पूत पय,
यह अंकुर–फोड़ धरा को रवि को तकता निर्भय,
यह प्रकृत, स्वयंभू, ब्रह्म, अयुतः
इसको भी शक्ति को दे दो।
यह दीप, अकेला, स्नेह भरा
है गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो।

यह वह विश्वास, नहीं जो अपनी लघुता में भी काँपा,
वह पीड़ा, जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा;
कुत्सा, अपमान, अवज्ञा के धुँधुआते कडुवे तम में
यह सदा–द्रवित, चिर–जागरूक, अनुरक्त–नेत्र,
उल्लम्ब–बाहु, यह चिर–अखंड अपनापा।
जिज्ञासु, प्रबुद्ध, सदा श्रद्धामय, इसको भक्ति को दे दो–
यह दीप, अकेला, स्नेह भरा
है गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो।

अज्ञेय

आओ फिर से दिया जलाएँ

आओ फिर से दिया जलाएँ
भरी दुपहरी में अँधियारा
सूरज परछाई से हारा
अंतरतम का नेह निचोड़ें,
बुझी हुई बाती सुलगाएँ
आओ फिर से दिया जलाएँ
हम पड़ाव को समझे मंजिल
लक्ष्य हुआ आँखों से ओझल
वतर्मान के मोहजाल में
आने वाला कल न भुलाएँ
आओ फिर से दिया जलाएँ
आहुति बाकी यज्ञ अधूरा
अपनों के विघ्नों ने घेरा
अंतिम जय का वज्र बनाने
नव दधीचि हड्डियाँ गलाएँ
आओ फिर से दिया जलाएँ ।

अटल बिहारी वाजपेयी

आप भी पत्र लिखें। सर्वश्रेष्ठ पत्र को पुरस्कृत कर, उपहार दिया जाएगा।

रामनाम की महिमा

मोहनदास करमचंद गांधी

एक भाई पूछते हैं:

आपने एक बार काठियावाड़ में भाषण देते हुए कहा था, मैं जो तीन बहनों के साथ पापमें लिप्त होने से बचा सो केवल रामनाम के बल पर ही। इस बारे में 'सौराष्ट्र' पत्र ने कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जो समझमें नहीं आतीं। इसका अधिक खुलासा करेंगे तो कृपा होगी।

इस पत्र के लेखक से मेरा परिचय नहीं है। जब मैं बम्बई से रवाना हुआ था तब उन्होंने यह पत्र अपने भाई के हाथ मेरे पास भेजा था। उससे उनकी तीव्र जिज्ञासा व्यक्त होती है। ऐसे प्रश्नों की चर्चा आमतौर पर सार्वजनिक रूप से नहीं की जा सकती। यदि सर्वसाधारण जन मनुष्य के खानगी जीवन में गहरे पैठने का रिवाज डालें तो यह स्पष्ट है कि उसका परिणाम बुरा हुए बिना न रहेगा।

परन्तु मैं इस उचित अथवा अनुचित जिज्ञासा से नहीं बच सकता। मुझे इससे बचने का अधिकार नहीं है और ऐसी मेरी इच्छा भी नहीं है। मेरा निजी जीवन सार्वजनिक हो गया है। दुनिया में मेरे लिए एक भी ऐसी बात नहीं है जिसे मैं निजी बनाकर रखूं। मेरे प्रयोग आध्यात्मिक हैं। उनमें से कुछ नये हैं। इन प्रयोगों का आधार बहुत कुछ आत्म-निरीक्षण है। मैंने 'यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्ड' की उक्ति के अनुसार प्रयोग किये हैं। इनके पीछे मेरी यह मान्यता है कि जो बात मेरे विषय में सम्भव है वह दूसरों के विषय में भी सम्भव होगी। इसलिए मुझे कुछ गुह्य प्रश्नों के उत्तर देने की भी जरूरत पड़ जाती है।

फिर मुझे पूर्वोक्त प्रश्न का उत्तर देते हुए रामनाम की महिमा बताने का अवसर भी अनायास ही मिलता है। उसे मैं हाथसे कैसे जाने दे सकता हूँ?

किन्तु इस प्रश्नकर्त्ता से। और जो अन्य लोग बाद में प्रश्न करें उनसे भी मुझे यह कह देना जरूरी है कि यदि वे किसी अखबार के आधार पर कोई प्रश्न पूछें तो वे उस अखबार को मेरे पास अवश्य भेजें। मैं कई बार कह चुका हूँ कि मैं अखबार नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे लिए वह सम्भव नहीं है। 'सौराष्ट्र' में क्या लिखा है यह मैं नहीं जानता। मेरे भाषणों की रिपोर्ट लेना मुश्किल होता है। महादेव भाई रिपोर्ट लेते हैं, किन्तु में उसे भी सदा सही नहीं मानता, क्योंकि जहाँ सूक्ष्म अथवा नये विचार व्यक्त किये जाते हैं, वहाँ एक शब्द की भी भूल होने से अनर्थ हो सकता है। अत: जहाँ मेरे

इस पत्र के लेखक से मेरा परिचय नहीं है। जब मैं बम्बई से रवाना हुआ था तब उन्होंने यह पत्र अपने भाई के हाथ मेरे पास भेजा था। उससे उनकी तीव्र जिज्ञासा व्यक्त होती है। ऐसे प्रश्नों की चर्चा आमतौर पर सार्वजनिक रूप से नहीं की जा सकती। यदि सर्वसाधारण जन मनुष्य के खानगी जीवन में गहरे पैठने का रिवाज डालें तो यह स्पष्ट है कि उसका परिणाम बुरा हुए बिना न रहेगा।

विचारों से अपरिचित संवाददाता मेरे भाषणों की रिपोर्ट लेते हैं वहाँ उनकी रिपोर्ट कभी विश्वसनीय नहीं हो सकती। मैंने कई बार कहा है कि पाठक उनको पूरे तौर पर सही मानकर न चलें। जब उन्हें किसी बात पर सन्देह हो तो वे मुझे पत्र लिखकर पूछ लें और साथमें जिस पत्र में मेरा वह भाषण पढ़ा हो मुझे उसका वह अंक भी भेजें।

इस प्रस्तावना के पश्चात, 'सौराष्ट्र' ने क्या लिखा है यह न जानते हुए भी मैं यह बताता हूँ कि मैं किस तरह इन तीनों प्रसंगों में ईश्वर कृपा से बच सका। ये तीनों प्रसंग वर-वधुओं से सम्बन्ध रखते हैं। मुझे इनमें से दो के पास भिन्न-भिन्न अवसरों-पर मेरे मित्र ले गये थे।

पहले अवसर पर मैं मित्र का झूठा लिहाज करके वहाँ पहुँच गया और यदि ईश्वर ने न बचाया होता तो जरूर पतित हो जाता। इस मौके पर मैं जिस वेश्या के कोठे पर ले जाया गया था, उस वेश्या ने ही मुझे तिरस्कृत किया, क्योंकि मैं यह बिलकुल नहीं जानता था कि ऐसे अवसर पर किस तरह, क्या बोलना चाहिए और कैसा व्यवहार करना चाहिए। मैं इससे पहले ऐसी स्त्रियों के पास बैठना तक लज्जा-जनक मानता था; इसलिए मैं इस घर में दाखिल होते समय, भी कांप रहा था।

पहले अवसर पर मैं मित्र का झूठा लिहाज करके वहाँ पहुँच गया और यदि ईश्वर ने न बचाया होता तो जरूर पतित हो जाता। इस मौके पर मैं जिस वेश्या के कोठे पर ले जाया गया था, उस वेश्या ने ही मुझे तिरस्कृत किया, क्योंकि मैं यह बिलकुल नहीं जानता था कि ऐसे अवसर पर किस तरह, क्या बोलना चाहिए और कैसा व्यवहार करना चाहिए। मैं इससे पहले ऐसी स्त्रियों के पास बैठना तक लज्जा-जनक मानता था; इसलिए मैं इस घर में दाखिल होते समय, भी कांप रहा था। भीतर पहुँचने पर उसके मुंह की ओर भी न देख सका, अत: मुझे पता नहीं कि उसकी मुखाकृति कैसी थी। ऐसे मूढ़ को वह चपला निकाल बाहर न करती तो और क्या करती ? अत: उसने तो मुझे दो-चार खरी-खोटी सुनाकर चलता किया। मैं उस समय तो यह न समझ सका कि मुझे ईश्वर ने बचाया है। मैं खिन्न होकर वहाँ से चला आया। मैं शर्मिन्दा हुआ और अपनी मूढ़ता पर दु:खी भी हुआ। मुझे ऐसा लगा मानो मुझमें पौरुष ही नहीं है। मैं पीछे यह समझ सका कि मेरी मूढ़ता ही मेरी ढाल थी। ईश्वर ने मुझे मूढ़ बनाकर उबार लिया, नहीं तो मैं बुरा काम करने-के विचार से इस पाप के आवास में जाकर पतित होने से कैसे बच सकता था ?

दूसरा प्रसंग इससे भी भयंकर था। इस बार मेरा मन जैसा विकाररहित पहले अवसर पर था वैसा विकाररहित न था, हालांकि मैं जागरूक अधिक था। फिर मेरी पूज्य माताजी के सामने की हुई प्रतिज्ञा की ढाल भी मेरे पास थी। परन्तु मैं इस अवसर पर इंग्लैंड में था। तब मैं पूर्ण युवक था। हम दो मित्र एक ही घर में रहते थे और कुछ दिनों के लिए ही उस शहर में गये थे। मकान मालिकिन वेश्या-जैसी ही थी। हम दोनों उसके साथ ताश खेलने बैठे। मैं उन दिनों विशेष प्रसंग आने पर ताश खेल लेता था। इंग्लैंड में मां-बेटा भी निर्दोष-भाव से ताश खेल सकते हैं और खेलते है। उस समय भी हम इसी तरह ताश खेलने बैठे थे। आरम्भ तो बिलकुल निर्दोष था। मुझे यह पता नहीं था कि मकान मालकिन वेश्यावृत्ति से आजीविका कमाती है। पर ज्यों-ज्यों खेल जमने लगा त्यों-त्यों रंग भी बदलने लगा। उस स्त्री ने कटाक्ष आदि शुरू किये । मैं अपने मित्रको ध्यान से देख रहा था। उन्होंने मर्यादा छोड़ दी थी। मैं ललचा गया। मेरे चेहरे का रंग बदल गया। और उस पर काम-विकार उभर आया। मैं अधीर हो उठा था।

पर जिसे राम बचाता है, उसे कौन मार सकता है? उस समय मेरे मुख में तो राम न था, पर मेरे हृदय में अवश्य था। मेरे मुख में तो वासना को भड़काने वाली भाषा थी। मेरे इस भले मित्रने मेरा रंग-ढंग देखा। हम एक-दूसरे से अच्छी तरह परिचित थे। उन्हें ऐसे कठिन प्रसंगों की स्मृति थी जब मैं अपने संकल्पबल से अपवित्र होने से बच सका था। परन्तु इस मित्रने देखा कि इस समय मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। उन्होंने यह समझ लिया कि यदि यही हालत रही और अधिक रात बीती तो मैं भी पतित हुए बिना न रहूँगा।

विषयी मनुष्यों में भी सद्‌वृत्तियाँ होती है। इस बात की अनुभूति मुझे इस मित्र के द्वारा पहले-पहल हुई। मेरी दीन दशा देखकर उन्हें दु:ख हुआ। मैं उनसे उम्र में छोटा था। उनके माध्यम से राम ने मेरी सहायता की। उन्होंने प्रेमबाण छोड़े, 'मोनिया, (मोहनदास का दुलार में बनाया हुआ रूप। मेरे माता, पिता तथा हमारे कुटुम्ब के सबसे बड़े

चचेरे भाई, मुझे इसी नाम से पुकारते थे। इस नाम से पुकारने वाले चौथे ये मित्र थे जो मेरे धर्म-भाई साबित हुए।) सावधान ! मैं तो गिर चुका हूँ, यह बात तू जानता है। परन्तु मैं तुझे नहीं गिरने दूंगा। तू अपनी माँ से की हुई प्रतिज्ञा याद कर। यह काम तेरा नहीं है। तू भाग यहाँ से। जा, सो जा। नहीं जाता ? रख पत्ते!'

मैंने कुछ जवाब दिया या नहीं, यह मुझे याद नहीं पड़ता। मैंने ताश रख दिये। एक क्षण के लिए दु:खी हुआ। मुझे लज्जा आई और मेरी छाती धड़कने लगी; फिर मैं उठ खड़ा हुआ और अपने बिस्तर पर जा लेटा ।

मुझे नींद नहीं आई और मैं रामनाम जपने लगा। मन में कहने लगा, 'कैसा बचा, मुझे किसने बचाया? प्रतिज्ञा को धन्यवाद। माँ को धन्यवाद । मित्र को धन्यवाद । राम को धन्यवाद।' मेरे लिए तो यह चमत्कार ही था। यदि मेरे मित्र ने मुझ पर रामबाण न छोड़ा होता तो मैं आज कहाँ होता ?

राम-वाण वाग्यां रे होय ते जाणे

प्रेम-वाण वाग्यां रे होय ते जाणे?'

मेरे लिए तो यह अवसर ईश्वर के साक्षात्कारका था।

अब यदि मुझे सारा संसार कहे कि ईश्वर नहीं है, राम नहीं है तो मैं उसे झूठा कहूँगा। यदि उस भयंकर रात को मेरा पतन हो गया होता तो आज मैं सत्याग्रह की लड़ाइयाँ न लड़ता होता, अस्पृश्यता के मैल को न धोता होता, चरखे की पवित्र ध्वनि न गुंजारता होता; आज अपने को करोड़ों स्त्रियों के दर्शन कर के पावन होने का अधिकारी न मानता होता और मेरे आसपास लाखों स्त्रियाँ आज उस प्रकार नि:शंक न बैठती होतीं, मानो वे एक बालक के आसपास बैठी हों। मैं उनसे दूर भागता होता और वे भी मुझसे दूर भागती होतीं और यह उचित भी था। मैं अपनी जिदगी का सबसे अधिक भयंकर समय इस प्रसंग को मानता हूँ। मैंने असंयम की ओर जाते हुए संयम सीखा। मुझे राम से विमुख जाते हुए राम के दर्शन हुए। कैसा चमत्कार है यह !

रघुवर तुमको मेरी लाज ! हों तो पतित पुरातन कहिए पार उतारो जहाज !

तीसरा प्रसंग हास्यजनक है'। एक यात्रा में एक जहाज के कप्तान के साथ मेरा अच्छा मेल-जोल हो गया और एक अंग्रेज यात्री के साथ भी। जहाँ-जहाँ जहाज लंगर डालता रहा वहाँ-वहाँ कप्तान और कुछ यात्री वेश्यालय खोजते। कप्तान ने मुझे अपने साथ बन्दरगाह देखने के लिए चलने का न्योता दिया। मैं उसका अर्थ नहीं समझता था। हम एक वेश्या के घर के सामने जाकर खड़े हो गये। तब मैंने समझा कि बन्दरगाह देखने के लिए जाने का अर्थ क्या है। हमारे सामने तीन स्त्रियाँ खड़ी कर दी गई। मैं तो स्तब्ध ही रह गया। शर्म के मारे न कुछ बोल सका और न वहाँ से भाग सका। मुझे स्त्री-संग की इच्छा तो जरा भी न थी। वे दो तो कमरों में दाखिल हो गये । तीसरी स्त्री मुझे अपने कमरे में ले गई। मैं विचार कर ही रहा था कि क्या करूँ; इतने में वे दोनों बाहर आ गये। मैं नहीं कह सकता उस स्त्री ने मेरे सम्बन्ध में क्या ख्याल किया होगा। वह मेरे सामने मुसकरा रही थी। मेरे मन पर उसका कुछ असर न हुआ। हम दोनों की भाषाएँ भिन्न थीं। सो उससे बातचीत करने की तो गुंजाइश थी ही नहीं। जब उन मित्रों ने मुझे पुकारा तो मैं बाहर निकल आया। मैं कुछ शरमाया तो जरूर। उन्होंने अब मुझे इस सम्बन्ध में मूर्ख मान लिया। उन्होंने आपस में मेरी खिल्ली भी उड़ाई। उन्हें मुझ पर तरस तो आया ही। मैं उसी दिन से कप्तान की निगाह में दुनिया के मूर्खों में गिना जाने लगा। उसने मुझे फिर कभी बन्दरगाह देखने के लिए चलने का न्योता नहीं दिया। यदि मैं अधिक समय वहाँ रहता अथवा उस स्त्री की भाषा जानता होता तो मैं नहीं कह सकता, मेरी क्या हालत होती। पर मैंने इतना तो समझ लिया कि मैं उस दिन भी अपने पुरुषार्थ के बल से नहीं बचा था, बल्कि

अब यदि मुझे सारा संसार कहे कि ईश्वर नहीं है, राम नहीं है तो मैं उसे झूठा कहूँगा। यदि उस भयंकर रात को मेरा पतन हो गया होता तो आज मैं सत्या-ग्रहकी लड़ाइयाँ न लड़ता होता, अस्पृश्यता के मैल को न धोता होता, चरखे की पवित्र ध्वनि न गुंजारता होतो; आज अपने को करोड़ों स्त्रियों के दर्शन कर के पावन होने का अधिकारी न मानता होता और मेरे आसपास लाखों स्त्रियाँ आज उस प्रकार नि:शंक न बैठती होतीं, मानो वे एक बालक के आसपास बैठी हों। मैं उनसे दूर भागता होता और वे भी मुझसे दूर भागती होतीं और यह उचित भी था। मैं अपनी जिदगी का सबसे अधिक भयंकर समय...।

ईश्वर ने ही मुझे इस सम्बन्ध में मूढ़ रखकर बचाया था।

उस भाषण के समय मेरे मन में ये तीन ही प्रसंग थे। पाठक यह न समझें कि मेरे सम्मुख ऐसे और प्रसंग नहीं आये थे; किन्तु मैं यह जरूर कहना चाहता हूँ कि मैं हर अवसर पर रामनाम के बल पर बचा हूं। ईश्वर खाली हाथ जाने वाले निर्बल को ही बल देता है।

> ***जहाँ वाणी और मनमें एकता नहीं वहाँ वाणी केवल मिथ्या चीज है, दम्भ है, शब्दजाल है। ऐसे जप से चाहे संसार भले घोला खा जाये, पर वह अन्तर्यामी राम कहीं घोला खा सकता है? हनुमान ने सीता की दी हुई मणिमाला के मन के फोड़ डाले हनुमान क्योंकि वे देखना चाहते थे कि उनके भीतर रामनाम अंकित है या नहीं ? अपने को समझदार समझने वाले सुभटों ने उनसे पूछा, 'सीताजी की मणिमाला का ऐसा अनादर क्यों?' हनुमान ने उत्तर दिया, 'यदि उसके मनकों में रामनाम अंकित न हो तो वह सीताजी की दी हुई होने पर भी मेरे लिए भार-रूप ही होगी। तब उन समझदार सुभटों ने मुंह बनाकर पूछा, 'नया तुम्हारे भीतर रामनाम अंकित है।'***

जब लग गज बल अपनों बरत्यौ नेक सर्‌यो नहिं काम। निर्बल ह्वै बल राम पुकायो आये आधे नाम ।

तब यह रामनाम है क्या चीज ? क्या तोते की तरह रामनाम रटना ? हरगिज नहीं। यदि ऐसा हो तो हम सब रामनाम रटकर पार हो जा सकते हैं। रामनाम का उच्चारण तो हृदय से ही किया जाना चाहिए। फिर उसका उच्चारण शुद्ध न हो तो हर्ज नहीं। हृदय की तोतली बोली ईश्वर के दरबार में कबूल होती है। हृदय भले ही 'मरा मरा' पुकारता रहे फिर भी हृदय से निकली पुकार जमा खाते में लिखी जायेगी। परन्तु यदि मुख रामनाम का शुद्ध उच्चारण करता रहे और हृदय का स्वामी रावण हो तो वह शुद्ध उच्चारण भी नामे की ओर लिखा जायेगा।

तुलसीदास ने 'मुख में राम बगल में छुरी' की उक्ति चरितार्थ करने वाले बगला भगत के लिए रामनाम-महिमा नहीं गाई। उसके सीधे पासे भी उलटे पड़ेंगे। किन्तु जिसने रामको हृदय में स्थान दिया है उसके उलटे पासे भी सीधे पड़ेंगे। 'बिगरी' को सुधारने वाला राम ही है और इसी से भक्त सूरदास ने कहा है-

बिगरी कौन सुधारे ?
राम बिन बिगरी कीन सुधारे रे।
बनी-बनी के सब कोई साथी,
बिशरी के नहिं कोई रे।

इसलिए पाठक खूब समझ लें कि रामनाम के जप का सम्बन्ध हृदय से है। जहाँ वाणी और मनमें एकता नहीं वहाँ वाणी केवल मिथ्या चीज है, दम्भ है, शब्दजाल है। ऐसे जप से चाहे संसार भले धोखा खा जाये, पर वह अन्तर्यामी राम कहीं घोला खा सकता है? हनुमान ने सीता की दी हुई मणिमाला के मनके फोड़ डाले हनुमान क्योंकि वे देखना चाहते थे कि उनके भीतर रामनाम अंकित है या नहीं ? अपने को समझदार समझने वाले सुभटों ने उनसे पूछा, 'सीताजी की मणिमाला का ऐसा अनादर क्यों?' हनुमान ने उत्तर दिया, 'यदि उसके मनकों में रामनाम अंकित न हो तो वह सीताजी की दी हुई होने पर भी मेरे लिए भार-रूप ही होगी। तब उन समझदार सुभटों ने मुंह बनाकर पूछा, 'कया तुम्हारे भीतर रामनाम अंकित है।' हनुमान ने तुरन्त छुरी से अपना हृदय चीरकर दिखाया और कहा, 'देखो, इसमें रामनाम के सिवा और कुछ हो तो मुझे बताओ।' सुभट लज्जित हुए। हनुमान पर पुष्प वृष्टि हुई और उस दिनसे रामकथा के समय हनुमान का आवाहन आरम्भ हुआ ।

हो सकता है यह कथा हो या नाटककार की मनगढन्त रचना हो, पर उसका सार नित्य सत्य है। जो हृदय में है वही सच है।

(नवजीवन 17.5.1925)

स्वच्छता से संपन्नता

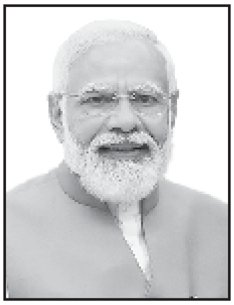

श्री नरेंद्र मोदी

आज पूज्य बापू और लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म जयंती है। मैं मां भारती के सपूतों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। जिस भारत का सपना, गांधी जी और देश की महान विभूतियों ने देखा था, वो सपना हम सब मिलकर के पूरा करें, आज का दिन हमें ये प्रेरणा देता है।

साथियों, आज 2 अक्टूबर के दिन, मैं कर्तव्यबोध से भी भरा हुआ हूँ और उतना ही भावुक भी हूँ। आज स्वच्छ भारत मिशन को, उसकी यात्रा को 10 साल के मुकाम पर हम पहुँच चुके हैं। स्वच्छ भारत मिशन की ये यात्रा, करोड़ों भारतवासियों की अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। बीते 10 साल में कोटि-कोटि भारतीयों ने इस मिशन को अपनाया है, अपना मिशन बनाया है, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया है। मेरे आज के 10 साल की इस यात्रा के पड़ाव पर, मैं हर देशवासी, हमारे सफाई मित्र, हमारे धर्मगुरू, हमारे खिलाड़ी, हमारे सेलिब्रिटी, एनजीओ, मीडिया के साथी...सभी की सराहना करता हूँ, भूरी-भूरी प्रशंसा करता हूँ। आप सभी ने मिलकर स्वच्छ भारत मिशन को इतना बड़ा जन-आंदोलन बना दिया। मैं राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, पूर्व राष्ट्रपति जी, पूर्व उपराष्ट्रपति जी, उन्होंने भी स्वच्छता की ही सेवा इस कार्यक्रम में श्रमदान किया, देश को बहुत बड़ी प्रेरणा दी। मैं आज राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति महोदय का भी ह्दय से अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आज देशभर में स्वच्छता से जुड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। लोग अपने गाँवों को, शहरों को, मोहल्लों को चॉल हो, फ्लैट्स हो, सोसाइटी हो स्वयं बड़े आग्रह से साफ-सफाई कर रहे हैं। अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्रिगण और दूसरे जनप्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनें, इस कार्यक्रम का नेतृत्व किया। बीते पखवाड़े में, मैं इसी पखवाड़े की बात करता हूँ, देश भर में करोड़ों लोगों ने स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है। मुझे जानकारी दी गई कि सेवा पखवाड़ा के 15 दिनों में, देशभर में 27 लाख से ज्यादा कार्यक्रम हुए, जिनमें 28 करोड़ से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। निरंतर प्रयास करके ही हम अपने भारत को स्वच्छ बना सकते हैं। मैं सभी का, प्रत्येक भारतीय का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।

साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर...आज स्वच्छता से जुड़े करीब 10 हजार करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की भी शुरुआत हुई है। मिशन अमृत के तहत देश के अनेक शहरों में वॉटर और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट

आज स्वच्छ भारत मिशन को, उसकी यात्रा को 10 साल के मुकाम पर हम पहुँच चुके हैं। स्वच्छ भारत मिशन की ये यात्रा, करोड़ों भारतवासियों की अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। बीते 10 साल में कोटि-कोटि भारतीयों ने इस मिशन को अपनाया है, अपना मिशन बनाया है, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया है। मेरे आज के 10 साल की इस यात्रा के पड़ाव पर, मैं हर देशवासी...।

बनाए जाएंगे। नमामि गंगे से जुड़ा काम हो या फिर कचरे से बायोगैस पैदा करने वाले गोबरधन प्लांट। ये काम स्वच्छ भारत मिशन को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा, और स्वच्छ भारत मिशन जितना सफल होगा उतना ही हमारा देश ज्यादा चमकेगा।

साथियों, आज से एक हजार साल बाद भी, जब 21वीं सदी के भारत का अध्ययन होगा, तो उसमें स्वच्छ भारत अभियान को जरूर याद किया जाएगा। स्वच्छ भारत इस सदी में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सफल जन भागीदारी वाला, जन नेतृत्व वाला, जन-आंदोलन है। इस मिशन ने मुझे जनता-जनार्दन की, ईश्वर रूपी जनता-जनार्दन की साक्षात ऊर्जा के भी दर्शन कराए हैं। मेरे लिए स्वच्छता एक जनशक्ति के साक्षात्कार का पर्व बन गया है। आज मुझे कितना कुछ याद आ रहा है... जब ये अभियान शुरू हुआ...कैसे लाखों-लाख लोग एक साथ सफाई करने के लिए निकल पड़ते थे। शादी-ब्याह से लेकर सार्वजनिक कार्यक्रमों तक, हर जगह स्वच्छता का ही संदेश छा गया...कहीं कोई बूढ़ी माँ अपनी बकरियाँ बेचकर शौचालय बनाने की मुहिम से जुड़ी...किसी ने अपना मंगलसूत्र बेच दिया...तो किसी ने शौचालय बनाने के लिए जमीन दान कर दी। कहीं किसी रिटायर्ड टीचर ने अपनी पेंशन दान दे दी...तो कहीं किसी फौजी ने रिटायरमेंट के बाद मिले पैसे स्वच्छता के लिए समर्पित कर दिए। अगर ये दान किसी मंदिर में दिया होता, किसी और समारोह में दिया होता तो शायद अखबारों की हेडलाइन बन जाता और सप्ताह भर उसकी चर्चा होती। लेकिन देश को पता होना चाहिए कि जिनका चेहरा कभी टीवी पर चमका नहीं हैं, जिनका नाम अखबारों की सुर्खियों पर कभी छपा नहीं है, ऐसे लक्ष्यावधि लोगों ने कुछ न कुछ दान करके चाहे वो समय का दान हो या संपत्ति का दान हो इस आंदोलन को एक नई ताकत दी है, ऊर्जा दी है। और ये, ये मेरे देश के उस चरित्र का परिचय करवाता है।

जब मैंने सिंगल यूज प्लास्टिक को छोड़ने की बात की तो करोड़ों लोगों ने जूट के बैग और कपड़े के थैले निकालकर के बाजार में खरीदी करने के लिए जाने की परंपरा शुरू की। अब मैं उन लोगों का भी आभारी हूँ वरना मैं प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक बंद करने की बात करता तो हो सकता था, प्लास्टिक इंडस्ट्री वाले आंदोलन करते, भूख हड़ताल पर बैठते...नहीं बैठे, उन्होंने सहयोग किया, आर्थिक नुकसान भोगा। और मैं उन राजनीतिक दलों का भी आभार व्यक्त करता हूँ, जो भी शायद निकल पड़ते कि देखिए मोदी ने सिंगल यूज प्लास्टिक बंद की है, हजारों लोगों का रोजगार खत्म कर दिया, पता नहीं क्या-क्या कर देते। मैं उनका भी आभार मानता हूँ कि उनका इस बात पर ध्यान नही गया, हो सकता है इसके बाद चला जाए।

साथियों, इस आंदोलन में हमारा फिल्म जगत भी पीछे नहीं रहा...कमर्शियल हित के बजाय, फिल्म जगत ने स्वच्छता के संदेश को जनता तक पहुँचाने के लिए फिल्में बनाईं। इन 10 सालों में और मुझे तो लगता है कि ये विषय कोई एक बार करने का नहीं है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी, हर पल, हर दिन करने का काम है। और ये जब मैं कहता हूँ, तो मैं इसको जीता हूँ। अब जैसे मन की बात की याद करलें आप, आप में से बहुत लोग मन की बात से परिचित हैं, देशवासी परिचित हैं। मन की बात में मैंने करीब-करीब 800 बार स्वच्छता के विषय का जिक्र किया है। लोग लाखों की संख्या में चिट्ठियाँ भेजते हैं, लोग स्वच्छता के प्रयासों को सामने लाते रहे।

साथियों, आज जब मैं देश और देशवासियों की इस उपलब्धि को देख रहा हूँ...तो मन में ये सवाल भी आ रहा है कि जो आज हो रहा है, वो पहले क्यों नहीं हुआ? स्वच्छता का रास्ता तो महात्मा गांधीजी ने हमें आजादी के आंदोलन में ही दिखाया था...दिखाया भी था, सिखाया भी था। फिर ऐसा क्या हुआ कि आजादी के बाद स्वच्छता पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया गया। जिन लोगों ने सालों-साल गांधीजी के नाम पर सत्ता के रास्ते ढूंढे, गांधी जी के नाम पर वोट बटोरे। उन्होंने गांधीजी के प्रिय विषय को भुला दिया। उन्होंने गंदगी को, शौचालय के अभाव को देश की समस्या माना ही नहीं, ऐसा लगा रहा है जैसे उन्होंने गंदगी को ही जिंदगी मान लिया। नतीजा ये हुआ कि मजबूरी में लोग गंदगी में ही रहने लगे...गंदगी रूटीन लाइफ का हिस्सा बन गई...समाज जीवन में इसकी चर्चा तक होनी बंद हो गई। इसलिए जब मैंने लालकिले की प्राचीर से इस विषय को उठाया, तो देश में जैसे तूफान खड़ा हो गया...कुछ लोगों ने तो मुझे ताना दिया कि शौचालय और साफ-सफाई की बात करना भारत के प्रधानमंत्री का काम नहीं है। ये लोग आज भी मेरा मजाक उड़ाते हैं।

लेकिन साथियों, भारत के प्रधानमंत्री का पहला काम वही है, जिससे मेरे देशवासियों का, सामान्य जन का

जीवन आसान हो। मैंने भी अपना दायित्व समझकर, मैंने टॉयलेट्स की बात की, सैनिटेरी पैड्स की बात की। और आज हम इसका नतीजा देख रहे हैं।

साथियों, 10 साल पहले तक भारत की 60 प्रतिशत से ज्यादा आबादी खुले में शौच के लिए मजबूर थी। ये मानव गरिमा के विरुद्ध था। इतना ही नहीं ये देश के गरीब का अपमान था, दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का, इनका अपमान था। जो पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर चला आ रहा था। शौचालय ना होने से सबसे ज्यादा परेशानी हमारी बहनों को, बेटियों को होती थी। दर्द और पीड़ा सहन करने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं था। अगर शौचालय जाना है तो अंधेरे का इंतजार करती थीं, दिन भर परेशानी झेलती थीं और रात में बाहर जाती थीं, तो उनकी सुरक्षा से जुड़े गंभीर खतरे होते थे, या तो सुबह सूर्योदय के पहले जाना पड़ता था, ठंड हो, वर्षा हो मेरे देश की करोड़ों माताएँ हर दिन इस मुसीबत से गुजरती थी। खुले में शौच के कारण जो गंदगी होती थी, उसने हमारे बच्चों के जीवन को भी संकट में डाल रखा था। बाल मृत्यु का एक बड़ा कारण, ये गंदगी भी थी। गंदगी की वजह से गाँव में, शहर की अलग-अलग बस्तियों में बीमारियाँ फैलना आम बात थी।

साथियों, कोई भी देश ऐसी परिस्थिति में कैसे आगे बढ़ सकता है? और इसलिए हमने तय किया कि ये जो जैसा चल रहा है, वैसे नहीं चलेगा। हमने इसे एक राष्ट्रीय और मानवीय चुनौती समझकर इसके समाधान का अभियान चलाया। यहीं से स्वच्छ भारत मिशन का बीज पड़ा। ये कार्यक्रम, ये मिशन, ये आंदोलन, ये अभियान, ये जन-जागरण का प्रयास पीड़ा की कोख से पैदा हुआ है। और जो मिशन पीड़ा की कोख से पैदा होता है वो कभी मरता नहीं है। और देखते ही देखते, करोड़ों भारतीयों ने कमाल करके दिखाया। देश में 12 करोड़ से अधिक टॉयलेट्स बनाए गए। टॉयलेट कवरेज का दायरा जो 40 परसेंट से भी कम था, वो शत-प्रतिशत पहुँच गया।

साथियों, स्वच्छ भारत मिशन से देश के आम जन के जीवन पर जो प्रभाव पड़ा है, वो अनमोल है। हाल में एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय जरनल की स्टडी आई है। इस स्टडी को इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट वाशिंगटन, यूएसए, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया...और ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने मिलकर के स्टडी किया है। इसमें सामने आया है कि स्वच्छ भारत मिशन से हर वर्ष 60 से 70 हजार बच्चों का जीवन बच रहा है। अगर कोई ब्लड डोनेशन करके किसी एक की जिंदगी बचा दे ना तो भी वो बहुत बड़ी घटना होती है। हम सफाई करके, कूड़ा-कचरा हटाकर के, गंदगी मिटाकर 60-70 हजार बच्चों की जिंदगी बचा पाए, इससे बड़ा परमात्मा का आशीर्वाद क्या होगा। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक 2014 और 2019 के बीच 3 लाख जीवन बचे हैं, जो डायरिया के कारण हम खो देते थे। मानव सेवा का ये धर्म बन गया।

यूनिसेफ की रिपोर्ट है कि घर में टॉयलेट्स बनने के कारण अब 90 परसेंट से ज्यादा महिलाएँ खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। महिलाओं को इंफेक्शन से होनी वाली बीमारियों में भी स्वच्छ भारत मिशन की वजह से बहुत कमी आई है। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है...लाखों स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट्स बनने से, ड्रॉप आउट रेट कम हुआ है। यूनिसेफ की एक और स्टडी है। इसके मुताबिक साफ-सफाई के कारण गाँव के परिवार के हर साल औसतन 50 हजार रुपए बच रहे हैं। पहले आए दिन होने वाली बीमारियों के कारण ये पैसे इलाज पर खर्च होते थे या तो काम-धंधा ना करने के कारण आय खत्म हो जाती थी, बीमारी में जा नहीं पाते थे।

साथियों, स्वच्छता पर बल देने से बच्चों का जीवन कैसे बचता है, मैं इसका एक और उदाहरण देता हूँ। कुछ साल पहले तक मीडिया में लगातार ये ब्रेकिंग न्यूज चलती थी कि गोरखपुर में दिमागी बुखार से, उस पूरे इलाके में, दिमागी बुखार से सैकड़ों बच्चों की मौत...ये खबरें हुआ करती थी। लेकिन अब गंदगी जाने से, स्वच्छता आने से ये खबरें भी चली गई, गंद के साथ क्या-क्या जाता है ये देखिए। इसकी एक बहुत ही बड़ी वजह...स्वच्छ भारत मिशन से आई जन-जागृति, ये साफ सफाई है।

साथियों, स्वच्छता की प्रतिष्ठा बढ़ने से देश में एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक परिवर्तन भी हुआ है। आज मैं इसकी चर्चा भी आवश्यक समझता हूँ। पहले साफ-सफाई के काम से जुड़े लोगों को किस नजर से देखा जाता था, हम सब जानते हैं। एक बहुत बड़ा वर्ग था जो गंदगी करना अपना अधिकार मानता था और कोई आकर के स्वच्छता करे ये उसकी जिम्मेवारी मानकर के अपने आप को बड़े अहंकार में जीते थे, उनके सम्मान को भी चोट पहुँचाते थे। लेकिन जब हम सब स्वच्छता करने लग गए तो उसको भी

लगने लगा कि मैं जो करता हूँ वो भी बड़ा काम करता हूँ और ये भी अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक परिवर्तन। और स्वच्छ भारत मिशन ने, ये बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक परिवर्तन करके सामान्य परिवार, साफ-सफाई करने वालों को मान-सम्मान मिला, उनको गर्व महसूस कराया, और वो आज अपने आप को सम्मान के साथ हमें देख रहा है। गर्व इस बात का कि वो भी अब मानने लगा है कि वो सिर्फ पेट भरने के लिए करता है, इतना ही नहीं है, वो इस राष्ट्र को चमकाने के लिए भी कड़ी मेहनत कर रहा है। यानि स्वच्छ भारत अभियान ने लाखों सफाई मित्रों को गौरव दिलाया है। हमारी सरकार सफाई मित्रों के जीवन की सुरक्षा और उन्हें गरिमापूर्ण जीवन देने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा ये भी प्रयास है कि सेप्टिक टैंक्स में मैनुअल एंट्री से जो संकट आते हैं, उनको दूर किया जाए। इसके लिए सरकार, प्राइवेट सेक्टर और जनता के साथ मिलकर काम कर रही है, कई नए-नए Startup आ रहे हैं, नई-नई टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं।

साथियों, स्वच्छ भारत अभियान सिर्फ साफ-सफाई का ही प्रोग्राम है, इतना भर नहीं है। इसका दायरा व्यापक रुप से बढ़ रहा है। अब स्वच्छता संपन्नता का नया रास्ता बन रहा है। स्वच्छ भारत अभियान से देश में बड़े पैमाने पर रोजगार भी बन रहे हैं। बीते सालों में करोड़ों टॉयलेट्स बनने से अनेक सेक्टर्स को फायदा हुआ...वहाँ लोगों को नौकरियाँ मिलीं...गाँवों में राजमिस्त्री, प्लंबर, लेबर, ऐसे अनेक साथियों को नए अवसर मिले। यूनिसेफ का अनुमान है कि करीब-करीब सवा करोड़ लोगों को इस मिशन की वजह से कुछ ना कुछ आर्थिक लाभ हुआ, कुछ ना कुछ काम मिला है। विशेष रूप से महिला राजमिस्त्रियों की एक नई पीढ़ी इस अभियान की देन है। पहले महिला राजमिस्त्री कभी नाम नहीं सुना था, इन दिनों महिला राजमिस्त्री आपको काम करती नजर आ रही हैं।

अब क्लीन टेक से और बेहतर नौकरियाँ, बेहतर अवसर हमारे नौजवानों को मिलने लगे हैं। आज क्लीन टेक से जुड़े करीब 5 हजार स्टार्ट अप्स रजिस्टर्ड हैं। वेस्ट टू वेल्थ में हो, वेस्ट के क्लेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन में हो, पानी के रीयूज और रीसाइकलिंग में हों...ऐसे अनेक अवसर वॉटर एंड सेनीटेशन के सेक्टर में बन रहे हैं। एक अनुमान है कि इस दशक के अंत तक इस सेक्टर में 65 लाख नई जॉब्स बनेंगी। और इसमें निश्चित तौर पर स्वच्छ भारत मिशन की बहुत बड़ी भूमिका होगी।

साथियों, स्वच्छ भारत मिशन ने सर्कुलर इकॉनॉमी को भी नई गति दी है। घर से निकले कचरे से आज, Compost, Biogas, बिजली और रोड पर बिछाने के लिए चारकोल जैसा सामान बना रहे हैं। आज गोबरधन योजना, गाँव और शहरों में बड़ा परिवर्तन ला रही है। इस योजना के तहत गाँवों में सैकड़ों बायोगैस प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। जो पशुपालन करते हैं किसान कभी-कभी उनके लिए जो पशु वृद्ध हो जाता है, उसको संभालना एक बहुत बड़ा आर्थिक बोझ बन जाता है। अब गोबरधन योजना के कारण वो पशु जो दूध भी नहीं देता है या खेत पर काम भी नहीं कर सकता है, वो भी कमाई का साधन बन सके ऐसी संभावनाएँ इस गोबरधन योजना में है। इसके अलावा देश में सैकड़ों CBG प्लांट भी लगाए जा चुके हैं। आज ही कई नए प्लांट्स का लोकार्पण हुआ है, नए प्लांट्स का शिलान्यास किया गया है।

साथियों, तेजी से बदलते हुए इस समय में, आज हमें स्वच्छता से जुड़ी चुनौतियों को भी समझना, जानना जरूरी है। जैसे-जैसे हमारी economy बढ़ेगी, शहरीकरण बढ़ेगा, waste generation की संभावनाएं भी बढ़ेंगी, कूड़ा-कचरा ज्यादा निकलेगा। और आजकल जो economy का एक मॉडल है यूज एण्ड थ्रो वो भी एक कारण बनने वाला है। नए-नए प्रकार के कूड़े कचरे आने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आने वाला है। इसलिए हमें फ्यूचर की अपनी स्ट्रैटजी को और बेहतर करना है। हमें आने वाले समय में construction में ऐसी टेक्नॉलॉजी डवलप करनी होंगी, जिससे रिसाइकिल के लिए सामान का ज्यादा उपयोग हो सके। हमारी जो कॉलोनियाँ हैं, हमारे जो हाउसिंग है, compleñes हैं, उनको हमें ऐसे डिजाइन करना होगा कि कम से कम जीरो की तरफ हम कैसे पहुंचे, हम जीरो कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कम से कम अंतर बचे जीरो से।

हमारा प्रयास होना चाहिए कि पानी का दुरुपयोग ना हो और waste पानी को treat करके इस्तेमाल करने के तरीके सहज बनने चाहिए। हमारे सामने नमामि गंगे अभियान का एक मॉडल है। इसके कारण आज गंगा जी कहीं अधिक साफ हुई हैं। अमृत मिशन और अमृत सरोवर अभियान से भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। ये सरकार और जनभागीदारी से परिवर्तन लाने के बहुत बड़े मॉडल हैं। लेकिन मैं मानता हूँ सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। वॉटर कंजर्वेशन, वॉटर ट्रीटमेंट और नदियों की

साफ-सफाई के लिए भी हमें निरंतर नई टेक्नॉलॉजी पर निवेश करना है। हम सब जानते हैं कि स्वच्छता का कितना बड़ा संबंध टूरिज्म से है। और इसलिए, अपने पर्यटक स्थलों, अपने आस्था के पवित्र स्थानों, हमारी धरोहरों को भी हमें साफ-सुथरा रखना है।

साथियों, हमने स्वच्छता को लेकर इन 10 वर्षों में बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ पाया है। लेकिन जैसे गंदगी करना ये रोज का काम है, वैसे स्वच्छता करना भी रोज का ही काम होना ही चाहिए। ऐसा कोई मनुष्य नहीं हो सकता है, प्राणी नहीं हो सकता है कि वो कहे कि मेरे से गंदगी होगी ही नहीं, अगर होनी है तो फिर स्वच्छता भी करनी ही होगी। और एक दिन, एक पल नहीं, एक पीढ़ी नहीं, हर पीढ़ी को करनी होगी युगों-युगों तक करने वाला काम है। जब हर देशवासी स्वच्छता को अपना दायित्व समझता है, कर्तव्य समझता है, तो साथियों मेरा इस देशवासियों पर इतना भरोसा है कि परिवर्तन सुनिश्चित है। देश का चमकना ये सुनिश्चित है।

स्वच्छता का मिशन एक दिन का नहीं ये पूरे जीवन का संस्कार है। हमें इसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाना है। स्वच्छता हर नागरिक की सहज प्रवृत्ति होनी चाहिए। ये हमें हर रोज करना चाहिए, गंदगी के प्रति हमारे भीतर एक नफरत पैदा होनी चाहिए, हम गंदगी को टॉलरेट न करें, देख ना पाएं, ये स्वभाव हमने विकसित करना चाहिए। गंदगी के प्रति नफरत ही हमें स्वच्छता के लिए मजबूर कर सकती हैं और मजबूत भी कर सकती हैं।

हमने देखा है कि कैसे घरों में छोटे-छोटे बच्चे साफ-सफाई को लेकर बड़ों को मोटिवेट करते रहते हैं, मुझे कई लोग कहते हैं कि मेरा पोता, मेरा नाती ये टोकता रहता है कि देखो मोदी जी ने क्या कहा है, तुम क्यों कचरा डालते हो, कार में जा रहे हैं बोला बोतल क्यों बाहर फेंकतें हो, रूकवा देता है। ये आंदोलन की सफलता उसमें भी बीज बो रही है। और इसलिए आज मैं देश के युवाओं को.. हमारी अगली पीढ़ी के बच्चों को कहूँगा- आइए हम सब मिलकर के डटे रहें, आइए डटे रहिए। दूसरों को समझाते रहिए, दूसरों को जोड़ते रहिए। हमें देश को स्वच्छ बनाए बिना रूकना नहीं है। 10 साल की सफलता ने बताया है कि अब आसान हो सकता है, हम achieve कर सकते हैं, और गंदगी से भारत मां को हम बचा सकते हैं।

साथियों, मैं आज राज्य सरकारों से भी आग्रह करुंगा कि वे भी इस अभियान को अब जिला, ब्लॉक, गांव, मोहल्ले और गलियों के लेवल पर ले जाएं। अलग-अलग जिलों में, ब्लॉक्स में स्वच्छ स्कूल की स्पर्धा हो, स्वच्छ अस्पताल की स्पर्धा हो, स्वच्छ ऑफिस की स्पर्धा हो, स्वच्छ मोहल्ले की स्पर्धा हो, स्वच्छ तालाब की स्पर्धा हो, स्वच्छ कुंए के किनारे की स्पर्धा हो। तो एकदम से वातावरण और उसके कंपटिशन उसे हर महीने, तीने महीने ईनाम दिए जाए, सर्टिफिकेट दिए जाए। भारत सरकार सिर्फ कंपटिशन करे और 2-4 शहरों को स्वच्छ शहर, 2-4 जिलों को स्वच्छ जिला इतने से बात बनने वाली नहीं है। हमने हर इलाके में ले जाना है। हमारी म्यूनिसिपैल्टीज भी लगातार देखें कि पब्लिक टॉयलेट्स की अच्छे से अच्छे मैंटेनेंस हो रही है, चलो उनको ईनाम दें। अगर किसी शहर में व्यवस्थाएं पुराने ढर्रे की तरफ वापस लौटीं तो इससे बुरा क्या हो सकता है। मैं सभी नगर निकायों से, लोकल बॉडीज से आग्रह करुंगा कि वे भी स्वच्छता को प्राथमिकता दें, स्वच्छता को सर्वोपरि माने।

आइए...हम सब मिलके शपथ लें, मैं देशवासियों से अनुरोध करता हूँ...आइए हम जहां भी रहेंगे, फिर चाहे वो घर हो, मोहल्ला हो या हमारा workplace हो, हम गंदगी ना करेंगे, ना गंदगी होने देंगे और स्वच्छता ये हम हमारा सहज स्वभाव बनाकर के रहेंगे। जिस प्रकार हम अपने पूजा स्थल को साफ-सुथरा रखते हैं, वही भाव हमें अपने आसपास के वातावरण के लिए जगाना है। विकसित भारत की यात्रा में हमारा हर प्रयास स्वच्छता से संपन्नता के मंत्र को मजबूत करेगा। मैं फिर एक बार देशवासियों से 10 साल के ही जैसे, यात्रा ने एक नया विश्वास पैदा किया है, अब हम अधिक सफलता के साथ, अधिक ताकत से परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, और इसलिए आइए एक नए उमंग, नए विश्वास के साथ पूज्य बापू को सच्ची श्रद्धांजलि का एक काम लेकर के चल पड़े और हम इस देश को चमकाने के लिए गंदगी ना करने की शपथ लेते हुए, स्वच्छता के लिए जो भी कर सकते हैं, पीछे ना हटे। मेरी आप सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ हैं।

(स्वच्छता ही सेवा 2024 कार्यक्रम में प्रधाानमंत्री जी के संबोधन के अंश।)

चिंतन

समाज धर्म : सामाजिक सद्गुण

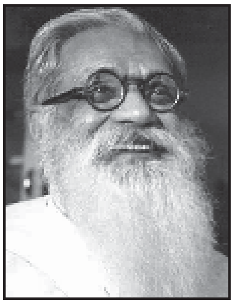

काका साहेब कालेलकर

गीता के हरेक अध्याय का अलग-अलग माहात्म्य और उसके अनुसार एक एक कथा, किसी पुराण में पढ़ी हुई याद आती है। ऐसे माहात्म्य और उनकी कथाओं का मेरे मन में कोई महत्त्व नहीं है। अंधभक्ति के कारण चंद पुराणकारों ने मन में जो आया सो लिखा है। गीता के साथ जो गीता-माहात्म्य दिया जाता है, उसमें भगवान विष्णु पृथ्वी को गीता पाठ का महत्त्व समझाते हैं। वह भी पौराणिक ढंग का ही है। लेकिन वहाँ विष्णु के एक वचन की तरफ मेरा ध्यान गया। भगवान विष्णु कहते हैं –

गीताज्ञानं उपाश्रित्य त्रीन् लोकन् पालयाम्यहं ।

हे पृथ्वी ! गीता में दिये हुए ज्ञान का आधार लेकर, उसके अनुसार, तीनों लोकों का मैं पालन करता हूँ।

भगवान का यह वचन मुझे अच्छा लगा। गीता इस दुनिया का द्वेष करने वाली (भवद्वेषिणी) केवल मोक्षविद्या नहीं है, किंतु तीन लोक की प्रजा का सामाजिक समष्टि-जीवन संभालने का काम भी गीता के ज्ञान से लिया जा सकता है। समाज की हस्ती-धारण के लिए, भरण-पोषण के लिए आवश्यक तत्त्वज्ञान भी गीता से मिल सकता है। इतना विश्वास होने पर गीताज्ञान की ओर उस दृष्टि से में देखने लगा। अथवा यों कहूँ, गीता में मुझे समाजशास्त्र की एक तरह की बुनियाद ही मिल गयी।

गीता में, भगवान श्रीकृष्ण ने सामाजिक जीवन की दृष्टि से सत्त्व, रज, तम इन तीन गुणों का काफी विस्तार किया है। और कहा है-

न तद् अस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः ।
सत्त्वं प्रकृतिजैर मुक्तम् यद् एभिः स्यात् त्रिभिर् गुणैः ।।

गीता ने बड़े उत्साह के साथ इन तीनों गुणों का विस्तार अनेक क्षेत्रों में करके दिखाया है। श्रद्धा, आहार, यज्ञ, तप, दान, ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति, सुख इत्यादि जीवन के महत्त्व के अंगों में इन तीन गुणों का असर कैसा होता है, सूक्ष्मता से बताया है।

मानवी संस्कृति भी इन गुणों के उत्कर्ष के कारण तीन प्रकार की बतायी है। अब ये तीन गुण केवल अकेले कहीं भी प्रगट नहीं होते। हरेक व्यक्ति में और हरेक समाज में तीनों गुणों का मिश्रण ही पाया जाता है। इनमें दूसरे दो गुणों को दबाकर जो गुण जोर करता है, उसी के नाम से संस्कृति

भगवान का यह वचन मुझे अच्छा लगा। गीता इस दुनिया का द्वेष करने वाली (भवद्वेषिणी) केवल मोक्षविद्या नहीं है, किंतु तीन लोक की प्रजा का सामाजिक समष्टि-जीवन संभालने का काम भी गीता के ज्ञान से लिया जा सकता है। समाज की हस्ती-धारण के लिए, भरण-पोषण के लिए आवश्यक तत्त्वज्ञान भी गीता से मिल सकता है।

पहचानी जाती है। हम लोग आजकल प्रकृति के तीन विभाग करते हैं। प्रकृति, विकृति और संस्कृति। मनुष्येतर कुदरत के राज में प्रकृति ही काम करती है। वहाँ विकृति और संस्कृति दोनों को अवकाश कम है। मनुष्य के लिए प्रकृति में स्थिर रहना कठिन है। मनुष्य या तो ऊँचा चढ़ेगा और संस्कृति की स्थापना करेगा, या नीचे गिरकर जीवन में विकृति पैदा करेगा। इसीलिए मानवी संस्कृति के तीन विभाग हो सकते हैं। गीता ने मानवी संस्कृति के इन विभागों को संपत् कहा है।

जहाँ आत्मशक्ति का विकास करके समाज उन्नति की ओर प्रयाण करता है, वहाँ दैवी संपत्ति के सद्गुणों का उत्कर्ष होने लगता है। जहाँ आध्यात्मिक संस्कृति का जोर नहीं चलता, वहाँ आसुरी संपत् पायी जाती है।

और जब मानवजाति सत्य और अहिंसा, संयम और सहयोग को तिलांजलि देती है, असत्य, हिंसा, अमर्याद विलास और संघर्ष को ही प्रधानता देती है, तब उसकी वह आसुरी संपत् भी विकृत होकर समाज को विनाश की ओर ले जाती है। प्रकृति जब विकृत होती है, तब उसे गीता ने राक्षसी प्रकृति कहा है। संस्कृति में अथवा संपत् में उसे स्थान नहीं मिल सकता।

देवी, आसुरी और राक्षसी इन तीन प्रकार की प्रकृतियों में दैवी और आसुरी इन दो प्रकार को ही गीता ने संपत् में लिया है। राक्षसी को न हम संपत् कह सकते हैं, न संस्कृति कह सकते हैं। रामायण में भगवद्भक्त न्यायपरायण विभीषण सत्त्वगुण का प्रतिनिधि हैं, अभिमानी विजिगीषू रावण रजोगुणका और जड़मूढ़ कुंभकर्ण तमोगुण का। कुंभकर्ण तो खाना और सोना दो ही बातों का आनंद ले सकता था और सबको मारने में और नाश फैलाने में उसे विशेष आनंद आता था। राक्षसी जीवनक्रम न तो दीर्घजीवी होता है, न आप्तकाम। शंकराचार्य ने इस राक्षसी जीवनक्रम का वर्णन थोड़े में यों दिया है–

छिन्धि भिन्धि पिब खाद परस्वम् अपहरं इति । तोड़ो, फोड़ो, पियो, खाओ, दूसरों का धन लूटो। इस रास्ते कोई भी संस्कृति आगे बढ़ नहीं सकती। इसलिए इसे संपत् में स्थान नहीं है। जिसमें निर्मिति नहीं है, केवल नाश ही है अथवा केवल अनीतिमय हस्तांतरण है। उसको संस्कृति नहीं कहा जा सकता।

भगवद्गीता ने आसुरी संपत्का थोड़े ही श्लोकों में एक जीवित चित्र खड़ा कर दिया है, उसमें प्रधानता है संघर्ष की, अंधी विजय–कामना की और भोगैश्वर्य की। आसुरी संपत् राक्षसी जीवनक्रम–जैसी क्षणजीवी नहीं होती। उसमें पुरुषार्थ होता है, यज्ञ भी होता है, दान भी होता हैं, लेकिन उसमें अभिमान और आत्मसंभावना होने से वह संस्कृति आगे नहीं बढ़ती। अधिक से अधिक प्रवृत्तिशील होते हुए भी उसमें प्रगति नहीं होती। इसलिए गीता कहती है– उर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः ।

अगर रजोगुण में प्रगति नहीं होती और केवल स्थायीभाव ही होता तो भी गनीमत । लेकिन मनुष्य के लिए स्थायीभाव है ही नहीं। रजोगुणी संस्कृति खूब प्रवृत्ति करती है, कुछ काल के लिए उसमें उत्कर्ष भी दीख पडता है, लेकिन वह धीरे–धीरे तमोगुण से अभिभूत होकर नीचे की ओर उतरती ही जाती है।

गीता से सत्त्व, रज, तम तीनों गुणों के परिणाम जितने क्षेत्रों में बताये हैं, उनमें से सत्त्वगुण के वर्णन एकत्र करके अगर एक चित्र खींचा जाय तो उसमें गीता के आदर्श समाज का चित्र हमें जरूर मिलेगा। सत्त्वगुण की ऊर्ध्वगामी प्रवृत्ति अथवा उन्नयन कम होते ही समाज नीचे गिरने लगता है। और अंत में भगवानकाल उस संस्कृति को खा ही जाता है।

इस तरह उत्थान और पतन की मीमांसा गीता ने अच्छी तरह से की है। मोक्षमार्ग की ही वैयक्तिक साधना के पीछे पड़े हुए भाष्यकारों ने और टीकाकारों ने गीता के सामाजिक संदेश की ओर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन इसकी शिकायत करने से क्या लाभ ?

महाभारत काल में भारतीय संस्कृति ने एक बड़ी प्रगति कर के दिखायी। भिन्न–भिन्न वंश के, भिन्न–भिन्न पेशे के और भिन्न–भिन्न स्थान में बसे हुए लोगों की छोटी–छोटी जमातों के कुलधर्म और जातिधर्म का विरोध न करते हुए गीता ने इन असंख्य जातियों को चार वर्ण में बाँध दिया। जातिसंस्था करीब–करीब Bioliogical जन्मगत और Regional स्थानिक थी। इन सबका एक विशाल समाज बनाकर या मानकर चार वर्णो का Functional स्वकर्म विभाग करने से सामाजिक संगठन मजबूत हुआ। जहाँ जातियाँ एक दूसरे से स्वतंत्र थीं, वहाँ चार वर्ण परस्परावलंबी हुए। फलतः समस्त प्रजा का एक विराट संगठन हुआ, जिसे सारी दुनिया वर्ण व्यवस्था के नाम से

अब पहचानती है। इसी वर्णव्यवस्था का अनुकरण या प्रतिबिंब अथवा प्रतिध्वनि ग्रीक फिलसूफ प्लेटो के रिपब्लिक में पाया जाता है। और प्राचीन मिस्र देश (इजिप्त) की समाज व्यवस्था में भी वर्णात्मक व्यवस्था किसी न किसी रूप में पायी जाती है। भारतीय सामाजिक मानस ने व्यवस्था के अति-उत्साह में वर्णव्यवस्था को असंख्य नियमों में जकड़ दिया। भारत की जनता धर्मपरायण होने से, उसमें आंतरिक विग्रह शायद कम थे। प्रजा सामान्य तौर पर अपनी आंतरिक रक्षा और व्यवस्था स्वयं ही कर लेती थी।

स्ववीर्यगुप्ता हि मनोः प्रसूतिः यह नियम जितना रघुवंश के राजाओं के लिए था, उतना ही उस जमाने की सामान्य प्रजा के लिए भी था। प्रजा का रक्षण करना और राज्य चलाना क्षत्रियों का एकमात्र प्रधान धर्म था, किन्तु गीता में क्षत्रियों के कर्म, शौर्य, तेज, दान, ईश्वरभाव और युद्ध से नहीं भाग जाना आदि गुण बताये हैं। किंतु बाहरी आक्रमण के खिलाफ प्रजा का रक्षण करने का और रक्षण के लिए संगठित होने का जिक्र तक नहीं आता। हमारे क्षत्रिय 'अहं श्रेयसी' में उतरकर अपना श्रेष्ठत्व सिद्ध करने के लिए आपस में बड़ी बहादुरी से लड़े। अपना यश मलिन न हो इसके लिए प्राणार्पण करने के लिए उनकी पूरी तैयारी रहती थी। जान और माल खतरे में डालने की तैयारी दिखाने के लिए उन्होंने व्रत लिया था कि लड़ाई के लिए किसी ने चुनौती दी तो उसे स्वीकार करना ही चाहिए और द्युत के लिये आमंत्रण मिला तो मालको खतरे में डालने के लिये द्युत का आमंत्रण मंजूर करना ही चाहिए। यह था क्षत्रियों का आदर्श। धर्म राजा युधिष्ठिर उसके एक नमूने थे।

गीता के भगवान को वर्णव्यवस्था के बारे में इतना उत्साह था कि दो जगह उसका विस्तार से वर्णन करते हुए उन्होंने चार वर्ण का कर्तृत्व अपने पास ही लिया है - चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं ऐसा दावा किया है और यह वर्णव्यवस्था स्वाभाविक गुण और सामाजिक कर्तव्य के अनुसार (गुणकर्म-विभागशः) की है, ऐसा स्पष्ट भी

किया है।

रामायण-महाभारत के दिनों में याने स्मृतिकाल में भारतीयों की समाज-व्यवस्था चार वर्ण और चार आश्रम में विभक्त थी। आज हम लोग जब वर्णव्यवस्था का विरोध करते हैं, तब सचमुच हमारा विरोध जातिव्यवस्था के बारे में होता है। आश्रमव्यवस्था के बारे में लोग चर्चा ही नहीं करते। आश्रमव्यवस्था के बारे में जो मुझे कहना है, अगले और अन्तिम व्याख्यान में कहूँगा। वर्ण-व्यवस्था के बारे में इतना ही कहना है कि जातिव्यवस्था हिंदू समाज में जैसी दृढ़मूल हुई है, वैसी वर्णव्यवस्था भी दृढ़मूल थी या है, ऐसा मानने के लिए कोई ऐतिहासिक सबूत नहीं है।

और मैं तो कहूँगा कि रामायण-महाभारत के समय में वर्णव्यवस्था चाहे जितनी हितकर साबित हुई हो और उससे सारा समाज चाहे जितना संगठित और व्यवस्थित हुआ हो, वर्णव्यवस्था की बुनियाद में मौलिक और तात्त्विक दोष थे ही। चार वर्ण की व्यवस्था में और आगे जाकर अनुलोम, प्रतिलोम विवाहों के कारण जो बीच के वर्ण पैदा होते हैं, उनके अंदर ऊंचनीच भाव स्थायी हुआ था। जब तक समाज के अलग-अलग वर्ग ऐसे ऊंचनीच भाव को राजीखुशी से मंजूर करते हैं, तब तक ऐसी व्यवस्था टिक सकती है। लेकिन किसी भी वर्गके लोग सदा के लिए अपने को हीन क्यों मानें ? सोये हुए आदमी की छाती पर ताश का मकान अगर आपने खड़ा किया तो वह तब तक ही खड़ा रहेगा, जब तक सोया हुआ आदमी जागा नहीं है। अगर वह केवल करवट ही बदल दे तो भी मकान तो गिर ही जायेगा।

वर्णव्यवस्था में एक मौलिक दोष आता है।

चार वर्ण मिलकर समाज चाहे जितना मजबूत और कार्यक्षम क्यों न हो, एक-एक वर्ण का विकास एकांगी ही होता है। आदर्श ब्राह्मण चाहे जितना विद्वान और पवित्र क्यों न हो वह है तो एकांगी; क्योंकि वह न लड़ाई लड़ सकता है, न उद्योग हुनर में प्रवीणता बता सकता है। हमने देखा कि विदेशियों के आक्रमण के सामने क्षत्रियों के हारते ही सारे राष्ट्र ने हार मान ली और प्रजाधर्म को याद करते हुए विदेशी विजेताओं का राजत्व मंजूर किया।

हमारे ब्राह्मणों ने व्याकरण, धर्मशास्त्र, साहित्य, नाट्य, संगीत, इतिहास, वैद्यक आदि विषयों का कितना बड़ा साहित्य निर्माण किया, किन्तु युद्धों का रसपूर्ण वर्णन करते हुए युद्ध में जीतने के लिए क्या-क्या करना चाहिए, इस Militray strategy का एक भी ग्रंथ दीख नहीं पड़ता। और भारत का महीन कपड़ा देशदेशांतर भेजकर दुनियाभर का सुवर्ण इकट्ठा करने वाले वैश्यों ने संपत्ति शास्त्र पर भी कोई ग्रंथ नहीं लिखा। क्षत्रियों के धर्म का वर्णन जरूर मिलता है, लेकिन विजय पाने का शास्त्र नहीं। वैश्यधर्म के नियम तो हम पढ़ सकते हैं। घर बैठे सूत कातकर अपना गुजर करने वाली विधवाओं से सूत इकट्ठा करने वाले लोगों के लिये अनाचार टालने के विधवाओं के घर रात को नहीं जाने के सूक्ष्म नियम जिन लोगों ने किये और अर्थशास्त्र बनाया, उन्होंने सिक्कों का व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसके बारे में विशेष कुछ भी लिखा नहीं। जो कुछ भी साहित्य बना, ब्राह्मण लोगों का बनाया हुआ है। ब्राह्मण स्वभाव से सात्त्विक, क्षत्रिय और वैश्य राजसिक और शूद्र तामसिक ऐसी रचना भी दीख नहीं पड़ती। अध्यात्मशास्त्र बनाने में जितना ब्राह्मणों का हाथ था, उससे क्षत्रियों का कम नहीं था। कभी-कभी ब्राह्मण भी हाथ में समिधा लेकर क्षत्रियों के पास ब्रह्मविद्या सीखने जाते थे। छांदोग्य उपनिषद् में प्रवहण राजा ब्राह्मण गौतम से कहता है कि इस विद्या मे क्षत्रियों का ही राज्य है। (क्षत्रस्य एव प्रशासनम् अभूत्) और शूद्रों में भी अध्यात्मविद्या जानने वाले महाभारत काल में पाये जाते हैं, लेकिन वे अपवादरूप थे। संस्कृति कैसी भी हो, हरेक व्यक्ति ज्ञान की उपासना करे, आत्मरक्षाके लिए समर्थ हो, सबकी सेवा करने के लिए उत्सुक हो यह जरूरी है। जिसे जीने के लिए अन्न खाना है, उसे कृषि में काम करने की आदत तो होनी ही चाहिए। प्राचीनकाल के ब्राह्मण, ऋषिमुनि और राजा लोग भी खेती करते ही थे। तो भी वर्णव्यवस्था के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य तीनों वर्णो में एकांगिता पायी जाती है। पहले इन के अंदर-अंदर शायद शादियाँ होती थीं, रोटी-व्यवहार तो होता ही था। बादमें रोटी-बेटी-व्यवहार बंद होनेसे एक-एक वर्ण अलग समाज बन गया। सामाजिक संगठन मजबूत न रहा, ढीला हो गया। 'क्षत्रिय हारे तो राष्ट्र हारा' ऐसी स्थिति हो गयी। आज हमारे समाज में वर्णाभिमान तो दीख पड़ता है, किंतु न किसी को वर्णोचित शिक्षा मिलती है, न कोई वर्ण अपने खास कर्तव्य का पालन करता दीख

पड़ता है।

समाज सेवा के लिए और आजीविका के लिए अपना परंपरागत पेशा चलाना चाहिए, ऐसा आग्रह शायद किसानों में और हरिजनों में दीख पड़ता है, बाकी सर्वत्र अनवस्था और अराजकता है। चातुर्वर्ण्य व्यवस्था राज्यशासन के द्वारा ही टिक सकती है, इसका स्वीकार हमारे पुरखों ने किया ही था।

गीता के समाजशास्त्र की बुनियाद में वर्णव्यवस्था है ही। ब्राह्मण, क्षत्रियों का श्रेष्ठत्व; स्त्रियों का, वैश्यों का और शूद्रों का प्राकृतत्त्व गीता ने मान ही लिया है। लेकिन, गीता ने जो ब्रह्मविद्या सिखायी है, योगशास्त्र अथवा जीवनकला बतायी है उसके लिए चार वर्णो की आवश्यकता दीख नहीं पड़ती। स्त्री, वैश्य और शूद्र वर्ण व्यवस्था ने भले ही निम्नकोटि के हों, उनके लिए गीता ने परागति का भी अधिकार बताया है।

समाज व्यवस्था के विवेचन में आजकल के अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ इसी बात की चिंता रखते हैं कि संपत्ति और सत्ताका न्यायोचित बँटवारा कैसा हो। गीता जैसे ग्रंथों का चिंतन दूसरे ही ढंग का है। उन्होंने गहराई में उतरकर बताया है कि समाज के उत्कर्ष के लिए समाज के भिन्न-भिन्न वर्गों का परस्पर संबंध कैसा हो और सब मिल करके कौन से सामाजिक सद्‌गुणों का अनुशीलन और विकास करें कि जिससे समाज का स्तर ऊँचा उठे...।

जब गीता का प्रणयन हुआ, तब भारत में वर्णाश्रम-प्रधान सनातन धर्म ही प्रचलित था। वर्ण जन्म से ही निश्चित होते थे। शूद्रों के प्रति इसमें बड़ा अन्याय हुआ। जब इस्लाम, ईसाई आदि धर्म बाहर से आये और भारत में दृढ़मूल हुए और बौद्ध तथा जैन सुधारकों ने (भले अंशत:) सामाजिक क्रांति की-तब सनातनियों ने जीवनक्रम में हार खाकर अपने को पुरातन रूढ़ि के कवच के अंदर सुरक्षित मानने की भूल की और तब गीताधर्म और उसका जीवन योग भी क्षीण हुए। किसी को भी समाजबाह्य करना खतरे की चीज है। जब हम किसी का बहिष्कार करते हैं, तब हम भी अपने को स्वेच्छा-बहिष्कृत और संकुचित बनाते हैं। अब हम उन गीतोक्त सामाजिक सद्‌गुणों का थोड़ा-सा चिंतन करें, जिन के द्वारा समाज की उन्नति होती है और दैवी संपत्का विकास होता है।

गीता के सोलहवें अध्याय में दैवी संपत् के छब्बीस प्रधान लक्षण बताये हैं। समाज के स्थैर्य के लिए, प्रगति और उत्कर्ष के लिए जिन सामाजिक सद्‌गुणों की आवश्यकता रहती है, उन्हीं की यह फिहरिस्त है। गीता ने अपने आदर्शपुरुष के लिए अनेक नाम दिये हैं और हरेक नाम के साथ उसके गुण भी दिये हैं। आदर्शपुरुष के लिए गीता ने नीचे के नाम पसंद किये हैं: (1) स्थितप्रज्ञ:, (2) त्रिगुणातीत, (3) पंडित, धीर और बुध, (4) भक्त, (5) योगी, (6) धर्मात्मा, (7 ज्ञानी, (8) तत्त्वदर्शी, (9) नित्य-सत्त्वस्थ, (10) मनीषी, (11) मैत्र, (12) समदर्शी, (13) सर्वभूतात्मभूतात्मा ।

इनमें से बहुत से नाम मोक्षार्थी व्यक्ति के लिए हैं। उनके गुणों में ब्रह्मचर्य जरूर आता है। इसके विपरीत दैवी संपत् के लक्षण किसी व्यक्तिगत जीवन के नहीं हैं, सर्वभूतहितेरत सामाजिक पुरुष के वे लक्षण हैं। समाज से संयम की और त्यागअकी भी अपेक्षा हम रख सकते हैं। किंतु पूर्ण ब्रह्मचर्य का अंतर्भाव सामाजिक सद्‌गुणों में नहीं किया जा सकता। दैवी संपत् के छब्बीस लक्षण बताते हुए भगवान ने उनमें ब्रह्मचर्य का नाम नहीं दिया, यह ध्यान खींचने की बात है।

समाज व्यवस्था के विवेचन में आजकल के अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ इसी बात की चिंता रखते हैं कि संपत्ति और सत्ता का न्यायोचित बँटवारा कैसा हो। गीता जैसे ग्रंथों का चिंतन दूसरे ही ढंग का है। उन्होंने गहराई में उतरकर बताया है कि समाज के उत्कर्ष के लिए समाज के भिन्न-भिन्न वर्गों का परस्पर संबंध कैसा हो और सब मिल करके कौन से सामाजिक सद्‌गुणों का अनुशीलन और विकास करें कि जिससे समाज का स्तर ऊँचा उठे, और हस्ती विश्वकल्याण के लिए पोषक साबित हो।

आज के अंतरराष्ट्रीय नीतिज्ञ, समाजशास्त्री और अर्थशास्त्री अगर इस बात पर ध्यान दें तो दुनिया के सब सवाल धीरे-धीरे हल हो जायेंगे।

गीता ने दैवी संपत् की चर्चा करते प्रथम स्थान दिया है- चारित्र्य-शुद्धि को। (चारित्र्य-शुद्धि के लिए गीता का

शब्द है श्सत्यरांशुद्धिः।) मनुष्य के और रामाज के व्यक्तित्व के सर्वश्व को अथवा अर्क को हमारी संस्कृति में 'सत्त्व' कहते हैं। मनुष्य का सत्त्व गया तो सब कुछ गया। शूद्र ने अगर सेवाभाव छोड़ा तो उसका सत्त्वच गया। वैश्य ने अगर ईमानदारी और वचन निष्ठा खो दी तो उसका सत्त्व गया। क्षत्रिय अगर रणांगण से भाग आया तो वह सत्त्वहीन हो गया। राजा अगर प्रतिज्ञादुर्बल हो गया तो वह गद्दी के ऊपर बैठने योग्य नहीं रहा। ब्राह्मण अगर तपोभ्रष्ट हुआ, स्वार्थी और विलासी हुआ, स्वाध्याय और प्रवचन में, ज्ञानोपासना में दत्तचित्त न रहा तो उसका ब्राह्मणत्व डूब गया। यह सब समझाकर हमारे संस्कृति-नेताओं ने सत्त्वसंशुद्धि पर अधिक से अधिक भार दिया। (इस सत्त्व के लिए शायद अंग्रेजी शब्द-Persona) सत्त्वसंशुद्धि को प्रथम स्थान देते गीताकार ने सोचा होगा कि सत्त्वसंशुद्धि पर वही व्यक्ति या समाज दृढ़ रह सकता है, जिसमें कायरता नहीं है। जो आदमी लोभ में फँस जाता है, शरीर रक्षा के लिए कायर बनता है, दूसरे के प्रभाव में आ जाता है वह निर्भय नहीं है, उसके चारित्र्य पर पूरा विश्वास नहीं रखा जाता। यह सब सोचकर गीता ने अभय को सत्त्वसंशुद्धि से भी प्रथम स्थान दिया।

पुराने जमाने में राजा के चारित्र्य पर देश का भलाबुरा निर्भर रहता था। (यथा राजा तथा प्रजा) अब प्रजातंत्र के दिन हैं, लोग चुनाव के द्वारा जिन्हें पसंद करते हैं, उन्हीं के हाथ सर्वसत्ता रहती है। अगर प्रजा लोभी और कायर है तो ऐसे ही नेताओं को वह पसंद करेगी। 'घूसखोरी नेस्तनाबूद करने के लिए क्या किया जाय?' इसकी चर्चा करने वाली एक परिषद्र में मुझे कहना पड़ा था कि चुनाव के समय मतदाता और मत मांगने वाले जैसा चारित्र्य प्रगट करते हैं, उससे ऊँचे चारित्र्य की आशा (सरकार से) कोई न रखे। इसलिए अब सारे समाज में सत्त्वसंशुद्धि का बढ़ना जरूरी है। उसके लिए निर्भयता जरूरी है। प्रजातंत्र का सूत्र ही नया है- यथा प्रजा तथा राज्यकर्ता ।

सामाजिक सद्गुणों में गीता ने यज्ञ को स्थान दिया है, इसकी ओर मैं आपका विशेष ध्यान खींचना चाहता हूँ, क्योंकि यज्ञ ही हमारी संस्कृति की बुनियाद है।

वैदिककाल में यज्ञ का अर्थ शायद अत्यंत संकुचित था। पशुओं को मारकर, उनके मांस की आहुति अग्नि को अर्पण कर, देवों को राजी करना और बचा हुआ मांस ब्राह्मणों के पेट में पहुँचाना यही, सामान्य अर्थ था यज्ञ शब्द का उस जमाने की जनता के मन में।

यज्ञ शब्द का अत्यंत व्यापक और भव्य अर्थ वैदिक मंत्रों से निकालना अशक्य नहीं है। लेकिन जब तक गवालंभ और अश्वालंभ चलते थे, तब तक यज्ञका अर्थ वही होता था। गीता ने यज्ञका अर्थ अत्यंत व्यापक करके बताया कि द्रव्ययज्ञ गौण वस्तु है, ज्ञानयज्ञ ही श्रेष्ठ हैं। (श्रेयान् द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञान-यज्ञः परंतप।) गीता ने द्रव्ययज्ञ, तपोयज्ञ, जपयज्ञ, ज्ञानयज्ञ, दैवयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, योगयज्ञ, नामयज्ञ ऐसे अनेक यज्ञ बताये हैं। गीता ने तो सारे विश्व में चलने वाले यज्ञचक्र को ही समझाया है। इस विश्व में सब तत्त्वों और सब सत्वों का परस्परावलंबन है, वे एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे पर आधार रखते हैं, परस्परावलंबन से ही विश्व का घटीचक्र चलता है। (जैनियों का सूत्र है-परस्पर उपग्रहो जीवानाम्) सृष्टिकी शक्तियों को हम देव कहते हैं। हम देवों की सेवा करें, भावना करें, देव हमारी भावना करें, इसी में सारे विश्व का श्रेय है।

गीता ने दैवी संपत् की चर्चा करते प्रथम स्थान दिया है- चारित्र्य-शुद्धि को। (बारित्र्य-शुद्धि के लिए गीता का शब्द है श्सत्यरांशुद्धिः।) मनुष्य के और रामाज के व्यक्तित्व के सर्वश्व को अथवा अर्क को हमारी संस्कृति में 'सत्त्व' कहते हैं। मनुष्य का सत्त्व गया तो सब कुछ गया। शूद ने अगर सेवाभाव छोड़ा तो उसका सत्त्वच गया।

देवान् भावयत अनेन; ते देवा भावयन्तु वः ।
परस्परं भावयन्तः (Symbiosis) श्रेयः परमवाप्स्यथ ।।

हम कुदरत से सेवा लेते हैं और कुदरत की उपयोगिता की शक्ति उस अंश में क्षीण करते हैं। इसलिए कुदरत का ऋण चुकाने के लिए हमें कुछ न कुछ करना चाहिए, वह है यज्ञकर्म। जब हम खेती करते हैं और जमीन से फसल पाते हैं, तब जमीन का कस कम हो जाता है। जमीन का यह जो नुकसान हमने किया, उसकी भरपाई करने के लिए हम खेत में खाद डालते हैं, यह है यज्ञकर्म।

शहरों के बड़े-बड़े मकानों में छत पर पानी की टंकी रहती है और रहनेवाले लोग पानी का उपयोग करके ऊपर की टंकी खाली कर देते हैं। अब फिर पंप चलाकर ऊपर की टंकी फिर से भर देना, यह है यज्ञकर्म। आकाश हमें बादलों के द्वारा पानी देता है। यह पानी वनस्पति और पशु-पक्षियों की सेवा करके नदी-नालों के द्वारा तालाब, सरोवर और समुद्र में पहुँच जाता है, तब सूर्य भगवान यज्ञकर्म के लिए प्रवृत्त होकर अपनी किरणों के द्वारा, वाष्प के रूप में, पानी को आकाश में ले जाते हैं और उसके बादल बनाते हैं। अगर इतना यज्ञकर्म सूर्यनारायण ने नहीं किया तो एक साल के अंदर आकाश का सारा पानी खत्म होगा और वनस्पति सृष्टि और प्राणिसृष्टि नष्ट हो जायेगी। यज्ञ के बिना सृष्टिका व्यापार चल नहीं सकता ।

सहयज्ञा: प्रजा: सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति:
अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वोऽस्त्विष्ट-कामधुक् ।।

भौतिक: सृष्टि, वनस्पतिसृष्टि, प्राणिसृष्टि और शरारती मानवी सृष्टि का परस्परावलंबन समझाने वाला एक नया विज्ञान पश्चिम की ओर प्रगट हुआ है जिसे Ecology कहते हैं। मैंने उसे नाम दिया है 'जीवसृष्टि की परस्परावलम्बी जीवनसाधना'। वही है यज्ञ-चक्र ।

पश्चिम के भौतिक शास्त्रियों ने निसर्ग को निचोने के अनेक प्रकार मनुष्य को सिखाये। ऐसे शोषण के द्वारा जो भयानक संकट मनुष्य जाति पर आनेवाला है, उसकी ओर ध्यान खींचने का काम Ecologist करने लगे हैं। Ecology वाला विज्ञान बिल्कुल नया ताजा है। इसको सौ वर्ष भी पूरे नहीं हुए हैं लेकिन उसने सारी मानवजाति को यज्ञधर्म सिखाने के महत्त्व का, पवित्र काम शुरू किया है।

हमारे आज के धर्माचार्य पुराने शास्त्रों का अर्थ करने में और उसकी चर्चा में ही मस्त, व्यस्त और ग्रस्त हैं। वे अगर एकोलोजी का अध्ययन करें तो उनको ज्ञानयज्ञ के लिए अच्छी और ठोस बुनियाद मिलेगी। एकालोजी के अध्ययन के लिए इन दिनों बहुत अच्छे-अच्छे ग्रंथ लिखे गये हैं, जिनकी मदद से हम अपने धर्मविचार मजबूत और प्रगतिशील कर सकते हैं। एकोलोजी के अध्ययन के लिए विदेश जाना भी जरूरी नहीं है। जहाँ भी हम रहते हैं, वहाँ सृष्टि का गहरा निरीक्षण करने की आवश्यकता है।

अब दैवी संपत्का और एक लक्षण देखें। जब सामाजिक सद्‌गुणों का नाश करने वाला अगर कोई बड़ा दोष है तो वह है द्रोह। दूसरे का नाश करने की इच्छा, दूसरे का अनिष्ट करने की कामना, और दूसरों के प्रति अन्याय करके अपना उल्लू सीधा करने की आदत, ये सर्व द्रोह के लक्षण हैं। द्रोह के जैसी असामाजिक वृत्ति दूसरी नहीं है, इसलिए गीता ने दैवी संपत्के अंदर अद्रोह को महत्त्व का स्थान दिया है। यहाँ पर याद आता है कि मनुष्य को अपने स्वार्थ के लिए, अपनी आजीविका के लिए दूसरे पर अपना कुछ न कुछ बोझ डालना ही पड़ता है। दूसरे का कुछ न कुछ द्रोह करना ही पड़ता है। इसलिए मनु भगवान ने कहा है-

अद्रोहेणैव भूतानामल्पद्रोहेण वा पुन: ।

जब हम भिक्षा माँगकर जीते हैं, तब भी समाज पर अपना थोड़ा सा बोझ डालते ही हैं, इसे अल्पद्रोह कहा है। जब हम गाय के बछड़े को एक आँचल का दूध देकर तीन आँचल का दूध स्वयं लेते हैं, तब उस द्रोह को हम अल्पद्रोह कहते हैं, क्योंकि हम बछड़े को भूखा न रखते हुए दूसरी चीजें खिलाते हैं। समाज में सफेदपोश लोग श्रमजीवियों का शोषण रूपी द्रोह करते ही हैं। उसको अल्पद्रोह कहकर संतोष मानने की पूँजीपति की आदत सब जानते हैं।

और एक महत्त्व का गुण -समाज के सब लोगों को आत्मीयता के द्वारा, परस्परावलंबन और सहयोग के द्वारा एकत्र रखने की वृत्ति और शक्ति को 'धृति' कहते हैं। एक उदाहरण से धृतिका अर्थ स्पष्ट होगा। शक्कर, नमक, थोथा आदि किसी रवादार चीजको जब हम गरम करते हैं। तब उसका भूजा बन जाता है, और देखते देखते उसका चूर्ण हो जाता है। लोग कहते हैं कि, जब वही चीज रवादार थी तब उसके कणों को एकत्र रखनेवाला एक तरह का पानी उसमें था। अंग्रेजी में उसे Water of Crystallization कहते हैं। चीज गरम करने से वह 'रवादारी पानी' निकल जाता है और भूजे का चूर्ण हो जाता है। यह 'रवादारी या रवाकारी' पानी ही रवे की धृति है। जब तक लोगों में परस्पर आत्मीयता रहती है तब तक उनका संघ या समाज बना रहता है। यह आत्मीयता खतम होते ही अंदर के सारे कण या व्यक्ति ढीले और तितर-बितर हो जाते हैं। परस्पर

आत्मीयता ही समाज की 'धृति' है। आत्मीयता और धैर्य, धृति के ही दो प्रकार हैं। इसलिए गीता ने सामाजिक सद्‌गुणों में धृति को स्थान दिया है।

सत्य और अहिंसा दोनों मिलकर एक ही सद्‌गुण मानना चाहिए। सत्य और अहिंसा ही सामाजिक जीवन की बुनियाद है। मनु भगवान कहते हैं, कि 'जिसने सत्य का अपलाप किया, उसने सब तरह की चोरी की।' हमारे जमाने में गांधीजी ने सत्य और अहिंसा के बारे में इतना लिखा है और सत्य और अहिंसा के आधार पर इतना पुरुषार्थ करके बताया है कि इन दो के बारे में मैं यहाँ पर विशेष कुछ नहीं कहूँगा। महात्माजी तो सत्य, अहिंसा, संयम और सेवा में मानवता का और सामाजिक जीवन का सर्वस्व देखते थे।

आजकल हम स्वातंत्र्य के उपासक और अभिमानी बने हैं। हम देखते हैं कि जिस राज्यव्यवस्था में प्रजा को दबाया जाता है, उसमें मानवताका उत्कर्ष नहीं होता। अकेले राजा की सत्ता हो या समस्त मजदूर वर्ग की साम्यवादी सत्ता हो, जहाँ प्रजा को दबाया जाता हो, वहाँ मानवता क्षीण होती है, इसीलिए आज का जमाना नागरिक के हरेक व्यक्ति के स्वातंत्र्य की रक्षा पर इतना जोर देता है। इतिहास कहता है कि स्वातंत्र्य के बिना प्रजा का उत्कर्ष हो नहीं सकता ।

अब धर्मशास्त्र स्वातंत्र्य का दूसरे ढंग से विचार करता है। धर्मशास्त्र कहता है कि मनुष्य के हृदय में अथवा स्वभाव में असामाजिक और हीन वृत्तियाँ भी होती हैं। उनको स्वातंत्र्य देने से मानवी जीवन चौपट हो जाता है। स्वतंत्रता तो आत्मा की ही होनी चाहिए। सात्त्विकता के वायुमंडल में ही स्वतंत्रता विकास के लिए पोषक बनती है, इसलिए गीता ने सत्त्वसंशुद्धि के साथ दम, ही (लज्जा, शरम), अलोलुप्त्वम्, शौचम् आदि संयमप्रधान सद्‌गुणों को दैवी संपत्में बढ़ावा दिया है। स्वार्थ, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, मत्सर आदि स्वाभाविक दोषों को स्वतंत्रता देने से अधर्म ही फैल जायेगा। उन दोषों को तो मुक्त न रखकर दबाना ही चाहिए। सत्त्वसंशुद्धि में यह सब कुछ आ जाता है।

समाज में चिंतनशक्ति और कार्यशक्ति दोनों का सप्रमाण विकास होना चाहिए। ज्ञानोपासना के बिना, और पुरुषार्थ के बिना समाज प्रगति नहीं कर सकता। इसीलिए गीता ने ज्ञान और योग की 'व्यवस्थिति याने दृढ़ता' पर भार दिया है। मनुष्य अपने आदर्श को भूल न जाय और समाज की प्रगति हो रही है या परागति इसकी छानबीन निरंतर कर सके, इसलिए 'स्वाध्याय की आवश्यकता है। 'आत्मपरीक्षण और आत्मजागृति के लिए स्वाध्याय' और 'सामाजिक शिक्षा के लिए प्रवचन' इन दोनों की महत्ता दैवी संपत् ने हमेशा मंजूर की है।

इंद्रियदमन के लिए तपश्चर्या करना एक बात है तथा ज्ञान और कौशल्य बढ़ाने के लिए पुरुषार्थरूपी तप करना दूसरी बात है। हमारे साधु लोगों ने इंद्रियदमन के लिए तरह-तरह की तपश्चर्याएं चलाई। उनमें से जो काम की थीं, उसका फल अच्छा हुआ ही। जो तपश्चर्या अंधी और बेमतलब थी, उससे (अलिंग तपस् से) तो समाज को लाभ कुछ न हुआ, तपस्वी के अहंकार को ही बढ़ावा मिला और समाज को उसने अंधभक्ति सिखायी।

मानव समाज में युद्ध, संघर्ष, ईर्ष्या आदि को टालकर शांति की उपासना बढ़नी चाहिए। इस बात को आज का जमाना पुकार-पुकार कर दोहरा रहा है। इसलिए दैवी संपत में शांति का महत्त्व विशेष रूप से या अधिक समझाने की आवश्यकता न होनी चाहिए।

इसी तरह दैवी संपत्तिके समस्त छब्बीस गुणों का चिंतन हम कर सकते हैं।

गीता ने यह जो नैतिक-आध्यात्मिक समाजशास्त्र सिखाया है, इसकी ओर लोगों का, गीताप्रेमियों का भी पूरा ध्यान नहीं गया है, यह आश्चर्य और दुःख की बात है।

दैवी संपत्का और एक लक्षण है भूतदया।

दंयाभूतेषु का पूरा भाव मनुष्य तभी समझेगा, जब उसे पता चलेगा कि सारी जीवसृष्टि एक विराट समाज ही है। जीवसृष्टि का अद्वैत-एकता समझे बिना मनुष्य यज्ञधर्म को न समझेगा, न चला सकेगा। आज मानवजाति का इतना विकास नहीं हुआ है। अभी तक मनुष्य (अधिकांश मनुष्य) पशु-पक्षियों को और मछली आदि जलचरों को मारकर खा रहा है। मांसाहारी लोग भी जीव दया में, भूतदया में मानते हैं, लेकिन मांसाहार छोड़ नहीं सकते। जो लोग मांसाहार नहीं करते, उनमें जीव दया अथवा भूत दया अधिक है, ऐसा भी सार्वत्रिक अनुभव नहीं है। ऐसी हालत

में कोई अपनेको श्रेष्ठ न माने, दूसरे को कनिष्ठ न माने, सामाजिक व्यवहार में हम एक-दूसरे का बहिष्कार न करें और भूतदया बढ़ाते जायें। 'मनुष्य-मनुष्य के बीच मानवता की और आत्मीयता की स्थापना हुई तो हमने अपने युगका काम किया' ऐसा संतोष मानने के ये दिन हैं। मांसाहारी लोगों का तिरस्कार और बहिष्कार करके हम लोग भूतदया का विस्तार नहीं कर सके, इतना समझकर इस सारे विषय का नये सिरे से चिंतन करना चाहिए। एकोलॉजी की मदद लेकर अगर हम स्वतंत्र चिंतन कर सकें तो सही रास्ता हमें किसी दिन जरूर मिल जायेगा।

गीता के समाजशास्त्र का पूरा विवरण करने का यहाँ उद्देश्य नहीं है, इसलिए गीता के आदर्श के अनुसार समाज रचना कैसी हो, वर्णव्यवस्था उसमें कहाँ तक मददगार हो सकती है और सामाजिक उत्कर्ष के लिए कौन से सद्‌गुणों का गीता पुरस्कार करती है, यही यहाँ बताना था। वेदांत की ब्रह्मविद्या अच्छी तरह से समझकर, उसे अमल में लाते हुए सांसारिक जीवन कैसे जीना चाहिए, क्या करना चाहिए और समाज की उन्नति किसमें है यह सब बताते हुए भगवान ने दैवी संपत का आदर्श दुनिया के सामने रखा; और मानवजाति के लिए स्वाभाविक आसुरी संपत्के दोष भी बताये ।

ऐसा करते मनुष्य समाज में कौन से सामाजिक सद्‌गुणों का विकास अभीष्ट है, सो भी भगवान ने बताया और वैदिक संस्कृति के आदर्शों का उन्नयन भी किया। गीता का यह जीवन योग केवल व्यक्ति के लिए नहीं, समाज के उत्कर्ष और उद्धार के लिए भी है। मनुष्य को 'सर्व-भूत-हिते-रत' रहकर अपना जीवन यज्ञ, दान, तप में व्यतीत करना है। इतना सब समझाने के साथ भगवान ने अपना ही उदाहरण दिया है।

भगवान कहते हैं, 'मोक्ष पाने के लिए तो मुझे कोई साधना करनी नहीं है। मेरा जीवनयोग ही मेरा अवतार कार्य है। जब-जब सामाजिक धर्म की और मानवीय संस्कृति की ग्लानि यानी अवनति होती है और अधर्म बढ़ने पर सर्वत्र अधोगति होती है, तब मनुष्य जाति के सामने एक नया आदर्श रखने के लिए, उन्नति के तत्त्वों को बढ़ावा देने के लिए और प्रगति-विघातक तत्त्वों का नाश करने के लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करके मनुष्य के बीच रहकर मानवजाति को बताता हूँ कि नयी परिस्थितिमें सामाजिक उन्नति के कौन से आदर्श अमल में लाने चाहिए।' भगवान इस कार्य को धर्म-संस्थापना कहते हैं।

जिस तरह अंगीठी को तेज रखने के लिए उसमें नये-नये कोयले डालते हैं और अंगार पर इकट्ठा होने वाली राख को हटाने के लिए और अग्नि को तेज बनाने के लिए धोंकनी चलाते हैं, उसी तरह समाज को नीचे खींचने वाले तत्त्वों का नाश करके उन्नति के तत्त्वों को प्रोत्साहन देना जरूरी होता है। ऐसा कार्य जो करते हैं और संस्कृति में नवजीवन लाकर मानवी जीवन का विकास करते हैं, उनको 'ईश्वरी अंश' समझकर जनता उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती है, उन्हें अवतार के रूपमें पहचानती है। गांधीजी ने इस चीज को नीचे के शब्दों में समझाया है-'

'अवतार के मानी है शरीरधारी विशेष पुरुष। यूँ तो जीवमात्र ईश्वर का अवतार है, लेकिन लौकिक भाषा में सबको हम अवतार नहीं कहते। जो पुरुष अपने युग में सर्वश्रेष्ठ धर्मवान् है, उसे भविष्य की प्रजा अवतार के रूप में पूजने लगती है। इसमें मुझे कोई दोष नहीं दीख पड़ता। इसमें न तो ईश्वर के बड़प्पन में कमी आती है न सत्य को आघात पहुँचता है। 'आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूरसे आदम जुदा नहीं।' जिसमें धर्मजागृति अपने युगमें सबसे अधिक है, वह विशेषावतार है। इस विचार श्रेणी से कृष्ण रूपी संपूर्ण अवतार का आज हिंदूधर्म में साम्राज्य है।'

गीता में भगवान कहते हैं कि मेरा काम हर युग में मनुष्य समाज के लिए संतोष कारक नयी जीवन-व्यवस्था बताने का है। मनुष्य-समाज का स्वभाव ही है कि वह जिसे आदर्श पुरुष या अवतार के रूप में मान्य करता है, उसी के पीछे वह चलता है।

मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ ! सर्वशः । गीता की इस अवतार मीमांसा से भी स्पष्ट है कि ब्रह्मविद्यामूलक गीता का जीवनयोग मनुष्यसमाज के उन्नति की लिए दैवीसंस्कृति का पुरस्कार करता है। गीता ही हमारे अध्यात्मपरायण समाजशास्त्र की बुनियाद है।

'कहने से करना अच्छा': स्वच्छाग्रही महात्मा गांधी

सौरव कुमार राय

सन 1901 की बात है। उस वर्ष कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कलकत्ता में होना था, जिसमें कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता शामिल होने वाले थे। दीनशा एदलजी वाच्छा उसके अध्यक्ष थे। उसी साल 32 साल का एक नौजवान वकील जो दक्षिण अफ्रीका में गिरमिटिया मजदूरों के बीच कई वर्षों से काम कर रहा था, कांग्रेस की बैठक में शामिल हुआ। उसका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। यह गांधीजी के लिए कांग्रेस का पहला अनुभव था। इस अधिवेशन के दौरान अपने अनुभवों का उल्लेख करते हुए महात्मा गांधी अपनी आत्मकथा 'सत्य के प्रयोग' में लिखते हैं कि रिपन कॉलेज में जहाँ बहुत से प्रतिनिधियों को ठहराया गया था वहाँ गंदगी की कोई हद नहीं थी। चारों तरफ पानी ही पानी फैल रहा था। पाखाने कम थे। उनकी दुर्गन्ध की याद आज भी मुझे हैरान करती है। मैंने एक स्वयंसेवक को यह सब दिखाया। लेकिन उसने साफ इनकार करते हुए कहा, 'यह तो भंगी का काम है।' मैंने इस पर उससे झाड़ू माँगा। वह मेरा मुँह ताकता रहा। मैंने झाड़ू खोज निकाला। पाखाना साफ किया। पर यह तो मेरी अपनी सुविधा के लिए हुआ। भीड़ इतनी ज्यादा थी और पाखाने इतने कम थे कि हर बार के उपयोग के बाद उनकी सफाई होनी जरूरी थी। लेकिन मैंने देखा कि दूसरों को यह गंदगी जरा भी अखरती नहीं थी।

यह कोई पहली बार नहीं था जब गांधीजी अपनी आत्मकथा में स्वच्छता के प्रति हिंदुस्तानियों के रवैये पर चिंता व्यक्त करते हैं। जब वे दक्षिण अफ्रीका में थे तब भी वहाँ रहने वाले हिंदुस्तानियों पर औपनिवेशिक सरकार द्वारा प्राय: लगाए जाने वाले एक आरोप से उन्हें दो-चार होना पड़ता था। हिंदुस्तानियों पर जब-तब यह आरोप लगाया जाता था कि वे अपने घर-बार साफ नहीं रखते और बहुत गंदे तरीके से रहते हैं। प्लेग जैसी महामारी के फैलने के पीछे भी हिंदुस्तानियों के इस गंदे रहन-सहन को जिम्मेदार ठहराया जाता। गांधीजी के अनुसार यह आरोप पूरी तरह से निराधार भी नहीं था। स्वच्छता को लेकर हिंदुस्तानियों की उदासीनता को उन्होंने भी महसूस किया। इसीलिए उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में सफाई-आंदोलन की भी शुरुआत की। इसका आरंभ उन्होंने हिंदुस्तानियों के मुखिया माने जानेवाले लोगों के घरों से किया जो कालांतर में घर-घर घूमने के सिलसिले में तब्दील हो गया।

यह गांधीजी के लिए कांग्रेस का पहला अनुभव था। इस अधिवेशन के दौरान अपने अनुभवों का उल्लेख करते हुए महात्मा गांधी अपनी आत्मकथा 'सत्य के प्रयोग' में लिखते हैं कि रिपन कॉलेज में जहाँ बहुत से प्रतिनिधियों को ठहराया गया था वहाँ गंदगी की कोई हद नहीं थी। चारों तरफ पानी ही पानी फैल रहा था। पाखाने कम थे। उनकी दुर्गन्ध की याद आज भी मुझे हैरान करती है।

सफाई का शास्त्र

महात्मा गांधी का यह मानना था कि यदि हम पश्चिम से कोई एक चीज सीख सकते हैं तो वह है 'सफाई का शास्त्र'। उनकी नजरों में पश्चिम के लोगों ने सामुदायिक आरोग्य और सफाई का एक शास्त्र ही तैयार कर लिया है, जिससे हमें बहुत कुछ सीखना है। बेशक, सफाई की पश्चिम की पद्धतियों को अपनी आवश्यकतानुसार ढाला जा सकता है (यंग इंडिया, 26 दिसम्बर 1924)। महात्मा गांधी के अनुसार भगवान के प्रेम के बाद महत्व की दृष्टि से दूसरा स्थान स्वच्छता के प्रेम का ही है। जिस प्रकार हमारा मन मलिन हो तो हम भगवान का प्रेम सम्पादित नहीं कर सकते, उसी तरह हमारा शरीर मलिन हो तो भी हम उसका आशीर्वाद नहीं पा सकते (यंग इंडिया, 19 नवम्बर 1925)।

अपनी किताब 'सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका' में गांधीजी एक जगह लिखते हैं: 'अगर मैले का ठीक-ठीक उपयोग किया जाये, तो हमें लाखों रुपयों की कीमत का खाद मिले और साथ ही कितनी ही बीमारियों से मुक्ति मिल जाये। अपनी गन्दी आदतों से हम अपनी पवित्र नदियों के किनारे बिगाड़ते हैं और मक्खियों की पैदाइश के लिए बढ़िया जमीन तैयार करते हैं। परिणाम यह होता है कि हमारी दण्डनीय लापरवाही के कारण जो मक्खियाँ खुले मैले पर बैठती हैं, वे ही हमारे नहाने के बाद हमारे शरीर पर बैठती हैं और उसे गन्दा बनाती हैं। इस भयंकर गंदगी से बचने के लिए कोई बड़ा साधन नहीं चाहिए, मात्र मामूली फावड़े का उपयोग करने की जरूरत है। जहाँ-तहाँ शौच के लिए बैठ जाना, नाक साफ करना या सड़क पर थूकना ईश्वर और मानव-जाति के खिलाफ अपराध है और दूसरों के प्रति लिहाज की दयनीय कमी प्रकट करता है। जो आदमी अपनी गंदगी को ढकता नहीं है वह भारी सजा का पात्र है, फिर चाहे वह जंगल में ही क्यों न रहता हो।'

चंपारण से किया स्वच्छता अभियान का श्रीगणेश

दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी के बाद 1917 में अपने प्रथम सत्याग्रह के दौरान ही गांधीजी ने चंपारण की धरती से निलहों व औपनिवेशिक हुकूमत के विरुद्ध लड़ाई के साथ-साथ स्वच्छता आंदोलन का भी श्रीगणेश किया। गांधीजी के अनुसार साफ-सफाई का काम राजनीतिक आंदोलन खड़ा करने के कार्य से भी ज्यादा कठिन था। लोग गंदगी दूर करने को तैयार नहीं थे। जो लोग रोज खेतों की मजदूरी करते थे, वे भी अपने हाथ से मैला साफ करने को तैयार न थे। इस पर गांधीजी के नेतृत्व में स्वयंसेवकों की टोली ने गाँव के रास्तों की सफाई की, लोगों के आँगनों से कचरा साफ किया, कुँओं के आसपास के गड्ढे भरे, कीचड़ निकाला और गाँववालों को इस नेक काम के लिए स्वयंसेवक देने की बात प्रेमपूर्वक समझाते रहे। इसका असर यह हुआ कि कुछ स्थानों पर लोगों ने शर्म में पड़कर साफ-सफाई करना शुरू कर दिया और कहीं-कहीं तो लोगों ने गांधीजी के मोटर के आने-जाने के लिए अपनी मेहनत से सड़कें भी तैयार कर दीं। हालांकि गांधीजी लिखते हैं कि सफाई की बात सुनकर कुछ जगहों में लोगों ने अपनी नाराजगी भी प्रकट की थी।

दरअसल गांधीजी के अनुसार मूल समस्या यह है कि हमने राष्ट्रीय या सामाजिक सफाई को न तो जरूरी गुण माना, और न ही उसका विकास किया। इस बुरी आदत के कारण हम अपने ढंग से नहा-भर तो लेते हैं, मगर जिस नदी, तालाब या कुँए के किनारे हम श्राद्ध या वैसी ही दूसरी कोई धार्मिक क्रिया करते हैं, और जिन जलाशयों में पवित्र होने के विचार से हम नहाते हैं, उनके पानी को बिगाड़ने या गन्दा करने में हमें कोई हिचक नहीं होती। हमारी इस कमजोरी को गांधीजी एक बड़ा दुर्गुण मानते थे। इस दुर्गुण का ही यह नतीजा है कि हमारे गाँवों और शहरों की, हमारी पवित्र नदियों के पवित्र तटों की आज लज्जाजनक दुर्दशा है और गन्दगी से पैदा होने वाली बीमारियाँ हमें भोगनी पड़ती हैं।

गंगा व तीर्थस्थलों की सफाई

गंगा व अन्य नदियों की स्वच्छता के लिए भी गांधीजी बहुत चिंतित रहते थे और लोगों से नदियों को स्वच्छ रखने की अपील समय-समय पर करते थे। वे 1915 में जब हरिद्वार गए तो प्रकृति की सुंदरता देखकर बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन गंगा किनारे मानव द्वारा फैलाई गंदगी से उनकी प्रसन्नता काफूर हो गई। नाराज होकर वे अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, 'ऋषिकेश और लक्ष्मण झूले के प्राकृतिक दृश्य मुझे बहुत पसंद आए। परन्तु दूसरी ओर मनुष्य की कृति को वहां देख चित्त को शांति न हुई। हरिद्वार की तरह ऋषिकेश में भी लोग रास्तों को और गंगा के सुन्दर किनारों को गन्दा कर डालते थे। गंगा के पवित्र पानी को बिगाड़ते हुए उन्हें कुछ संकोच न होता था। दिशा-जंगल जाने वाले आम जगह और रास्तों पर ही बैठ जाते थे, यह देख कर मेरे चित्त को बड़ी चोट पहुँची।'

आत्मकथा में ही वे हरिद्वार की अपनी दूसरी यात्रा का उल्लेख करते हुए लिखते हैं,'इस बार की यात्रा में भी मैंने हरिद्वार की इस दशा में कोई ज्यादा सुधार नहीं पाया। पहले की भांति आज भी धर्म के नाम पर गंगा की भव्य और निर्मल धार गंदली की जाती है। गंगा तट पर, जहाँ पर ईश्वर-दर्शन के लिए ध्यान लगा कर बैठना शोभा देता है, पाखाना-पेशाब करते हुए असंख्य स्त्री-पुरुष अपनी मूढ़ता और आरोग्य के तथा धर्म के नियमों को भंग करते हैं। तमाम धर्म-शास्त्रों में नदियों की धारा, नदी-तट, आम सड़क और यातायात के दूसरे सब मार्गों को गंदा करने की मनाही है। विज्ञान शास्त्र हमें सिखाता है कि मनुष्य के मलमूत्रादि का नियमानुसार उपयोग करने से अच्छी से अच्छी खाद बनती है। यह तो हुई प्रमाद और अज्ञान के कारण फैलने वाली गंदगी की बात। धर्म के नाम पर जो गंगा-जल बिगाड़ा जाता है, सो तो जुदा ही है। विधिवत् पूजा करने के लिए मुझे हरिद्वार में एक नियत स्थान पर ले जाया गया। जिस पानी को लाखों लोग पवित्र समझ कर पीते हैं उसमें फूल, सूत, गुलाल, चावल, पंचामृत वगैरा चीजें डाली गईं। जब मैंने इसका विरोध किया तो उत्तर मिला कि यह तो सनातन से चली आयी एक प्रथा है। इसके सिवा मैंने यह भी सुना कि शहर के गटरों का गंदला पानी भी नदी में ही बहा दिया जाता है, जो कि एक बड़े से बड़ा अपराध है।'

महात्मा गांधी केवल हरिद्वार ही नहीं अन्य पावनस्थलों पर भी गंगा की गंदगी को लेकर चिंतित रहते थे और लोगों को समझाते रहते थे। जब उन्हें पता चला कि इलाहाबाद में भी नगरपालिका गंदे नाले का पानी गंगा में डाल रही है, तब उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया और कहा कि 'इस संबंध में कुछ कर सकने में बोर्ड की असमर्थता देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य होता है।'

हरिद्वार के साथ-साथ काशी में मौजूद गंदगी को लेकर भी महात्मा गांधी काफी चिंतित रहे। वे लगभग दसेक बार काशी आये। लेकिन यहाँ की तंग गलियों और गंदगी से वे दु:खी रहते थे। उनका सपना था कि बाबा विश्वनाथ की धरती साफ सुथरी हो, ताकि यहाँ आने वाले लोगों को अच्छा अनुभव हो। 1902 में अपनी प्रथम काशी

यात्रा के बारे में महात्मा गांधी लिखते हैं, 'मैं काशी विश्वनाथ के दर्शन करने गया, वहाँ जो कुछ देखा, उससे मुझे दुःख ही हुआ। संकरी फिसलन वाली गली से होकर जाना था। शान्ति का नाम भी नहीं था। मक्खियों की भिनभिनाहट तथा यात्रियों और दुकानदारों का कोलाहल मुझे असह्य प्रतीत हुआ।... मंदिर में पहुँचने पर दरवाजे के सामने बदबूदार सड़े हुए फूल मिले। अंदर बढ़िया संगमरमर का फर्श था। पर किसी अंधश्रद्धालु ने उसे रुपयों से जड़वाकर खराब कर डाला था और रुपयों में मैल भर गया था।' गांधीजी आगे लिखते हैं कि मैंने वहाँ ईश्वर को खोजा, पर वह न मिला। दूसरे शब्दों में, उनके अनुसार, जहाँ गंदगी हो वहाँ ईश्वर का वास हो ही नहीं सकता।

इसी प्रकार 4 फरवरी 1916 को काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के शिलान्यास समारोह में दिए गये अपने चर्चित भाषण में भी गांधीजी कहते हैं, 'कल शाम मैं विश्वनाथ मंदिर दर्शन के लिए गया था। उन गलियों में चलते हुए मेरे मन में खयाल आया कि यदि कोई अजनबी एकाएक ऊपर से इस मन्दिर पर उतर पड़े और यदि उसे हम हिन्दुओं के बारे में विचार करना पड़े तो क्या हमारे बारे में कोई छोटी राय बना लेना उसके लिए स्वाभाविक न होगा? क्या यह महान् मन्दिर हमारे अपने आचरण की ओर उँगली नहीं उठाता? मैं यह बात एक हिन्दू की तरह बड़े दर्द के साथ कह रहा हूँ। क्या यह कोई ठीक बात है कि हमारे पवित्र मन्दिर के आसपास की गलियाँ इतनी गन्दी हों? उसके आसपास जो घर बने हुए हैं वे बे-सिलसिले और चाहे-जैसे हों। गलियाँ टेढ़ी-मेड़ी और सँकरी हों। अगर हमारे मन्दिर भी सादगी और सफाई के नमूने न हों तो हमारा स्वराज्य कैसा होगा? चाहे खुशी से चाहे लाचारी से अंग्रेजों का बोरिया-बस्ता बंधते ही क्या हमारे मन्दिर पवित्रता, स्वच्छता और शान्ति के धाम बन जायेंगे?'

तीसरे दर्जे की विडम्बना

महात्मा गांधी एवं रेलगाड़ियों का अनूठा संबंध रहा है। यह गौरतलब है कि भारत आगमन के बाद गांधीजी सदैव तीसरे दर्जे के रेल डिब्बे में सफर किया करते थे। इसके पीछे उनका उद्देश्य देश की आम जनता से संपर्क स्थापित करना था। गांधीजी भारतीय रेल के तीसरे दर्जे के रेलडिब्बे में फैली गंदगी से भी काफी परेशान रहते थे। अपनी आत्मकथा में वे एकाधिक स्थानों पर इसका उल्लेख भी करते हैं। यहाँ तक कि गांधीजी की आत्मकथा में एक अध्याय का शीर्षक ही 'तीसरे दर्जे की विडम्बना' है जहाँ वे तीसरे दर्जे में सफर करने वाले यात्रियों को क्या-क्या झेलना पड़ता है इसकी बानगी प्रस्तुत करते हैं।

आत्मकथा में ही गांधीजी एक जगह लिखते हैं, 'पहले और तीसरे दर्जे के बीच सुभीतों का फरक मुझे किराये के फरक से कहीं ज्यादा जान पड़ा। तीसरे दर्जे के यात्री भेड़-बकरी समझे जाते हैं और सुभीते के नाम पर उनको भेड़-बकरियों के से डिब्बे मिलते हैं।'गांधीजी तीसरे दर्जे के डिब्बों में गंदगी और पाखानों की बुरी हालत को लेकर विशेष तौर से दुःखी रहते थे। इसके लिए वे तीसरे दर्जे में सफर करने वाले यात्रियों की गंदी आदतों को ज्यादा जिम्मेदार मानते थे। वे लिखते हैं, 'रेलवे-विभाग की ओर से होनेवाली इन असुविधाओं के अलावा यात्रियों की गंदी आदतें सुघड़ यात्री के लिए तीसरे दर्जे की यात्रा को दंड-स्वरूप बना देती हैं। चाहे जहाँ थूकना, चाहे जहाँ कचरा डालना, चाहे जैसे और चाहे जब बीड़ी पीना, पान-तंबाकू चबाना और जहाँ बैठे वहीं उसकी पिचकारियाँ छोड़ना, फर्श पर जूठन गिराना, चिल्ला-चिल्लाकर बातें करना, पास में बैठे हुए आदमी की सुख-सुविधा का विचार न करना और गंदी बोली बोलना - यह तो सार्वत्रिक अनुभव है।'

भारतीय रेल के तीसरे दर्जे में सफर व स्वच्छता की स्थिति को लेकर बीसवीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों को याद करते हुए लिखे गये महात्मा गांधी के यह संस्मरण आज भी प्रासंगिक जान पड़ते हैं। गांधीजी के अनुसार तीसरे दर्जे में व्याप्त इस महाव्याधि का एक ही उपाय है, और वह यह है कि शिक्षित समाज को तीसरे दर्जे में ही यात्रा करनी चाहिए और लोगों की आदतें सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए।

रचनात्मक कार्यक्रम व स्वच्छता

स्वच्छता के प्रति महात्मा गांधी के आग्रह की झलकियाँ उनके रचनात्मक कार्यक्रम में भी देखी जा सकती है। 'गाँवों की सफाई' गांधीजी द्वारा प्रस्तावित 18-सूत्री रचनात्मक कार्यक्रम का अभिन्न अंग है। इस संदर्भ में वे लिखते हैं: 'श्रम और बुद्धि के बीच जो अलगाव हो गया है, उसके कारण हम अपने गाँवों के प्रति इतने लापरवाह हो गये हैं कि वह एक गुनाह ही माना जा सकता है। नतीजा यह हुआ कि देश में जगह-जगह सुहावने और मनभावने छोटे-छोटे गाँवों के बदले हमें घूरे-जैसे गाँव देखने को मिलते हैं। बहुत से या यों कहिये

कि करीब–करीब सभी गाँवों में घुसते समय जो अनुभव होता है, उससे दिल को खुशी नहीं होती। गाँव के बाहर और आसपास इतनी गंदगी होती है और वहाँ इतनी बदबू आती है कि अक्सर गाँव में जाने वाले को आँख मूंदकर और नाक दबाकर जाना पड़ता है। ज्यादातर कांग्रेसी गाँव के बाशिन्दे होने चाहिए; अगर ऐसा हो तो उनका फर्ज हो जाता है कि वे अपने गाँवों को सब तरह से सफाई के नमूने बनायें। लेकिन गाँववालों के हमेशा के यानी रोज–रोज के जीवन में शरीक होने या उनके साथ घुलने–मिलने को उन्होंने कभी अपना कर्तव्य माना ही नहीं।'

इसी प्रकार शहरों की सफाई के बारे में चर्चा करते हुए महात्मा गांधी कहते हैं, 'गाँवों में तो हम कई बातें किसी किस्म का खतरा उठाये बिना कर सकते हैं। लेकिन शहरों की घनी आबादीवाली तंग गलियों में, जहाँ सांस लेने के लिए साफ हवा भी मुश्किल से मिलती है, हम ऐसा नहीं कर सकते। वहाँ का जीवन दूसरे प्रकार का है और वहाँ हमें सफाई के ज्यादा बारीक नियमों का पालन करना चाहिये। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? भारत के हर एक शहर के मध्यवर्ती भागों में सफाई की जो दयनीय स्थिति दिखायी देती है, उसकी जिम्मेदारी हम म्युनिसिपैलिटी पर नहीं डाल सकते। और मेरा खयाल है कि दुनिया की कोई भी म्युनिसिपैलिटी लोगों के अमुक वर्ग की उन आदतों का प्रतिकार नहीं कर सकती, जो उन्हें पीढ़ियों की परम्परा से मिली हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हम अपनी म्युनिसिपैलिटियों से यह उम्मीद करते हों कि इन बड़े शहरों में जो सफाई–सम्बन्धी सुधार का सवाल पेश है उसे वे इस स्वेच्छापूर्ण सहयोग की मदद के बिना ही हल कर लेंगी तो यह संभव नहीं है।'

अतः हम यह देख सकते हैं कि गांधीजी स्वच्छता का कार्य सिर्फ सरकार पर न छोड़कर इसके लिए व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित करने के हिमायती थे। वे चाहते थे कि स्वच्छता सभी के स्वभाव व संस्कार का अन्योन्य हिस्सा बने।

स्वच्छता का आदर्श प्रस्तुत करते महात्मा

महात्मा गांधी हमेशा सफाई का बहुत ध्यान रखा करते थे। बाहर की सफाई तो वे चाहते ही थे, मगर अंदर की सफाई भी उनके कामों का एक खास अंग रहती थी। यदि कोई काम सफाई से न हुआ हो तो बार–बार टोकने के बजाय वे अपने हाथ से करके सामने वाले को सफाई का सबक सिखाते थे।

इस संदर्भ में एक दिलचस्प प्रसंग का उल्लेख मनुबहन गांधी अपने संस्मरण 'बापू–मेरी माँ' में करती हैं। बापू की नोआखली यात्रा को याद करते हुए वे लिखती हैं:'नोआखली के रास्ते तो संकरी पगडण्डिया थीं। उनमें कोई तो इतनी संकरी होती कि मैं भी बापू के साथ नहीं चल सकती थी। अकेले बापूजी को ही चलना पड़ता था। मेरा सहारा न मिलने के कारण एक हाथ में उन्हें सहारे के लिए लाठी रखनी पड़ती थी। रास्तों में जहाँ–तहाँ थूक, मलमूत्र वगैरह गंदगी दिखाई देती, तो बापू को बहुत दर्द होता था। उसके बीच हमें नंगे पैर चलना पड़ता था।'

मनुबहन आगे लिखती हैं कि एक दिन आस–पास के सूखे पत्ते लेकर बापू पगडण्डी पर पड़ा हुआ मैला अपने हाथों साफ करने लगे। गाँव के लोग देखते ही रह गए। मैं जरा पीछे चल रही थी। जब मैंने देखा तो मैं भी हैरान हो गई। मैंने गुस्से से कहा –'बापू, आप मुझे क्यों शरमा रहे हैं? मैं पीछे ही थी, फिर भी आपने मुझे न कहकर खुद ही क्यों साफ कर लिया?'

इसके जवाब में बापू हंसे और कहने लगे,'तुम कहाँ जानती हो कि मुझे इन कामों में कितना आनंद आता है? मैं तुम्हें कहूँ उसके बजाय यदि खुद ही कर डालूँ, तो उसमें मुझे कितनी कम तकलीफ हो?'मैंने कहा 'मगर गाँव के लोग जो देख रहे हैं!' बापू ने कहा–'देखना, कल से मुझे इस तरह गंदे रास्ते साफ न करने पड़ेंगे। क्योंकि आज के प्रसंग से इन लोगों को सबक मिलेगा कि यह काम भी कोई हलका नहीं हैं।'

इस प्रकार महात्मा गांधी स्वच्छता के प्रति अपने आग्रह को लेकर जीवन के अंतिम वर्षो तक सक्रिय रहे और अपने क्रियाकलापों द्वारा जनता के समक्ष उच्च आदर्श प्रस्तुत करते रहे। उन्होंने स्वच्छता के महत्व को जन–जन तक पहुँचाने का भरपूर प्रयत्न किया। कई मायनों में उन्हें 'प्रथम स्वच्छाग्रही' भी कहा जा सकता है। अपने आस–पास सफाई रखकर व स्वच्छता के मंत्र को अपने स्वभाव एवं संस्कार में उतारकर ही हम महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं।

(लेखक गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के शोध अधिकारी हैं।)

संपर्क:

मो. 9717659097

गांधी और पत्रकारिता

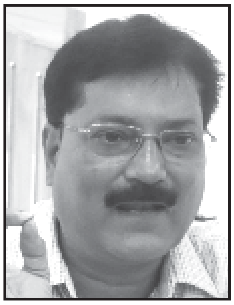

डॉ अंजनी कुमार झा

पत्रकारिता के गिरते स्तर पर हो रही बहस को अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। समाचार और विचार में मिट रहे अंतर के साथ भ्रामक सूचनाओं से गलतफहमियाँ बढ़ रही हैं। इस गंभीर सवाल का जवाब गांधीजी ने यंग इंडिया के 6 अक्तूबर, 1921 के अंक में दिया– हमें समाचारपत्र तथ्यों के अध्ययन के लिए पढ़ने चाहिए, उन्हें यह अनुमति नहीं देनी चाहिए कि वे हमारे स्वतंत्र चिंतन को समाप्त करें। उनके विचार में पत्रकारिता का वास्तविक अर्थ जनमानस को शिक्षित करना है, न कि जनमानस को आवश्यक–अनावश्यक विचार–भंडार बनाना। 18 अगस्त, 1946 को हरिजन में लिखा–पत्रकारिता मेरा प्रोफेशन नहीं है। बापू के अनुसार एक पत्रकार का विशिष्ट विलक्षण कार्य देश के मानस को पढ़ना है और उस मानस को निश्चित और भयमुक्त अभिव्यक्ति प्रदान करना है। एम. वी. कामथ लिखते हैं कि गांधी इस प्रकार लिखते थे कि प्रत्येक व्यक्ति उसे समझ सके। पत्रकारिता का एकमात्र उद्देश्य सेवा होना चाहिए। उन्होंने स्वीकार किया कि इंडियन ओपिनियन के बिना सत्याग्रह असंभव था। उनकी दृष्टि में संपादक का कद बड़ा था, बड़ा होना चाहिए भी। महात्मा जी ने डेढ़ करोड़ से भी ज्यादा शब्द लिखे। उनकी पत्रकारिता का इतिहास 4 जून, 1903 से आरम्भ होता है, जब इंडियन ओपिनियन का पहला अंक प्रकाशित हुआ और इस प्रवेशांक में उनका अग्रलेख 'अपनी बात' चार भाषाओं में प्रकाशित हुआ। इंग्लैंड में बैरिस्टरी के लिए जाने से पूर्व कभी अखबार नहीं पढ़ा था। दलपतराम शुक्ल के सुझाव पर अंग्रेजी समाचार पत्र पढ़ना शुरू किया। धीरे–धीरे लेख लिखना शुरू किया। अखबार की महत्ता को उन्होंने पहचाना तभी तो ब्रिटिश, अफ्रीकी और इंडियन अखबारों में वे छाये रहते थे। खूब लेख लिखे। अपने अखबार इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन निकाले जो उनके विचारों और कार्यक्रमों को प्रचारित करने का सशक्त माध्यम बना। उनकी लोकप्रियता को बढ़ाने में अखबारों की

बापू के अनुसार एक पत्रकार का विशिष्ट विलक्षण कार्य देश के मानस को पढ़ना है और उस मानस को निश्चित और भयमुक्त अभिव्यक्ति प्रदान करना है। एम. वी. कामथ लिखते हैं कि गांधी इस प्रकार लिखते थे कि प्रत्येक व्यक्ति उसे समझ सके। पत्रकारिता का एकमात्र उद्देश्य सेवा होना चाहिए। उन्होंने स्वीकार किया कि इंडियन ओपिनियन के बिना सत्याग्रह असंभव था।

भूमिका काफी अधिक रही। जब सेठ अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका पहुँचे तो उनकी पगड़ी एवं अनवेलकम विजिटर की अखबारों में खूब चर्चा हुई। अदालत से वकालत करने का प्रमाण पत्र लिया तो वकील सभा के विरोध करने पर समाचार पत्रों ने उनका साथ दिया। आरंभिक दौर से ही अखबारों ने उनके कवरेज को कायम रखा। उन्हें दक्षिण अफ्रीका में बीस वर्षों से रह रहे भारतीयों के शोषण और संघर्ष की जानकारी अखबारों से ही मिली। जब वे सेठ अब्दुला का मुकदमा निपटाकर अंतिम रूप से भारत लौट रहे थे तो उनकी विदाई समारोह के दौरान उन्होंने इंडियन फ्रेनचाईज में खबर पढ़ी कि हिन्दुस्तानियों से मताधिकार छीनने का सुझाव प्रकाशित हुआ था। उन्होंने इसका अर्थ सेठ अब्दुल्ला को समझाया कि हिन्दुस्तानियों की आजादी एवं स्वाभिमान को नष्ट करने की साजिश की जा रही है। इसकी चर्चा के बाद वह भोज संघर्ष समिति में बदल गया। बिल के विरोध की खबरें टाइम्स ऑफ इंडिया और टाइम्स में छपीं। इस प्रकार वे पत्रकारिता का विषय बनते चले गये जो उनके देहावसान के 75 साल बाद भी कायम है और जब तक मानव धरती पर रहेगा, वे हमेशा याद आते रहेंगे। वे जनवरी, 1897 में दक्षिण अफ्रीका पहुँचे तो गोरों ने उनका विरोध करना शुरू किया, उन पर कई आरोप लगाये गये, उन्हें फांसी देने की मांग की जाने लगी। इस बार भी अखबारों ने इनका साथ दिया। इसके बावजूद गांधीजी ने गोरों के विरुद्ध मुकदमा

दायर नहीं किया। बाद में प्रशासन ने उन्हें निर्दोष माना। वे 1896 में जुलाई से दिसंबर तक भारत में रहे और कोलकाता, प्रयाग, राजकोट, पूना आदि शहरों के संपादकों से भेंट कर दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के जुल्म के बारे में विस्तार से चर्चा की। संपादकों को प्रकाशनार्थ पत्र भेजते थे और उनसे निजी सम्बन्ध रखते थे। उन्हें अल्प समय में ही यह समझ आ गई थी कि समाचार पत्रों के जरिये वे अपनी बातें जनता और सरकार तक जल्दी पहुंचा सकते हैं। उस शताब्दी के वे पहले महानायक थे जिन्हें अखबार की उपयोगिता की इतनी गहरी समझ हो। उन्हें अखबारों की जादुई शक्ति का भान काफी पहले हो गया था तभी तो हर आन्दोलन, पदयात्रा में देशी-विदेशी पत्रकार मौजूद रहते थे। उनकी पत्रकारिता का श्रीगणेश दक्षिण अफ्रीका के उनके प्रवासकाल में हुआ। वे 34-35 वर्ष की आयु में ही पत्रकारिता की शक्ति को समझ चुके थे। पत्रकारिता की हर विधा यथा: रिपोर्टिंग, संपादन में पारंगत हो गये थे। इसके बाद प्रसार, प्रिंटिंग को समझने के साथ लागत और नुकसान से वाकिफ होने के बाद ही अपना अखबार खोला। तमाम कठिनाइयों के बावजूद बिना विज्ञापन के अखबार को चलाये रखना एक बड़ी चुनौती थी। आर्थिक परेशानियों से जूझते रहने के बाद भी कभी हिम्मत नहीं हारी। 1903 में उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और 4 जून, 1903 को इंडियन ओपिनियन का पहला अंक प्रकाशित हुआ। अपने उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए लिखा, हिन्दुस्तानियों के दुखों एवं दोष को दूर करने के साथ उन्हें शिक्षित तथा मजबूत बनाना चाहता हूँ और साम्राज्य की सेवा तथा साम्राज्य भावना का पोषण करके उनकी न्यायबुद्धि को जाग्रत करना चाहता हूँ। इसी नीति के कारण अंग्रेज भी उनके दोस्त बन गये। आन्दोलन में इंडियन ओपिनियन काफी सहायक सिद्ध हुआ। उन्होंने माना कि पत्रकारिता में आत्मबल के मिलने से प्रभाव शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इंडियन ओपिनियन 1903 से 1914 तक उनके संपादकत्व में निकला जबकि नवजीवन और यंग इंडिया 1919 से 1932 तक और हरिजन 1933 से 1948 तक प्रकाशित हुआ। आर्थिक तंगी और गोरों के जुल्म के कारण ये अखबार कई बार बंद हुए। भारी जुर्माने लगाये गये। जेल-यात्रायें भी करनी पड़ीं। फिर भी सत्य के साथ चलते रहे। इसी से उन्हें जीवन भर ऊर्जा मिलती रही। स्वराज, स्वाभिमान, पत्नी की बीमारी, दंडात्मक कार्रवाई भी उनकी पत्रकारिता की मशाल को नहीं बुझा पाई। उनके सभी चार अखबारों के केंद्र में भारत ही विद्यमान था। उन्होंने अपनी पत्रकारिता में भारतीय भाषाओं को प्रमुख स्थान दिया। पत्रकार के रूप में नए समाचार पत्रों का स्वागत किया और अंग्रेजों के पिट्ठू बने हिंदुस्तान टाइम्स की घोर निंदा की। उन्होंने अंग्रेजी में पत्रकारिता की और इस भाषा में खूब लिखा भी। पर वे इससे प्रसन्न नहीं थे. उन्होंने लिखा- यह इसलिए जरुरी था क्योंकि वे मुट्ठी भर अंग्रेजी भाषियों तक अपनी बात पहुँचाना चाहते थे। उनका यही राष्ट्रनिष्ठ प्रेम उनकी पत्रकारिता में भी झलकता है। उनकी पत्राकारिता उनके राजनीतिक उद्देश्यों की पूरक थी। वे पूर्ण पत्रकार थे। पत्रकार के सभी गुण उनमें थे। वे कहते थे कि समाचार पत्र एक बलशाली संस्था है। इसमें आत्मानुशासन और अन्दर का अंकुश ही समाज को सही दिशा दे सकता है। वे अक्सर कहा करते थे कि सरकार सब कुछ कर सकती है, किन्तु कलम नहीं बंद कर सकती है। वे राजनीति और पत्रकारिता के क्षेत्र में अति विशिष्ट हैं।

> *इस बार भी अखबारों ने इनका साथ दिया। इसके बावजूद गांधीजी ने गोरों के विरुद्ध मुकदमा दायर नहीं किया। बाद में प्रशासन ने उन्हें निर्दोष माना। वे 1896 में जुलाई से दिसंबर तक भारत में रहे और कोलकाता, प्रयाग, राजकोट, पूना आदि शहरों के संपादकों से भेंट कर दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के जुल्म के बारे में विस्तार से चर्चा की। संपादकों को प्रकाशनार्थ पत्र भेजते थे और उनसे निजी सम्बन्ध रखते थे। उन्हें अल्प समय में ही यह समझ आ गई थी कि समाचार पत्रों के जरिये वे अपनी बातें जनता और सरकार तक जल्दी पहुंचा सकते हैं।*

संपर्क:
विभागाध्यक्ष मीडिया अध्ययन, महात्मा गांधी केंद्रीय
विश्वविद्यालय, मोतिहारी, पिन - 845401

ग्रामीण विकास और गांधी के सपनों का भारत

नृपेन्द्र अभिषेक नृप

महात्मा गांधी का सपना एक ऐसे भारत का निर्माण करना था, जहां गांवों का विकास हो, न कि केवल शहरों का। उनका मानना था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है, और अगर गांवों का विकास नहीं हुआ, तो देश का संपूर्ण विकास असंभव होगा। आजादी के दशकों बाद भी, गांवों की हालत बहुत हद तक वैसी ही बनी हुई है। शहरों की ओर पलायन बढ़ता जा रहा है और ग्रामीण इलाकों की आबादी घट रही है। इस आलेख का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों को अपनी व्यवस्थाओं में जरूरी सुधार करने की आवश्यकता को रेखांकित करना है, ताकि गांधी जी के सपनों का भारत हकीकत बन सके।

भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। लेकिन विडंबना यह है कि विकास की मुख्यधारा शहरों में केंद्रित हो गई है और ग्रामीण क्षेत्रों को अपेक्षित महत्व नहीं मिल पाया है। वर्तमान समय में, जब सरकारें ग्रामीण विकास के लिए कई योजनाएं बना रही हैं, तब भी निचले स्तर पर आवश्यक सेवाओं और सुविधाओं की कमी बनी हुई है।

स्वास्थ्य सेवाओं का सुधारः प्राथमिक स्तर पर डॉक्टरों की तैनातीः

स्वास्थ्य सेवा किसी भी समाज की नींव होती है, और इसका मजबूत होना बेहद आवश्यक है। लेकिन वर्तमान स्थिति यह है कि शहरों में उच्च गुणवत्ता वाले स्वास्थ्य सेवाओं का अधिक प्रवाह हो रहा है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मुख्य केंद्र होते हैं, अक्सर अच्छी सुविधाओं और विशेषज्ञ डॉक्टरों से वंचित रहते हैं।

वर्ष 2023 की स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी के कारण कई लोग प्राथमिक इलाज के लिए शहरों की ओर रुख करते हैं। यह स्थिति ग्रामीण विकास में बाधा उत्पन्न करती है और गांवों में

महात्मा गांधी का सपना एक ऐसे भारत का निर्माण करना था, जहां गांवों का विकास हो, न कि केवल शहरों का। उनका मानना था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है, और अगर गांवों का विकास नहीं हुआ, तो देश का संपूर्ण विकास असंभव होगा। आजादी के दशकों बाद भी, गांवों की हालत बहुत हद तक वैसी ही बनी हुई है। शहरों की ओर पलायन बढ़ता जा रहा है और ग्रामीण इलाकों की आबादी घट रही है।

जीवन स्तर को नीचे लाती है। इसका समाधान यह हो सकता है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHCs) में अच्छे डॉक्टरों की तैनाती सुनिश्चित की जाए , साथ ही उनके वेतन और भत्तों में अंतर रखा जाए, ताकि वे शहरों की बजाय ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के लिए प्रोत्साहित हों। इस संदर्भ में, उन डॉक्टरों को जो दूरदराज क्षेत्रों में तैनात होते हैं, अधिक वेतन और भत्ते दिए जा सकते हैं।

शिक्षा का सुधार: प्राथमिक विद्यालयों में योग्य शिक्षकों की आवश्यकता

शिक्षा किसी भी समाज की प्रगति का आधार है। लेकिन जब बात ग्रामीण क्षेत्रों की आती है, तो स्थिति यहां भी दयनीय है। एक ओर, शहरों में जहां अच्छे शिक्षकों की अधिकता है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर कम योग्य और अयोग्य शिक्षक पाए जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि वहां के छात्र अपेक्षित गुणवत्ता की शिक्षा से वंचित रहते हैं।

वर्ष 2023 की शिक्षा रिपोर्ट में पाया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या कम है, और जो शिक्षक वहां तैनात हैं, उनकी गुणवत्ता भी सवालों के घेरे में है। इसका कारण यह है कि अधिकतर शिक्षक शहरों में तैनाती को प्राथमिकता देते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में जाने से बचते हैं। इसे बदलने के लिए ''प्रोत्साहन भत्तों की व्यवस्था करनी चाहिए'', जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले शिक्षकों को अधिक वेतन और अन्य सुविधाएं दी जाएं, जैसे कि अतिरिक्त आवास भत्ता और यात्रा सुविधाएं।

एच.आर.ए. (हाउस रेंट अलाउंस) में सुधार:

वर्तमान व्यवस्था में शहरों के शिक्षकों और कर्मचारियों को अधिक हाउस रेंट अलाउंस (HRA) दिया जाता है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात कर्मचारियों को कम। यह एक असमान व्यवस्था है, क्योंकि शहरों में काम के अधिक अवसर होते हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित। इसलिए, HRA का उल्टा होना चाहिए। गांवों में काम करने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों को अधिक HRA मिलना चाहिए ताकि वे वहां रहकर कार्य करें और गांव के विकास में योगदान दें।

सरकारी आवास की अनियमितताएं:

शहरों में सरकारी आवास हेतु जहां लोगों को 1.5 लाख रुपये मिलते हैं, वहीं गांव में यह राशि 1.2 लाख तक सीमित है। यह व्यवस्था भी असंगत है, क्योंकि गांवों में काम के अवसर शहरों की तुलना में बहुत कम होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी कर्मचारियों को अधिक आवास सहायता दी जानी चाहिए, ताकि वे वहां अपनी स्थायी बसाहट कर सकें और शहरों की ओर पलायन न करें।

आर्थिक असमानता कम करने के लिए रोजगार सृजन:

गांवों से शहरों की ओर पलायन का एक मुख्य कारण रोजगार के सीमित अवसर हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करके इस पलायन को रोका जा सकता है। मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) जैसी योजनाएं इस दिशा में सहायक हो सकती हैं, लेकिन इसके साथ ही स्थायी रोजगार के अवसरों का निर्माण भी आवश्यक है।

सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प, और लघु उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए। इसके साथ ही, कृषि आधारित उद्योग और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना करके ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित किए जा सकते हैं। 2023 की एक आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, गांवों में स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष योजनाएं चलाई जानी चाहिए, जिससे ग्रामीण युवाओं को अपने क्षेत्र में ही रोजगार प्राप्त हो सके। इसके अलावा, सूक्ष्म वित्त (Microfinance) और स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं और युवाओं को स्वावलंबी बनाया जा सकता है।

भ्रष्टाचार और प्रशासनिक लापरवाही पर नियंत्रण:

ग्रामीण विकास के कार्यों में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है भ्रष्टाचार और प्रशासनिक लापरवाही। कई बार यह देखा जाता है कि गांवों में चल रही योजनाओं का लाभ वहां के लोगों तक नहीं पहुंच पाता है क्योंकि प्रशासनिक

स्तर पर भ्रष्टाचार और लापरवाही के कारण विकास कार्य अधूरे रह जाते हैं। इसे नियंत्रित करने के लिए पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना आवश्यक है।

इसके लिए सरकार को डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम लागू करना चाहिए, जिसके माध्यम से ग्रामीण विकास योजनाओं की निगरानी की जा सके और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सके। इसके अलावा, जनता की भागीदारी सुनिश्चित करके उन्हें विकास कार्यों का हिस्सा बनाया जाना चाहिए, ताकि वे भी योजनाओं की निगरानी कर सकें।पंचायती राज और लोकल गवर्नेंस को और मजबूत बनाकर प्रशासनिक स्तर पर जवाबदेही तय की जानी चाहिए।

न्यायिक और कानूनी सुधारः

गांवों में न्यायिक प्रणाली की पहुंच सीमित है, जिसके कारण वहां के लोग अक्सर न्याय से वंचित रह जाते हैं। गांधीजी के सपनों के भारत में न्याय की समान उपलब्धता एक महत्वपूर्ण पहलू था, जिसमें गांव के हर व्यक्ति को न्याय प्राप्त हो सके। इसके लिए जरूरी है कि गांवों में विकल्पी विवाद समाधान प्रणाली (Alternative Dispute Resolution) को प्रोत्साहित किया जाए, ताकि वहां के लोग छोटे-मोटे विवादों का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही कर सकें।

सरकार को गांवों में लोक अदालतों और ग्रामीण न्यायालयों की स्थापना करनी चाहिए, जहां त्वरित और सस्ता न्याय प्राप्त हो सके। 2024 की ग्रामीण न्याय रिपोर्ट के अनुसार, यदि ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय की पहुंच को बेहतर किया जाए, तो वहां के लोगों की समस्याओं का समाधान जल्दी और सुलभ तरीके से हो सकेगा। न्यायिक सुधारों के साथ ही, कानूनी साक्षरता पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि ग्रामीण लोग अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो सकें।

तकनीकी और डिजिटल साक्षरता का प्रसारः

वर्तमान युग में डिजिटल साक्षरता एक महत्वपूर्ण आवश्यकता बन चुकी है। शहरों में लोग इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं का व्यापक रूप से उपयोग कर रहे हैं,

जबकि गांवों में यह सुविधा अभी भी सीमित है। डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं के माध्यम से सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सुविधाओं का विस्तार तो किया है, लेकिन इसे और व्यापक बनाने की जरूरत है।

2023 की एक रिपोर्ट के अनुसार, ग्रामीण भारत में केवल 45% लोग ही डिजिटल सेवाओं का लाभ उठा पा रहे हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह आंकड़ा 85% से अधिक है। इस अंतर को कम करने के लिए सरकार को ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार करना होगा, साथ ही वहां के निवासियों को डिजिटल साक्षरता प्रदान करने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाने होंगे। जब ग्रामीण क्षेत्रों के लोग तकनीकी और डिजिटल साक्षर बनेंगे, तब वे अधिक कुशलता से सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे।

गांवों के विकास के लिए आधुनिक तकनीक और नवाचार का उपयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, और उद्योगों में आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके गांवों में नई संभावनाएं उत्पन्न की जा सकती हैं। उदाहरण के लिए, सटीक कृषि (Precision Agriculture) के माध्यम से किसानों को उनकी फसल उत्पादन क्षमता बढ़ाने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा, ग्रामीण उद्योगों में मशीनरीऔर प्रौद्योगिकी का अधिक उपयोग करके उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के साथ-साथ पर्यावरण का संरक्षण भी आवश्यक है। अक्सर यह देखा गया है कि जब भी विकास कार्य होते हैं, तो पर्यावरणीय संसाधनों की अनदेखी की जाती है। गांधीजी का ग्रामीण विकास का सपना केवल आर्थिक और सामाजिक विकास तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना भी शामिल था।

इस दिशा में सरकार को सौर ऊर्जा, विंड एनर्जी, और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि...।

2023 की तकनीकी रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया है कि यदि गांवों में तकनीक का सही से उपयोग किया जाए तो यह ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बदल सकता है। इसके लिए सरकार को तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए, ताकि ग्रामीण युवा नई तकनीक को अपनाकर उसे अपने जीवन और कार्यक्षेत्र में लागू कर सकें। इससे गांवों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और वहां की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा।

कृषि और ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा:

गांवों के आर्थिक विकास के लिए कृषि और ग्रामीण उद्योग महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। कृषि जहां ग्रामीण जीवन का प्रमुख आधार है, वहीं ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहन देकर रोजगार के नए अवसर सृजित किए जा सकते हैं। सरकार द्वारा कृषि के क्षेत्र में किसानों के लिए नई तकनीकों का परिचय कराना, सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार करना, और फसल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं लाना आवश्यक है।

साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देकर वहां रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं। इस संदर्भ में, सरकार को स्थानीय उत्पादों को बाजार में पहचान दिलाने के लिए विशेष योजनाएं शुरू करनी चाहिए, जैसे कि ओडीओपी (वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट) योजना, जिसके अंतर्गत प्रत्येक जिले के विशिष्ट उत्पाद को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल सके।

पर्यावरण संरक्षण और हरित विकास:

ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के साथ-साथ पर्यावरण का संरक्षण भी आवश्यक है। अक्सर यह देखा गया है कि जब भी विकास कार्य होते हैं, तो पर्यावरणीय संसाधनों की अनदेखी की जाती है। गांधीजी का ग्रामीण विकास का सपना केवल आर्थिक और सामाजिक विकास तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना भी शामिल था।

इस दिशा में सरकार को सौर ऊर्जा, विंड एनर्जी, और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली और ऊर्जा की समस्या का समाधान किया जा सके। इसके अलावा, वृक्षारोपण, जल संरक्षण, और स्थानीय जल संसाधनों का संरक्षण ग्रामीण विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं।

ग्राम पंचायतों की वित्तीय स्वायत्तता:

गांधी जी का मानना था कि गांवों का विकास तभी हो सकता है जब पंचायतों को सशक्त किया जाए। पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करके ही गांवों का समग्र विकास किया जा सकता है। इसमें गांव की आवश्यकताओं के अनुरूप विकास योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा सकता है। पंचायती राज के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण, पानी, बिजली जैसी बुनियादी सेवाओं को सुनिश्चित करना चाहिए।

सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि गांव के लोग ही गांव के विकास का नेतृत्व करें। उन्हें पंचायत स्तर पर अधिक अधिकार दिए जाएं, जिससे वे अपने गांव की जरूरतों के हिसाब से योजनाएं बना सकें और उनका सही क्रियान्वयन कर सकें। इसके लिए आवश्यक वित्तीय और तकनीकी सहायता भी सरकार को प्रदान करनी चाहिए।

गांवों का विकास पंचायती राज व्यवस्था के सशक्तिकरण से ही संभव है। वर्तमान में पंचायतों के पास सीमित वित्तीय संसाधन होते हैं, जिसके कारण वे गांवों में आवश्यक विकास कार्य करने में असमर्थ होते हैं। 2023 की पंचायती राज रिपोर्ट के अनुसार, ग्राम पंचायतों को अधिक वित्तीय स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए, ताकि वे स्वतंत्र रूप से अपने गांवों के विकास के लिए निर्णय ले सकें।

सरकार को पंचायतों को कर लगाने और संसाधनों को आवंटित करने की शक्ति प्रदान करनी चाहिए, ताकि वे अपने गांवों में स्वायत्त रूप से काम कर सकें और विकास के कार्यों को तेजी से पूरा कर सकें। इससे न केवल गांवों में अधिक तेजी से विकास होगा, बल्कि वहां की जनता भी अपने गांव के विकास में सक्रिय रूप से भागीदार बन सकेगी।

सामाजिक विकास और समावेशिताः

विकास केवल आर्थिक और भौतिक संसाधनों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि यह सामाजिक समावेश और समानतानपर भी आधारित होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी जाति, वर्ग, और लैंगिक भेदभाव जैसी समस्याएं मौजूद हैं, जो वहां के सामाजिक विकास में बाधा डालती हैं।

सरकार को सामाजिक समावेश के लिए सशक्तिकरण योजनाएं लानी चाहिए, जिनके माध्यम से ग्रामीण समाज के सभी वर्गों को विकास में भागीदार बनाया जा सके। विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण और दलित एवं पिछड़े वर्गों के विकास पर ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि ग्रामीण समाज में समरसता और समानता की भावना विकसित हो सके।

गांधीजी के सपनों का भारतः ग्रामीण स्वराज

महात्मा गांधी का सपना था कि हर गांव स्वावलंबी बने और अपने संसाधनों का उपयोग करके आत्मनिर्भरता हासिल करे। इसके लिए आवश्यक है कि गांवों को उनकी स्थानीय जरूरतों के अनुसार संसाधन और सुविधाएं प्रदान की जाएं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय शिल्पकारों, किसानों, और उद्योगपतियों को बढ़ावा देकर उन्हें सशक्त बनाया जा सकता है। गांधीजी के आदर्शों पर आधारित ग्राम स्वराज को साकार करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाना होगा और ग्रामीण इलाकों में आर्थिक, सामाजिक, और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना होगा।

गांव-शहर सहयोग मॉडल का विकासः

गांवों और शहरों के बीच संतुलित विकास के लिए गांव-शहर सहयोग मॉडल विकसित किया जा सकता है। यह मॉडल इस आधार पर काम करेगा कि गांव और शहर एक-दूसरे के पूरक बनें और उनके बीच संसाधनों और सेवाओं का आदान-प्रदान हो। उदाहरण के लिए, गांवों में उत्पादित कृषि उत्पादों को शहरों में बेचा जा सकता है, जबकि शहरों की तकनीकी सेवाएं और उद्योग गांवों तक पहुंचाई जा सकती हैं।

इस सहयोग से दोनों क्षेत्रों का संतुलित विकास संभव हो सकेगा। इसके लिए सरकार को लॉजिस्टिक्स और इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना होगा, ताकि गांव और शहर के बीच आपसी व्यापार और सेवाओं का आदान-प्रदान सुचारू रूप से हो सके। इससे न केवल ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी, बल्कि शहरों पर भी जनसंख्या और संसाधनों का दबाव कम होगा।

सामुदायिक सहभागिता और स्थानीय नेतृत्व का विकासः

गांवों के विकास में सामुदायिक सहभागिता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि गांव के लोग अपने विकास के प्रति जागरूक और सक्रिय होते हैं, तो वे न केवल सरकारी योजनाओं का बेहतर उपयोग कर सकते हैं, बल्कि अपनी जरूरतों और समस्याओं का समाधान भी निकाल सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि स्थानीय नेतृत्व

को प्रोत्साहन दिया जाए और गांवों में सामुदायिक संगठन और सहकारी समितियों का विकास किया जाए।

ग्राम सभा और पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण जनता की समस्याओं को सुना जाए और उनके सुझावों को विकास योजनाओं में शामिल किया जाए। गांधीजी का ग्राम स्वराज का विचार इसी सामुदायिक सहभागिता पर आधारित था, जिसमें गांव के लोग खुद अपने फैसले लेते थे और अपने विकास के लिए प्रयासरत रहते थे। इसे साकार करने के लिए सरकार को पंचायती राज संस्थाओं को और सशक्त बनाना होगा और ग्रामीण जनता की भागीदारी को बढ़ावा देना होगा।

वित्तीय समावेशन और ग्रामीण बैंकिंग व्यवस्था का सुधारः

ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन एक बड़ी चुनौती है। हालांकि सरकार ने जन धन योजना, आधार और मोबाइल बैंकिंग जैसी योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली में सुधार करने के प्रयास किए हैं, फिर भी कई ग्रामीण इलाकों में अभी भी लोग बैंकिंग सेवाओं से वंचित हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म वित्त (Microfinance) और स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को बढ़ावा देकर वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसके अलावा, सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की पहुंच बढ़ाने के लिए निवेश करना चाहिए और डिजिटल बैंकिंग को प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि लोग अधिक आसानी से बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकें। जब गांवों में वित्तीय साक्षरता और बैंकिंग सेवाएं सुलभ होंगी, तब लोग अपने आर्थिक संसाधनों का बेहतर प्रबंधन कर पाएंगे और गांवों में आर्थिक उन्नति संभव हो सकेगी।

गांवों में बुनियादी ढांचे का सशक्तिकरणः

गांवों के विकास में सबसे बड़ी बाधा वहां के बुनियादी ढांचे की कमी है। सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सेवाएं कई ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी पूरी तरह से उपलब्ध नहीं हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, हर घर जल योजना, और सौभाग्य योजना जैसी सरकारी योजनाओं के माध्यम से गांवों में इन सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है, लेकिन इसे और अधिक सशक्त बनाने की आवश्यकता है।

2023 की बुनियादी ढांचा विकास रिपोर्ट के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की गुणवत्ता और बिजली की उपलब्धता में सुधार की आवश्यकता है। इसके अलावा, सुरक्षित पेयजल और सैनिटेशन की सुविधाओं का विस्तार भी किया जाना चाहिए, ताकि गांवों में स्वास्थ्य और स्वच्छता का स्तर बढ़ सके। जब गांवों में बुनियादी सुविधाएं बेहतर होंगी, तब वहां का जीवन स्तर भी ऊंचा उठेगा और लोगों को शहरों की ओर पलायन करने की आवश्यकता नहीं होगी।

गांवों का विकास भारत के समग्र विकास की कुंजी है। महात्मा गांधी के सपनों का भारत तभी साकार हो सकता है, जब गांवों में रहने वाले लोग खुशहाल और आत्मनिर्भर बन सकें। इसके लिए सरकारों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बुनियादी ढांचे, और वित्तीय समावेशन जैसो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ठोस सुधार करने की आवश्यकता है। शहरों और गांवों के बीच की असमानता को समाप्त करने के लिए गांवों में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों को प्रोत्साहन भत्तों, आवास भत्तों, और अन्य सुविधाओं का विस्तार करना होगा। साथ ही, गांवों में स्थानीय नेतृत्व और सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देकर वहां के लोगों को अपने विकास की दिशा में सक्रिय रूप से भागीदारी निभाने का अवसर प्रदान करना होगा।

गांधीजी का ग्राम स्वराज केवल एक आदर्श नहीं, बल्कि एक व्यावहारिक दृष्टिकोण है, जिसे सही नीतियों और योजनाओं के माध्यम से साकार किया जा सकता है। जब गांवों का विकास होगा, तब ही भारत का वास्तविक विकासन संभव होगा और हम एक समृद्ध, स्वावलंबी, और खुशहाल राष्ट्र का निर्माण कर सकेंगे।

संपर्कः

मो. 9955818270

बिहार के बाढ़ में डूबती परम्परागत समझ

कुशाग्र राजेंद्र और नीरज कुमार

हिमालय की तलहटी में बसा तराई और गंगा के बीच का मैदानी भाग सभ्यता के शुरुआत से ही अपनी कृषि उत्पादकता और मानव सभ्यता के फलने फूलने के लिये मशहूर रहा है। यहां नियमित रूप से आने वाली सालाना बाढ़ इसका आधार रही है। इन इलाकों के लिये अनगिनत नदियाँ और बाढ़ कोई नयी नहीं है, बल्कि हरेक साल बरसात के दिनों में हिमालय से पानी का रेला थोड़े समय के लिये पूरे मैदानी क्षेत्रों में फैलता रहा है, हरेक साल की भांति इस साल भी नेपाल और तराई में हफ्तों हुई बारिश के नतीजे में पानी का एक रेला इन इलाकों में फैला।

पहले बाढ़ आती थी और दो चार दिनों में चली भी जाती थी और इतना कुछ छोड़ जाती थी कि अगले साल भर का काम चल जाता था। लेकिन अब सब कुछ बदला-बदला सा है बाढ़ का मतलब अब राहत, बचाव और नुकसान तक सिमट के रह गया है। समय बदला, आजादी मिली, तकनीक का प्रभाव बढ़ा पर ये क्या समय के साथ बाढ़ की तबाही का दौर जारी है।

सरकारी आँकड़ों की मानें तो आजादी के बाद से हजारों-करोड़ों रुपया बाढ़ के तकनीकी प्रबन्धन पर खर्च कर देने के बावजूद राज्य में बाढ़ सम्भावित या प्रभावित इलाकों का दायरा कम होने के बजाय भयानक रूप से बढ़ा है। आज पूरे बिहार राज्य का 73% हिस्सा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। पूरे भारत के स्तर पर ये आँकड़ा कुल प्रभावित क्षेत्र का छठवाँ है। बिहार में यह दायरा लगभग ढाई गुणा बढ़ गया है।

इस साल के बाढ़ की विभीषिका का आलम ये है कि सितम्बर के आखिरी सप्ताह में नेपाल से लेकर बिहार तक में हुई भारी बारिश के कारण बिहार में पश्चिम से लेकर पूरब तक गंडक से लेकर महानंदा तक का इलाका बाढ़ के चपेट में हैं, कोसी पर बने बाँध और यहाँ तक कि बराज के ऊपर से पानी बह निकला है तो कहीं तटबंध टूट चुके है। बिहार में नेपाल से आने वाली नदियों पर दो बड़े बराज है गंडक बराज और कोसी बराज और इस साल इन दोनों के सभी फाटक खोलने पड़े। दरअसल सालाना बाढ़ की भयावहता के लिये नदी को दोनों तरफ से तटबंध के अन्दर बांध देने के लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं, ये हमारी नदी और उससे जुड़े समूचे पारिस्थितिकी तंत्र को लेकर नासमझी का एक बेहतरीन नमूना है। वो अलग

हिमालय की तलहटी में बसा तराई और गंगा के बीच का मैदानी भाग सभ्यता के शुरुआत से ही अपनी कृषि उत्पादकता और मानव सभ्यता के फलने फूलने के लिये मशहूर रहा है। यहां नियमित रूप से आने वाली सालाना बाढ़ इसका आधार रही है। इन इलाकों के लिये अनगिनत नदियाँ और बाढ़ कोई नया नहीं है, बल्कि हरेक साल बरसात के दिनों में हिमालय से पानी का रेला थोड़े समय के लिये पूरे मैदानी क्षेत्रों में फैलता रहा है...।

बात है कि नदियां इस क्षेत्र की मानव सभ्यता के लिए हमेशा से वरदान रही है और नदी, पानी और बाढ़ यहाँ के जीवन यापन और भूगोल से गुत्थम गुत्था रही है।

बिहार में नदी, बाढ़ की प्रकृति को चंपारण के भूगोल से आसानी से समझा जा सकता है। पूरे बिहार में लगभग 200 नदियाँ और छोटी-बड़ी जलधाराओं को जोड़ लें तो लगभग 600 और अकेले चम्पारण में लगभग दर्जन भर मुख्य धाराएँ नेपाल से नीचे मैदानी इलाकों की तरफ मिलती हैं। बरसात के दिनों में तो इसकी संख्या और भी बढ़ जाती है। इस पूरे विस्तृत भू-भाग में अनगिनत नदियाँ अठखेलियाँ करती हैं तराई और उससे जुड़े मैदानी इलाके नदियों और नदियों की पुरानी धाराओं से पटे पड़े हैं, जिसे चंपारण में स्थानीय लोग 'मन' या 'छाड़न' कहते हैं। यहाँ का अधिकांश क्षेत्र छाड़न (नदियों द्वारा छोड़ दिया गया रास्ता), चँवर, चाती, ताल, हद, नदी ताल आदि से पटा पड़ा है।

नदी की प्रवृत्ति में बाढ़ मूल रूप से शामिल है, खासकर हिमालय से निकलने वाली नदियों के लिये। उसी तरह बाढ़, यहाँ नदियों के किनारे और जलग्रहण क्षेत्र में बसने वाले लोगों के जीवन का भी अनन्य हिस्सा होती है। चंपारण में जब बाढ़ आती है, जिसका समय लगभग नियत होता है...।

'मनों' की शृंखला इस तरीके से व्यवस्थित है कि बाढ़ के दौरान नदी में पानी ज्यादा होने पर ये मन एक एक करके भरते चले जाते है और क्षमता से ज्यादा पानी का बहाव अगले मन की तरफ चला जाता है। इस प्रकार पानी साल भर के लिये 'मन' में ही रह जाता है एवं इससे सिंचाई, पीने के पानी, मछलीपालन आदि के काम आता है। मन साल भर भूजल और सतही जल का सुगम स्रोत बना रहता है, तथा जनता की जरूरत के हिसाब से उनके आर्थिक भरण पोषण में सहायक होता है। हिमालय से निकलने वाली इन असंख्य जलधाराओं के बाढ़ के पानी में कच्चे 'शिवालिक' श्रेणी (हिमालय का सबसे दक्षिणी हिस्सा) का गाद भी होता है, जो पानी के छँट जाने के बाद खेती को एक नई जान देता है। इस जलोढ़ मिट्टी की नई परत हर साल बाढ़ क्षेत्र में फैल जाती है, जिससे ये इलाके खेती लिये काफी उपजाऊ हो जाते हैं।

नदी की प्रवृत्ति में बाढ़ मूल रूप से शामिल है, खासकर हिमालय से निकलने वाली नदियों के लिये। उसी तरह बाढ़, यहाँ नदियों के किनारे और जलग्रहण क्षेत्र में बसने वाले लोगों के जीवन का भी अनन्य हिस्सा होती है। चंपारण में जब बाढ़ आती है, जिसका समय लगभग नियत होता है, तो ये डिप्रेशन (नदी की पुरानी धारा, जो अब झील या 'मन' का स्वरूप ले चुके हैं) पानी को अपने अन्दर समाहित कर लेते हैं, और फिर एक-एक करके वो भरते चले जाते हैं। तालाबों और 'मनों' की ये श्रृंखला अनेक बरसाती नदियों, जिसमे धनौती और वाया शामिल है, अनगिनत ताल-तलैया नदियों की क्षमता से ज्यादा पानी को समेटने का काम करते हैं, मुख्य नदी के इतर एक समानान्तर व्यवस्था के तहत एक 'मन' से दूसरे 'मन' में पानी सहेजते हुए सुदूर दक्षिण में गंगा नदी में मिल जाती है।

इस प्रकार चंपारण में बाढ़ नियंत्रण का ये प्राकृतिक तरीका काम करता है। नदियों की पुरानी धाराओं की एक श्रृंखला जिसमें अनगिनत झील या मन शामिल है, वो मुख्य रूप से तीन काम करती है। पहला ये नदी के बहाव क्षेत्र से अधिक पानी को अपने में समाहित करके नदी के जलस्तर को बढ़ने से रोकती है। दूसरा, चूंकि कई झीलों की एक श्रृंखला है, जो एक-एक करके भरती हुई जाती है, इससे बहाव की गति तेज नहीं हो पाती हैं और नदियों द्वारा कटाव नियंत्रित रहता है। और तीसरा, जब पानी इन नदी की पुरानी धाराओं, जो कि झीलों या मन के रूप में फैली है, में भर जाती है जिससे नदी के बहाव से उतना पानी नदी के निचले जल क्षेत्र से कम हो जाता है। इससे बाढ़ की तेजी और विभीषिका में काफी हद तक कमी हो जाती है।

बाढ़ के पानी को भण्डारण करने की इस प्राकृतिक व्यवस्था को 'अनुपम मिश्र' रेनवाटर हार्वेस्टिंग के ही तर्ज पर फ्लडवाटर हार्वेस्टिंग का तरीका मानते थे। झीलों में संग्रहित पानी अगली बाढ़ के आने तक ना सिर्फ साफ पानी का बल्कि मछलीपालन, सिंचाई, कृषि सहित तमाम संसाधनों का जरिया बना रहता है। वहीं धीरे-धीरे बाढ़ का पानी मुख्य नदी के रास्ते बंगाल और अन्ततः बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाता है। नदियों के इसी मकड़जाल में सभ्यता फलती-फूलती आई है, पर नदियों की इस प्राकृतिक व्यवस्था को बिना छेड़े, उनको आत्मसात करते हुए।

चँवर, चाती, मन, छाड़न आदि पर केवल कृषि

कार्य, वहीं ऊँचे जगहों पर गाँव के बसने का नियम रहा है। खेती के तरीके भी बाढ़ और पानी के इसी सामंजस्य पर ही आधारित रहे हैं। यहाँ धान की ऐसी किस्में भी पाई जाती हैं जो बाढ़ के ऊँचे जलस्तर में भी बर्बाद नहीं होतीं। चँवर, जहाँ साल भर पानी रहता है वहाँ अभी तक गरमा धान की खेती की परम्परा थी, जिसे जाड़े के दिनों में रोपा जाता और गर्मी में काट लिया जाता था। कुल मिलाकर बाढ़ को विपदा न मानकर उसी के अनुरूप ढल जाने की प्रवृत्ति थी हमारी। तभी तो साल 2008 में अभूतपूर्व तबाही के साथ आई भयंकर बाढ़ में हुई त्रासदी को और साल दर साल बिहार के बाढ़ में डूब जाने की विपदा को जल अध्येता अनुपम मिश्र ने बिहार के समाज के बारे में गलत नहीं लिखा था कि तैरने वाला समाज डूब रहा है।

पिछले सैकड़ों सालों में जल और बाढ़ प्रबन्धन के नाम पर पारिस्थितिकी तंत्र की स्थानीय समझ को किनारे करके तकनीकी ठसक का प्रदर्शन होता रहा है। नदियों के दोनों किनारों पर बड़ी–छोटी बाँध की एक श्रृंखला तैयार हुई जिससे पानी को फैलने से रोका जा सके। पचास के दशक में जहाँ बिहार में कुल बाँधों की लम्बाई 260 कि. मी. थी, जो ताजा आँकड़ों के हिसाब से अब 3600 किमी को पार कर चुकी है। इतना सब कुछ करने के बावजूद बिहार में बाढ़ प्रवण इलाकों का रकबा लगभग तीन गुणा बढ़कर 9 मिलियन हेक्टेयर के पार जा पहुँचा है।

नदी और उससे जुड़ी तमाम झीलों और 'मनों' के प्राकृतिक स्वरूप और बहाव की दिशा को दरकिनार कर नहरों का जाल बिछाया गया। जल जमाव वाले क्षेत्रों और चैनल्स के ऊपर शहर बसाए गए, जल ग्रहण क्षेत्रों को अविवेकपूर्ण तरीकों से इस्तेमाल में लाया गया, उस पर बस्तियाँ बसाई गईं। जिसका नतीजा हुआ कि अनगिनत झीलों के आपस में जुड़ाव का जो रास्ता था, वो अब लगभग बन्द हो गया, या तो वहाँ बस्ती बस गई या सड़क। या फिर उसको इतना ऊँचा कर दिया गया कि बाढ़ के हालात में भी वे एक दूसरे से जुड़ नही पाये।

परिणामस्वरूप बाढ़ की भयावहता में और वृद्धि हुई और सारा–का–सारा निचला हिस्सा बाढ़ के पानी में जलमग्न होने लगा। नदी और बाँध के बीच में बढ़ते पानी के दबाव के कारण बाँध टूटने की संख्या भी बढ़ी है, साल दर साल बदस्तूर जारी है और इस साल भी दरभंगा के किरतपुर में कोसी का पश्चिमी तटबंध और चंपारण में गंडक का रिंग बांध टूटने से जल प्रलय की स्थिति बनी। बाँध के बदस्तूर टूटने से हुई तबाही का अन्दाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दरभंगा के रसियारी और देवना गाँव के बीच बना बाँध 1987 से लेकर अब तक कम से कम 16 बार टूट चुका है। तो अब तटबन्धों की जो श्रृंखला बाढ़ को नियंत्रित करने के लिये बाँधी गई वो अब केवल बाढ़ प्रभावित लोगों के लिये तात्कालिक शरणस्थली के काम आ रहा है।

बाढ़ जो पहले कुछ दिनों के लिये आती थी और साल भर के लिये उपजाऊ मिट्टी दे जाती थी, अब स्थिति बदल गई है। अब बाढ़ का पानी निकास के अभाव में हफ्तों, महीनों तक नहीं निकल पाता, जिससे खेती का चक्र बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। किसान बाढ़ के चले जाने के बाद खेतों में फैली उपजाऊ मिट्टी का लाभ नहीं ले पाते हैं क्योंकि पानी तो निकास के अभाव में वहीं रह गया होता है। बाढ़ अब खेतों–खलिहानों गाँवों और शहरों को अपना निशाना बना रही है और छोड़ जा रही है अपने पीछे सालों के लिये त्रासदी। और हम हैं कि वो सब कुछ कर रहे हैं बाढ़ नियंत्रण के नाम पर। पर वो असल बात नही समझेंगे और ना ही उसे अमल में लाएँगे जो प्रकृति सम्मत है। भले ही उसकी कीमत कुछ भी चुकानी पड़े। अब तो ये बात लगभग सर्वविदित हो चली है कि बाढ़ की तबाही पानी से नहीं आती बल्कि खोखले प्रबन्धन के चलते आती है।

नदी के बारे में ये कहावत भी है कि नदी अपना रास्ता और अपना प्रवाह क्षेत्र कभी नहीं भूलती, कम–से–कम अगले 100 सालों तक, उसे आज नहीं तो कल क्लेम जरूर करती है। अभी की बाढ़ शायद हमें कुछ सीख दे जाये कि नदी है तो बाढ़ आएगी ही, उसे बाँधने की जरूरत नहीं है, उसे बस बहाव का रास्ता भर देना है, जिसके लिए प्रकृति ने सब इन्तजाम पहले से ही कर रखा है।

संपर्कः

पृथ्वी और पर्यावरण विज्ञान विद्यालय

एमिटी विश्वविद्यालय हरियाणा

पंचगांव, मानेसर हरियाणा

पिन–122413

गांधीजी, शाकाहार और वैश्विक तापमान

धीप्रज्ञ द्विवेदी

गांधी जी के विचार और सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं और हमेशा प्रासंगिक रहेंगे। इसका मूल कारण यह है कि गांधी जी के सिद्धांत पूरी तरह से सनातन संस्कृति के ऊपर आधारित है। सामान्य तौर पर गांधी जी के बारे में जब चर्चा होती है तो लोग उनको सत्य और अहिंसा तक ही सीमित करते थे। इनके अतिरिक्त विभिन्न विषयों पर गांधी जी का प्रभाव बड़ा ही व्यापक है। उन्होंने बहुत से अन्य विषयों पर भी काम किया है जिसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आहार का है। उन्होंने आहार को लेकर और आहार और स्वास्थ्य को लेकर और केवल स्वास्थ्य को लेकर भी काफी काम किया है। गांधी जी अपने आप में शाकाहारी थे और उन्होंने शाकाहार को लेकर पुस्तक लिखी है जिसका नाम है 'मोरल बेसिस ऑफ वेजेटेरिएनिज्म'। वर्तमान माहौल में उनकी यह पुस्तक और उनके विचार विशेष कर भोजन को लेकर उनके विचार बड़े महत्वपूर्ण हो गए हैं जब पूरी दुनिया में मांसाहार और शाकाहार का एक मुद्दा सोशल मीडिया पर चल रहा है और अधिकतर लोग अपनी जीभ के अनुसार या अपनी मजहबी परंपराओं के अनुसार इसके पक्ष विपक्ष की बात करते हैं।

गांधी जी के समय में पर्यावरण एक अलग विषय नहीं था और गांधी जी प्रकृति आधारित समाज और प्रकृति आधारित विकास की परिकल्पना प्रस्तुत करते हैं। इस परिकल्पना में गांधी जी हमारे भोजन का भी प्रकृति के ऊपर क्या असर होगा इसकी चर्चा करते हैं।

इस आलेख में आगे हम लोग गांधी जी के विचारों और उसके साथ-साथ आधुनिक विज्ञान की सहायता लेते हुए मांसाहार बनाम शाकाहार के इस विवाद में गांधी जी अगर होते तो उनका पक्ष क्या होता, इसको प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे।

वर्तमान में शाकाहार बनाम मांसाहार की बहस में कोई भी व्यक्ति इसको वैश्विक तापमान या हमारे भोज्य पदार्थ का हमारे वातावरण के ऊपर क्या प्रभाव है या यह इस बार भीषण गर्मी से हमारे भोज पदार्थ का क्या संबंध है इसकी चर्चा करने से बच रहा है। आज हम इसी विषय की चर्चा

सामान्य तौर पर गांधी जी के बारे में जब चर्चा होती है तो लोग उनको सत्य और अहिंसा तक ही सीमित करते थे। इनके अतिरिक्त विभिन्न विषयों पर गांधी जी का प्रभाव बड़ा ही व्यापक है। उन्होंने बहुत से अन्य विषयों पर भी काम किया है जिसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आहार का है। उन्होंने आहार को लेकर और आहार और स्वास्थ्य को लेकर...।

करने वाले हैं। अधिकांश लोग किसी एक पक्ष का सहयोग या समर्थन कर रहे हैं दूसरे पक्ष का विरोध कर रहे हैं, जिसमें उनके तर्क व्यक्तिगत या समाजिक हैं और उसके साथ-साथ इसमें वीगन भी शामिल हो गया है।

अपने आप को वीगन कहने वाले कहते है हैं कि जब मैं सोने जाता हूं तो मेरी आत्मा पर कोई बोझ नहीं होता कि मेरी वजह से किसी जीवित प्राणी को कष्ट दिया गया। मेरा यह मानना है कि अपने आप को वीगन कहने वाले लोग एक महत्वपूर्ण चीज नहीं समझ पाए कि भारतीय परंपरा में और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जीवित चीजों का वर्गीकरण अलग-अलग तरह से किया गया है और जीवित चीजों में सूक्ष्म बैक्टीरिया से लेकर विशाल व्हेल और सूक्ष्म पादपों से लेकर विशालतम पेड़ों तक शामिल है तो अगर आप अपना भोजन किसी जीवित पौधे को काटकर या किसी पौधे से फूल को या उसके फल को तोड़कर प्राप्त करते हैं तो उसे जीव को भी तो कष्ट होता है। यह एक बात और नहीं समझ पाए बहुत से जीवन का संरक्षण उनकी उपयोगिता के कारण है और भारतीय परंपरा में बहुत सी महत्वपूर्ण चीजों को संरक्षित करने के लिए उन्हें हमारी परंपराओं और पूजा पद्धतियों से जोड़ दिया गया है ताकि लोग उसका संरक्षण करें तो जिस समय आप दूध या दही खाना बंद कर देंगे उसके बाद गाय और भैंसों की उपयोगिता आपके लिए समाप्त हो जाएगी तो गाय और भैंसों का क्या होगा? क्या वह पालतू गाय और भैंस जंगल में सरवाइव कर पाएंगे? यह भी एक बड़ा प्रश्न उठता है कि उसके बाद क्या उन्हें कत्ल खाने में नहीं भेजा जाएगा क्या वह मांसाहारियों का आहार नहीं बनेंगे?

आज कह रहे हैं दूध दही मत खाओ, कल कहेंगे पेड़ पौधे मत खाओ क्योंकि उनमें भी जान है, परसो कहेंगे कि पानी मत पियो क्योंकि उसमें बैक्टेरिया है

इसका दूसरा पहलू भी विचारें

पशुओं की पीड़ा के नाम पर आप किसी ऐसे व्यक्ति को भावुक नही कर सकते जिसका आहार ही किसी जानवर की लाश व रक्त हो। जब वहां करुणा का नितांत अभाव है तब वो वीगन छोड़िये शाकाहारी ही बन जाये वही काफी है, उसे यदि किसी की पीड़ा से सरोकार ही होता तो वह मांसाहारी बनता ही क्यों ?

सोचिये आज कोई गाय दूध दे रही है, उपयोग में है तो कत्ल खानों में जाने से बची हुई है

एक समय बैल किसान के लिए बहुत उपयोगी था, पर ट्रैक्टर ने उसकी उपयोगिता खत्म कर दी, नतीजा यह हुआ कि बछड़े कसाई खाने पहुंच गए

कल को सब वीगन हो गए तब इन गायों का क्या होगा ?

इस भ्रम में मत रहिये कि मांसाहारी मांस खाना छोड़ देगा, यद्यपि शाकाहारी जरूर वीगन बन कर उस गाय को कत्ल खाने में पहुंचाने में अपना योगदान जरूर देगा क्योंकि उस गाय की उपयोगिता ही उसने खत्म कर दी।

वीगन होना उस गाय की हत्या में आपका सहयोग है जो उसकी उपयोगिता खत्म कर उन्हें कल को कटने के लिए भेज देता है।

मैं शुद्ध रूप से शाकाहारी हूं लेकिन इस मुद्दे पर बहस करते हुए सभी लोगों से एक आग्रह है कि हमारे लिए भारत की विविधता को समझना बहुत आवश्यक है। अभी हम पूरी दुनिया की बात ना करें केवल भारत के स्तर पर बात करें तो भारत के अधिकांश राज्यों में मैं गया हूं अरुणाचल प्रदेश से लेकर केरल तक।

हर जगह की पर्यावरणीय विविधता अलग है। हर जगह की उस पर्यावरणीय विविधता के कारण वहां का एक विशेष प्रकार का खाद्य/पोषण तंत्र है। जैसे जब हम अरुणाचल प्रदेश में जाते हैं एक तो ठंडा प्रदेश है, हिमालयी क्षेत्र है। स्थानीय परिस्थितियों के कारण वहां सामान्य आदमी के लिए शाकाहारी होने से ज्यादा सस्ता मांसाहारी होना होता है क्योंकि वहां शाकाहार की तुलना में मांसाहार ज्यादा आसानी से उपलब्ध है, और यह बात लगभग पूरे पूर्वोत्तर भारत के लिए सही है। पूर्वोत्तर भारत में सभी लोगों के लिए शाकाहारी होना लगभग असंभव है जब तक कि हम उनके पूरे भोजन तंत्र में बदलाव न करें। उनका शारीरिक स्ट्रक्चर उनका पाचन तंत्र उसी के अनुसार विकसित हुआ है। अगर हम बंगाल में आते हैं तो बंगाल

और बिहार में मिथिला यह दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां बिना मछली के भोजन की कल्पना नहीं कर सकते ऊपर से शाक्त मत के असर के कारण मिथिला से लेकर असम तक मंदिरों में बलि प्रथा एक सामान्य बात है और यह बलि प्रथा का उद्‌भव आज का नहीं है, इसका पूरा सिस्टम वहां की पर्यावरणीय और भौगोलिक विभिन्नता के कारण विकसित हुआ है।

ऐसे ही अगर हम पश्चिम बिहार की बात करें यूपी की बात करें पंजाब हरियाणा की बात करें तो इन क्षेत्रों के लिए शाकाहार अधिक बेहतर है। मध्य प्रदेश इसी में शामिल है राजस्थान भी शामिल है। इसके अतिरिक्त ओड़िशा है, गुजरात है, महाराष्ट्र का बहुत बड़ा हिस्सा है पूरा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश ये सब ऐसे क्षेत्र हैं जहां मुख्य रूप से शाकाहार हमारा भोज्य पदार्थ होना चाहिए क्योंकि इन क्षेत्रों में खाद्यान्न का उत्पादन पर्याप्त है और यहां का वातावरण भी ऐसा है जो खाद्यान्न के लिए कंपैटिबल है तो इन राज्यों में मांसाहार आवश्यक नहीं है, वैसे इन्हीं राज्यों के तटीय क्षेत्रों में समुद्री भोजन के बिना काम नही चलता है। हां कुछ लोग अपने रिलिजियस या मजहबी कारणों से मांसाहार करते हैं। यहां के वातावरण के अनुसार मजहबी कारणों से किया जाने वाला मांसाहार भी यहां की पर्यावरणीय स्थितियों के अनुकूल नहीं है।

हम यहां गांधी जी के विचारों की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि बचपन में गांधीजी पूर्ण रूप से शाकाहारी नहीं थे और जब वह इंग्लैंड जाने लगे उनकी मां ने उनसे कहा कि वहां पर तीन चीजों से दूर रहना–मांस मदिरा और स्त्री। लेकिन इंग्लैंड में उनके लिए मांसाहार से दूर रहना काफी मुश्किल था। इसके अतिरिक्त उनके मन में एक विचार यह भी आया था, ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेज या यूरोपीय या जो पठान है वह इसलिए इतने शक्तिशाली है। क्योंकि वह

मांसाहार करते हैं उन्होंने भी मांसाहार करने का प्रयास किया इसी बीच में उन्हें हेनरी स्टीफेंस साल्ट की पुस्तक 'अ प्ली फॉर वेजेटेरिएनिज्म एंड अदर ऐसे' पढ़ने को मिली और उसे पढ़ने के बाद वह पूरी तरह शाकाहारी हो गये।

गांधी जी अपने विचारों में इस बात पर बल देते हैं कि मांसाहार प्रकृति विरोधी भी है और इससे प्रकृति को नुकसान होता है। अब अगर हम उनकी इस प्रकृति को नुकसान वाली चीज को वर्तमान के ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से समझने की कोशिश करें तो इसके लिए हमें भोजन और पर्यावरण के अंतर संबंधों को समझना होगा।

अगर हम पर्यावरण विज्ञान की दृष्टि से देखें तब भी जहां पर खाद्यान्न की प्रचुरता है वहां पर मांसाहार पूरी दुनिया में वैश्विक तापमान के लिए जिम्मेदार है। इसको समझने के लिए हमें ऊर्जा स्थानांतरण के 10% नियम को समझना पड़ेगा। 10% नियम लिंडमैन ने दिया था। यह किसी भी खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा के प्रवाह को निरूपित करता है। इस नियम के अनुसार किसी खाद्य श्रृंखला में, ऊर्जा प्रवाह 10 प्रतिशत नियम का पालन करता है। इस नियम के अनुसार, खाद्य श्रृंखला में केवल 10% ऊर्जा एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरित होती है; बाकी 90 प्रतिशत विभिन्न कार्यो में खर्च हो जाती है जिसे श्वशन हानी कहते हैं। इसे ऊर्जा पिरामिड के रूप में दर्शाया जाता है। इसमें प्रत्येक संपोषी स्तर पर 90% ऊर्जा विभिन्न कार्यों में व्यय हो जाती है और केवल 10% ऊर्जा बायोमास के रूप में अगले संपोषी स्तर के उपभोग के लिए बचती है।

इसका सीधा प्रभाव यह होता है कि समान ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमें प्रत्येक उपरी संपोषी स्तर पर 10 गुना अधिक ऊर्जा प्राप्त करनी पड़ती है।

जैसे मान लें कि अगर हमें 100 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता एक शाकाहारी व्यक्ति के रूप में है तो उसके लिए हमें जितने खाद्यान्न की जरूरत होगी उससे 10 गुना अधिक खाद्यान्न की आवश्यकता होगी एक मांसाहारी व्यक्ति के रूप में। क्योंकि उतनी ही ऊर्जा के उत्पादन के लिए हमें 10 गुना से सौ गुना अधिक खाद्यान्न की आवश्यकता पड़ेगी। कारण यह है कि आज के समय में मांसाहार के लिए जिन जानवरों का उपयोग होता है वह जंगली जानवर नहीं है वह सब पालतू जानवर है और सब के सब शाकाहारी जानवर है। मूलतः मांसाहारी जो है वह शाकाहारी जानवरों पर ही निर्भर है और इस प्रकार वह भी खाद्यान्नो पर निर्भर हैं, और उन शाकाहारी जानवरों का पालन पोषण अलग-अलग तरीकों से मनुष्यों के द्वारा किया जाता है चाहे वह बकरियां हो चाहे वह बफेलो हो चाहे वह मुर्गियां हो मुर्गी हो या आज की तारीख में क्रोकोडाइल हो। दुनिया के कुछ क्षेत्रों में क्रोकोडाइल के माँस का उपयोग भी मांसाहारी लोग कर रहे हैं। तो जब आप क्रोकोडाइल का मांस खाते हैं तो आपको मूलत 100 गुना अधिक खाद्यान्न की आवश्यकता होती है उतनी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए।

अगर हम पर्यावरण विज्ञान की दृष्टि से देखें तब भी जहां पर खाद्यान्न की प्रचुरता है वहां पर मांसाहार पूरी दुनिया में वैश्विक तापमान के लिए जिम्मेदार है। इसको समझने के लिए हमें ऊर्जा स्थानांतरण के 10% नियम को समझना पड़ेगा। 10% नियम लिंडमैन ने दिया था। यह किसी भी खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा के प्रवाह को निरूपित करता है इस नियम के अनुसार किसी खाद्य श्रृंखला में, ऊर्जा प्रवाह 10 प्रतिशत नियम का पालन करता है। इस नियम के अनुसार, खाद्य श्रृंखला में केवल 10% ऊर्जा एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरित होती है; बाकी 90 प्रतिशत विभिन्न कार्यो में खर्च हो जाती है...।

इन सभी जानवरों को विशेष कर मुर्गियां या सूअर या भैंसे या बकरियों को पालने के लिए हमें खाद्यान्न की आवश्यकता है क्योंकि सभी जीव शाकाहारी है और उन्हें खाद्यान्न खिलाया जाता है और उनके खाद्यान्न के उत्पादन में हमें बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा का उपयोग करना होता है जिसके कारण वातावरण में बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और मीथेन गैस रिलीज होती है जो वैश्विक तापमान के लिए जिम्मेदार है साथ ही साथ जो हमारा भूजल है और जो हमारा स्थलीय जल है वह भी प्रभावित होता है इसके अतिरिक्त इस अधिक मात्रा में खाद्यान्न के उत्पादन के लिए

हमें ज्यादा जमीन की आवश्यकता होती है, जिसका सीधा असर उपलब्ध जंगलों के ऊपर पड़ता है, क्योंकि खेती के लिए जमीन बढ़ाना पूरी तरह से जंगलों को काट के ही संभव है। अब कृषि में कुछ नई तकनीक आई है लेकिन उसके इस्तेमाल में भी बहुत समय लगने वाला है तो वर्तमान में अगर हमें खेती के लिए अतिरिक्त जमीन चाहिए तो उसके लिए जंगलों को काटने के अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं और यह सब की सब चीज जो है वह वैश्विक तापन में सहयोगी हैं।

तो अगर हमें 10 किलो अन्न की आवश्यकता होगी अपने खाने के लिए तो उसी जगह पर अगर मांसाहार करने जाएंगे तो हमें 100 किलो अन्न की आवश्यकता होगी। क्योंकि जब वह शाकाहारी जानवर 100 किलो अन्न खाएगा तब जाकर वह 10 किलो अन्न के बराबर ऊर्जा उत्पादित कर पाएगा उस मांस से जो मांस वह मांसाहारी लोग शाकाहारी जानवर का खाते हैं।

इस 10 गुना अधिक अन्न को उपजाने में हमें 10 गुना अधिक रिसोर्सेज की आवश्यकता है यानी दसगुनी अधिक जमीन चाहिए। जितनी अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता है उतनी ही अधिक मात्रा में हमें ह्यूमन रिसोर्सेज की आवश्यकता है यानी हर तरह के रिसोर्सेस हमें 10 गुना करने पड़ते हैं तो अगर जहां भी शाकाहार सफल हो सकता हो वहां अगर शाकाहार पर जोर दिया जाए तो उन छात्रों में जो हमारा कार्बन फुटप्रिंट है वह 10 गुना तक कम हो सकता है और ऐसी स्थिति में हम ग्लोबल वार्मिंग को भी मिटिगेट करने में सक्षम हो सकते हैं।

इसके अतिरिक्त एक और बहुत बड़ी समस्या है जिसके ऊपर भी ध्यान देना आवश्यक है और वह समस्या है बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन की। जिसे हम बायोमैग्नीफिकेशन भी कहते हैं। बायोमैग्नीफिकेशन में जैसे जैसे हम ट्रॉफिक लेवल में ऊपर जाते हैं वैसे-वैसे जो टॉक्सिक पदार्थ हैं उनकी मात्रा बढ़ती जाती है और उनका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। तो वैसी स्थिति में अगर हम खाद्यान्नों को खाते हैं शाकाहारी हैं तो उस स्थिति में जितना रसायन जो फर्टिलाइजर या इंसेंटिसाइड या पेस्टिसाइड के माध्यम से हमारे शरीर में जा रहा है, उससे 10 गुना अधिक रसायन मांस के माध्यम से हमारे शरीर में जाता है। अगर हम जिस मांसाहार पर निर्भर हैं वह मांसाहार हमारे ही द्वारा उपजाए गए खाद्यान्नों के ऊपर निर्भर है तो।

तो शाकाहार और मांसाहार के ऊपर विचार करने से के पहले हमें एक बार अपने भोज्य पदार्थों का वातावरण पर क्या असर पड़ रहा है, किस तरह से हमारे भोज्य पदार्थ वैश्विक तापमान या ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी जिम्मेदार हो सकते हैं इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए।

अगर हम गांधी जी की बात करें तो गांधी जी ने लिंडमैन रूल के बारे में नहीं पढ़ा था। उन्हें यह जानकारी उपलब्ध नहीं थी कि जब हम मांसाहार करते हैं तो वैसी स्थिति में हमें समान ऊर्जा प्राप्त करने के लिए 10 गुना अधिक खाद्यान्नों की आवश्यकता होती है। गांधी जी के लिए शाकाहारी होने का संबंध नैतिकता से है। गांधी जी ने The Moral Basis of Vegetarianism किताब लिखी हैं। इसमें उन्होंने शाकाहारी भोजन पर प्रकाश डालने की कोशिश की है। इस बारे में उनका कहना था कि शाकाहारी भोजन के सेवन से मन सात्विक होता है और शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही आर्थिक दृष्टि से यह लाभप्रद है। फलों और सब्जियों में सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिनसे व्यक्ति सदैव सेहतमंद रह सकता है। वहीं, मांसाहारी भोजन करने से व्यक्ति कभी भी सात्विकता को नहीं पा सकता है। उसका मन कभी स्थिर नहीं रह सकता है।

जिस स्थान पर भी शाकाहार संभव है वहां व्यक्ति को शाकाहारी होना चाहिए क्योंकि शाकाहार बहुत सारी वैश्विक समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है और विशेष कर महात्मा गांधी के विचारों को मानने वालों को शाकाहार निश्चित रूप से अपनाना चाहिए क्योंकि यह उनके जीवन का एक अभिन्न अंग रहा है।

संपर्क:

मो. 7011120200

गंगाधर चाटे की कविताएं

दीवारों के भी कान होते हैं

कहावत है कि
दीवारों के भी कान होते हैं
वे सभी की बातें सुनती है।
लेकिन वे कभी भी
कुछ नहीं बोलती।

दीवारों की कानों में
अनेक लोगों के कई सारे
गहरे राज छिपे होते हैं।
लेकिन वे कभी भी किसी का
भेद नहीं खोलती।

दीवारों की कानों में
कितने सारे पीड़ितों की
चीखें गूँजती हैं।
लेकिन वह कभी भी
आँसू नहीं बहाती।

दीवारों की कानों में
भले ही कोई कितना ही
भला-बुरा कहता है।
बावजूद इसके उसका मुख
मौन रहता है।

दीवारों की कानों में
कितना शोर-शराबा होता है।
फिर भी उसका वर्तन
शांत रहता है।

दीवारों की कानों में
कितने सारे लोगों ने
फूँक भरी होगी ।
लेकिन क्या कभी दीवारें
किसी के खिलाफ खड़ी हुई होगी?

दीवारों की कानों में
इतने कर्कश आवाजों को सुन कर
दर्द होता होगा।
ऐसे समय में उसने भी अपने
कानों में तेल डाला होगा।

खैर छोड़िये महोदय,
दीवारों के कानों में
सुमधुर गीत-संगीत का रस होगा।
तभी तो उसका तन-मन और जीवन
आनंदित रहता होगा।

बहन

बहन वह होती है
जो हमेशा भाई की
भलाई चाहती है।

बहन वह होती है
जिसके कारण भाई की
कलाई सजी होती है।

बहन वह होती है
जो भाई के लिए अपनी
माई की तरह होती है।

बहन वह होती है
जो भाई को अपने हिस्से की
मिठाई खिलाती है।

बहन वह होती है
जो अपने भाई की रक्षा के लिए
दुहाई ईश्वर की देती है।

बहन वह होती है
जो अक्सर अपने भाई की
खुशहाली की कामना करती है।

गाँव में कुछ नहीं होता है

मनी
मॉल
मेट्रो
कॉलेज
यूनिवर्सिटी
गाँव में कुछ नहीं होता है।

हब
होटल
हॉस्पिटल
बैंक
पोस्ट ऑफिस
गाँव में कुछ नहीं होता है।

पुलिस स्टेशन
जेल
कोर्ट
गार्डन
थिएटर
क्लब
गाँव में कुछ नहीं होता है।

बस डिपो
रेल स्टेशन
एयरपोर्ट
एक्सप्रेस वे
गाँव में कुछ नहीं होता है।

इलेक्ट्रिसिटी
वॉटर
पेट्रोल
जॉब
एम्प्लॉयमेंट
इंडस्ट्री
गाँव में कुछ नहीं होता है।
गाँव में
सुख-सुविधाओं की
कमी ही कमी होती हैं
बस कमी नहीं होती है तो
ह्यूमैनिटी की।

संपर्कः
सहायक आचार्य,
हिंदी विभाग, कला संकाय,
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-110007
मो. 9822740020

कमलेश झा की कविता

दीप जले मन के अंदर

दीप जले जो जग के अंदर
जग में फैलेगा उजयारा।
दीप जले जो मन के अंदर
मन मे फैलेगा उजयारा ।।

मन उजयारा राह दिखाए
स्वछ और स्वतंत्र विचार।
कलुषित मन से भाव मिटाए
मन में उपजे स्वछ विचार।।

राह चुने फिर नेकी का
समाज सेवा में लगे जो तन।
द्वेष ईर्ष्या और बईमानी
निकलते जाए फिर अपने मन।।

समदर्शी का ज्ञान जगाए
मन के अंदर जलता दीप।
उचित अनुचित का अंतर बताए
मन के भीतर प्रज्वल दीप।।

ह्रदय दीप जब खुद जलता तो
फूटता अंकुर प्यार सना।
मानस मन मे भाव बढ़ाता
ह्रदय दीप प्यार भरा।।

प्यार बढ़ाता ह्रदय दीप
अपने सहित समाज मे आप।
मानव मन में मानवता भरता
फलता फूलता समाज सहित साथ।।

दीप लालिमा हमे दिखाता
आगे बढ़ने की ही चाह।
ज्ञान चक्षु को खोलकर रखता
और बताता आगे बढ़ने की राह।।

दीप लौ जब पड़ता है
सीधे मन मस्तिष्क पर।
ज्ञान द्वार फिर खुल जाता है
असर करता सीधे मन मस्तिष्क पर।।

दीप के उस प्रकाश पुंज को
मानें अपना आत्म तत्व।
सात्विक और सही सोच को
मानें अपना ज्ञान तत्व।।

ज्ञान तत्व के इस आधारस्तंभ पर
अब रखें एक नया आधार।
जीवन पथ को सुगम करेगा
आत्म ज्ञान का यह आधार।।

संपर्कः
मो. 9990891378

फोटो में गांधी

बोअर युद्ध के दौरान एम्बुलेंस कोर के सदस्य के रूप में गांधी

गोपाल कृष्ण गोखले के साथ गांधी

गांधी क्विज-7

1. फिल्म "गांधी" में गांधीजी की भूमिका किसने निभाई?
1. कमल हसन
2. नसीरुद्दीन शाह
3. बेन किंग्सले
4. रिचर्ड गेरे

2. सर्वप्रथम सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कहां की गई थी?
1. सेगांव
2. साबरमती नदी का तट
3. कोचरब
4. मगनवाड़ी

3. महात्मा गांधी कितनी बार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने?
1. पाँच बार
2. दो बार
3. चार बार
4. एक बार

४. भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधीजी को कैद करके कहाँ रखा गया था?
1. येरवडा जेल
2. आगा खाँ पैलेस (पुणे) में
3. तिहाड़ में
4. इलाहाबाद में

5. गांधीजी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब की थी?
1. 1932
2. 1933
3. 1934
4. 1935

6. यंग इंडिया व हरिजन के सम्पादक कौन थे?
1. महात्मा गांधी
2. गोपाल कृष्ण गोखले
3. खान अब्दुल गफ्फार खान
4. मोहम्मद अली जिन्ना

7. महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी।
1. वर्धा
2. सेवाग्राम
3. साबरमती
4. दांडी

8. भारत छोड़ो आन्दोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई?
1. 1940
2. 1942
3. 1943
4. 1944

9. गांधी की पुण्य तिथि किस रूप में मनाई जाती है?
1. योद्धा दिवस
2. शोक दिवस
3. अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस
4. शांति दिवस

10. इनमें से कौन गांधी के प्रेरणा स्रोत थे।
1. लेनिन
2. लियो टॉल्स्टॉय
3. कार्ल मार्क्स
4. बर्नार्ड शॉ

नोटः आप गांधी क्विज के उत्तर antimjangsds@gmail.com पर भेज सकते हैं। प्रथम विजेता को उपहार स्वरूप गांधी साहित्य दिया जायेगा।

घोष बाबू का स्कूल

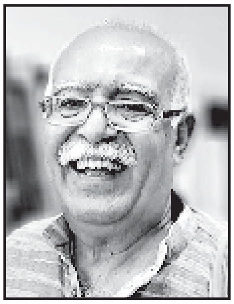

प्रकाश मनु

सुबह उठकर घंटा-दो घंटा पढ़ने के बाद थोड़ी देर बाहर लॉन में टहलना घोष बाबू का रोज का नियम है। और अकसर वे बाहर टहल रहे होते, तभी मिल्दू आता था। घरों का कूड़ा उठाने के लिए।

"कूड़ा...!" उसकी रोज की आवाज। एक साथ कई घरों में गूँजती हुई।

कुछ लोग उसी समय उठकर झटपट ताला खोलते। दरवाजा खोल देते, मगर कुछ मिल्दू के घंटी बजाने पर देर तक बेपरवाह सोए रहते।

पर घोष बाबू के यहाँ मिल्दू को कोई मुश्किल नहीं थी। क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि वह आया हो और घोष बाबू का बाहर का दरवाजा बंद हो।

बल्कि कभी-कभी तो घोष बाबू और उनकी पत्नी मिताली दोनों ही बाहर वाले लॉन में आरामकुर्सी पर बैठे चाय पी रहे होते और बातें कर रहे होते। मिल्दू आता तो वे प्यार से कहते, "आओ बेटा।"

एक-दो बार उन्होंने नाश्ता करते हुए मिल्दू से बात करने की भी कोशिश की। यही कि वह रहता कहाँ है? घर में और कौन-कौन हैं और कब से यह काम कर रहा है?

पर पता नहीं मिल्दू की क्या मुश्किल थी। वह इशारों में जवाब देता, फिर जल्दी से आगे अपने काम पर निकल जाता। जैसे उसकी इस तरह के सवालों में कोई दिलचस्पी न हो।

मिताली घोष अपने पति से कहतीं, "जब वह बात नहीं करना चाहता तो आप क्यों बार-बार छेड़ देते हैं?"

घोष बाबू कटकर रह जाते। पर अगले दिन मिल्दू आता तो फिर उनके मुँह से निकलता "आओ बेटा, ठीक तो हो न?"

एक बार घोष बाबू जब नाश्ता कर रहे थे तो उन्होंने मिल्दू को प्लेट में पड़े बिस्कुट उठाकर खाने को दिए। कहा, "लो बेटा, खा लो।" पर उसने मना कर दिया। बोला, "रहने दीजिए बाबू जी, ऐसे ही ठीक हूँ।"

घोष बाबू को अचरज हुआ। वे फिर से मिल्दू के बारे में सोचने लगे। सोचते, 'देखो, कपड़े कितने मामूली हैं, फटे-पुराने। लेकिन बोलना-चालना इसका...? सबमें कुछ नफासत है। तहजीब। जैसे काफी समझदार हो।

सुबह उठकर घंटा-दो घंटा पढ़ने के बाद थोड़ी देर बाहर लॉन में टहलना घोष बाबू का रोज का नियम है। और अकसर वे बाहर टहल रहे होते, तभी मिल्दू आता था। घरों का कूड़ा उठाने के लिए।

"कूड़ा...!" उसकी रोज की आवाज। एक साथ कई घरों में गूँजती हुई।

कुछ लोग उसी समय उठकर झटपट ताला खोलते।

अपनी उम्र से ज्यादा समझदार। फिर इनकार भी किया तो किस तरह?'

एक बार की बात, इतवार का दिन था। घोष बाबू को आज दफ्तर नहीं जाना था। मिल्दू कूड़ा उठाने के लिए आया। कूड़ा उठाने के बाद वापस कूड़ेदान रखकर जाने लगा तो घोष बाबू ने उसे पुकार लिया। बोले, "मिल्दू, कुछ काम है तुमसे। तुम कब खाली होगे?"

"कौन सा काम?" मिल्दू एकाएक चौंका। जैसे बात का सिरा न पकड़ पा रहा हो।

"वह तो बाद में बताऊँगा। पर पहले बताओ, तुम्हारा यह काम कब तक खत्म हो जाएगा। फिर कोई और काम तो नहीं है।"

पता चला, कोई बारह–साढ़े बारह बजे तक मिल्दू सब घरों का कूड़ा उठाता है और उसे शहर के बाहर वाले बड़े कूड़ेदान में डालकर घर पहुँच जाता था। नहाता–धोता है, नाश्ता करता है और कोई एक बजे बिल्कुल फ्री हो जाता है।

फिर यह भी पता चला कि शाम को पाँच से छह बजे तक उसे कहीं और भी काम पर जाना होता है।

"तो ठीक है, एक बजे सही। थोड़ा सा काम है आ जाना।" मिल्दू आया तो सुबह से काफी कुछ अलग लग रहा था। नहाया–धोया हुआ, साफ–सुथरा। चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक।

"हाँ, बाबू जी बताइए?" उसने गंभीरता से कहा।

घोष बाबू मुसकराए। बोले, "बैठो, काम भी बताता हूँ। पर पहले दो–चार बातें तो कर लें।"

अब मिल्दू थोड़ा निश्चिंत सा आराम से बैठ गया और बातें चल निकली। पता चला कि मिल्दू के पिता नहीं हैं। कोई पाँच साल हुए वे गुजर गए। मिल्दू तब सात–आठ साल का रहा होगा। तभी से वह यह काम कर रहा है। घर में माँ हैं, एक छोटी बहन भी और वे भी यही काम करती हैं। "क्या हमेशा यही करोगे, यही करते रहोगे?" घोष बाबू ने पूछा और गौर से मिल्दू की आँखों में देखने लगे। मिल्दू ने हैरानी से घोष बाबू की ओर देखा कि वे कहना क्या चाहते हैं?

"इसलिए कह रहा हूँ मिल्दू कि जिस फैक्टरी में मैं काम करता हूँ, उसमें भी तुम्हें काम मिल सकता है। क्या नहीं करना चाहोगे? मैं मैनेजर साहब से कह दूँगा, वे तुम्हें रख लेंगे। तनख्वाह अच्छी है। और काम भी कुछ अलग सा।"

"पर...पर साहब ये कैसे?" मिल्दू कुछ हैरान हुआ। और यह हैरानी उसके चेहरे पर साफ पढ़ी जा रही है।

"कुछ खास नहीं। मैं मैनेजर साहब से कह दूँगा तो वे रख लेंगे। तुम यकीन मानो।" घोष बाबू ने एक बार फिर दोहराया।

इस बार मिल्दू की आँखों में चमक दिखाई दी। "सच?" उसने अंदर की खुशी छिपाते जैसे कहा।

"हाँ, सच...बिल्कुल सच।" मिल्दू के चेहरे पर अचानक आई रौनक देखकर घोष बाबू इतने खुश हुए, मानो उन्हें कोई खजाना मिल गया हो।

"पर साहब, वह कैसे?" थोड़ी देर बाद मिल्दू फिर पूछ रहा था।

"वही तो बता रहा हूँ।" घोष बाबू हँसकर बोले।

"काम तुम्हें मिल सकता है। बल्कि निश्चित मिल जाएगा। और इससे बहुत अच्छा काम होगा। पर अभी नहीं, तुम्हें उसके लिए अभी पढ़ना होगा।"

"अच्छा मिल्दू, तुम कितनी जमात पढ़े हो?" घोष बाबू ने पूछा।

"कक्षा चार, बाबू साहब। उसके बाद तो पढ़ाई छूट ही गई।"

"तो क्या हुआ, मैं पढ़ाऊँगा।" घोष बाबू ने कहा। "एक साल बाद तुम पाँचवीं का इम्तिहान दे देना। फिर आगे हाईस्कूल तक तो तुम्हें पढ़ना ही चाहिए। प्राइवेट भी हाईस्कूल का इम्तिहान दे सकते हो। काम करते रहो और पढ़ते भी रहो। पढ़ाऊँगा मैं और किताबें भी दूँगा। कोई चिंता की बात नहीं।"

मिल्दू सोच रहा था 'यह कैसे होगा, होगा भी कि नहीं? यह सच है कि सपना?' उसे इतनी खुशी हुई जैसे अभी उठकर नाचना शुरू कर दे।

"पर यह काम...?" उसने घोष बाबू ने पूछा। फिर खुद ही कहा, "यह तो जरूरी है वरना तो साहब, हमारा घर नहीं चल सकता।"

"इसे करते रहो, बस मेरे पास शाम के समय आ जाया करो। रोजाना कोई दो-ढाई घंटे पढ़ा दिया करूँगा और इतवार को जब मेरी छुट्टी रहती है, दोपहर को भी आ सकते हो।"

"पर साहब, किताबें...?" मिल्दू ने कुछ परेशान होकर कहा। इस पर घोष बाबू अंदर गए और बच्चों की एक सुंदर सी किताब लेकर आए। उसे मिल्दू के हाथ में पकड़ाते हुए कहा, "लो, पढ़ो।"

उस सुंदर रंग-बिरंगी किताब में बच्चों के लिए छोटी-छोटी कविताएँ और कहानियाँ थीं।

घोष बाबू बोले, "मिल्दू, यह रही तुम्हारी किताब। मैं बोल-बोलकर पढ़ दूँगा, तुम सुनते जाओ। चित्र भी हैं इनमें। बाद में खुद पढ़ना, अच्छे से समझ में आएगा।"

फिर घोष बाबू ने दो-तीन कविताएँ, कहानियाँ पढ़कर सुनाई तो मिल्दू का चेहरा खिल गया। उनमें एक कहानी शरारती चुहिया और दर्जी की थी। उस शरारती चुहिया ने सोचा कि एक सुंदर सी रंग-बिरंगी टोपी सिलवानी चाहिए। उसे पहनकर वह सच्ची-मुच्ची अंग्रेजी मेम लगेगी। सो दौड़ी-दौड़ी गई वह दर्जी नफासत अली के पास। वहाँ जाकर नटखट चुहिया ने अपनी टोपी सिलवाने के लिए दर्जी को क्या खूब छकाया। यहाँ नाची, वहाँ नाची और किया खूब झमेला। बोली, 'दर्जी चाचा, जल्दी सी दो मेरी रंग-बिरंगी टोपी। बिल्कुल अब्भी की अब्भी!'

दर्जी बेचारा हक्का-बक्का। आखिर उसे सीनी ही पड़ी रंग-बिरंगी कतरनों से चुहिया की टोपी। एकदम नायाब, जिसे पहनकर चुहिया खुशी के मारे यों नाची,वों नाची और बस नाचती ही रही।...

कहानी सुनकर मिल्दू को बड़े जोर की हँसी आई। देर तक खूब खिलखिलाकर हँसता रहा।

मिल्दू की वह हँसी घोष बाबू के मन में गड़ी रह गई। सोचने लगे, इसके भीतर जो बच्चा है, उसे सही माहौल मिले तो वह क्या नहीं कर सकता? आगे चलकर कुछ बन सकता है, बड़ा नाम कमा सकता है।...पर अभी तो जो जिम्मेदारी का बोझ इसके सिर पर है, उसने इसके बचपन को पूरी तरह कुचलकर रख दिया है।

'मैं क्या इसके बचपन को बचा सकता हूँ?' उन्होंने सोचा, 'कैसे, किस तरह?'

घोष बाबू को देखा तो वे बच्चे पहले तो शरमाए, फिर हिम्मत करके पास आ आकर बैठ गए। और घोष बाबू ने मिल्दू के साथ-साथ उन्हें भी मजेदार कविता-कहानियाँ सुनाई, खूब बातें कीं और पढ़ाया भी।

तो अब तय हुआ कि घोष बाबू हर इतवार को यहाँ बस्ती में आकर पढ़ाया करेंगे, ताकि मिल्दू के साथ-साथ और बच्चे भी पढ़-लिख लें। बाकी दिनों में मिल्दू शाम के वक्त घोष बाबू के घर जाकर पढ़ आया करेगा।

मिल्दू खूब उत्साहित था। बस्ती के और बच्चे भी। उन्होंने तय किया कि वे अपने घर के सामने वाले मैदान को साफ करके बच्चों के बैठने का इंतजाम कर देंगे। बस्ती के बड़े बुजुर्गों ने भी मदद करने का फैसला किया।

इतवार आया तो शाम के समय घोष बाबू के आने से पहले ही सब बच्चे मैदान में बैठ गए। सभी घोष बाबू के आने का इंतजार कर रहे थे। उनकी सुनाई हुई कविताएँ और कहानियाँ उन्हें याद आ रही थीं और सोचते थे, 'देखें, भला आज घोष बाबू क्या सुनाते हैं?'

थोड़ी देर में घोष बाबू और उनकी पत्नी मिताली दोनों आ पहुँचे। चेहरे पर मंद-मंद मुसकराहट। आते ही बोले, "बच्चो, सुनो खुशखबरी! आज तुम सबको सुंदर-सुंदर किताबें मिलेंगी। कहानी और कविताओं की रंग-बिरंगी किताबें। धीरे-धीरे पढ़ना सीख लोगे तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा।"

वे बड़ी देर तक मिल्दू से बातें करते रहे। फिर वह चलने लगा तो बोले, "मिल्दू, मेरी बात पर यकीन करो। तुम एक दिन कुछ बनोगे, जीवन में कोई बड़ा काम करोगे। हाँ, जो राह मैंने बताई है, उसे छोड़ना मत।"

इसके बाद मिल्दू रोजाना घोष बाबू के घर आने लगा। खूब ध्यान से पढ़ने-लिखने लगा। एक-दो बार घोष बाबू उसके घर भी गए। उसे वहाँ घर के आगे एक पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाया, तो देखकर आसपास के और बच्चे भी आ गए। उनमें से ज्यादातर बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। सबकी हालत मिल्दू जैसी ही थी। मिल्दू ने सबको बता रखा था घोष बाबू के बारे में।

सुनते ही सबमें खुशी की उमंग छा गई। चिड़ियों जैसी उनकी मीठी चह-चह हवा में गूँज रही थी।

घोष बाबू के पास एक बड़ा सा थैला था। थैले में ढेर सारी किताबें। उन्होंने मिताली जी के साथ मिलकर सब बच्चों को सुंदर-सुंदर किताबें बाँटीं। फिर उन्हीं किताबों में से पढ़कर खूब मजेदार कविताएँ और कहानियाँ सुनाई। थोड़ी गिनती और क, ख, ग सिखाया। बोलना और पढ़ना भी सिखाया। कुछ आसपास की दुनिया-जहान की बातें।

चलते-चलते घोष बाबू ने हवाई जहाज की मजेदार कहानी सुनाई कि आखिर हवाई जहाज हमारी दुनिया में आया कैसे? पहले एक बड़े से गुब्बारे के सहारे आदमी ने हवा में उडने की कोशिश की। फिर होते-होते हवाई जहाज का विचार आया और एक दिन सच्ची-मुच्ची हवाई जहाज बन गया और आसमान में उड़ने लगा, शूँ-शुर्र!

सुनकर बच्चों को बहुत अच्छा लगा। घोष बाबू ने वादा किया कि अगले हफ्ते वे आइसक्रीम की कहानी सुनाएँगे। तब तक अँधेरा छाने लगा तो सब बच्चों से विदा लेकर अगले इतवार को वादा करके वे दोनों चल पड़े।

अगले इतवार को मिताली और घोष बाबू आए; तो पहले से कहीं ज्यादा बच्चे उस मैदान में जमा थे। सब पढ़ना चाहते थे, कविता-कहानी सुनना भी चाहते थे और खुद भी बहुत कुछ सुनाना चाहते थे।

इस बार घोष बाबू और मिताली ने बच्चों को एक नाटक की तैयारी कराई। नाटक का नाम था 'पढ़ोगे-लिखोगे तो बनोगे अच्छे'। बच्चों ने इतनी अच्छी तरह से अपना-अपना पार्ट किया कि घोष बाबू को बहुत अच्छा लगा। कहा, "थोड़ी और प्रैक्टिस करो तो इसका बढ़िया सा प्रदर्शन होगा यहीं तुम्हारी बस्ती और मोहल्ले में।" और उस बार तो नहीं, पर दो-तीन इतवार छोड़कर नाटक के प्रदर्शन की भी तैयारी हुई। उसी मैदान में बल्लियाँ गाड़कर शामियाना लगाया गया। रंग-बिरंगी झंडियाँ लगीं। सुंदर सा मंच बना और फिर 'डम-डम-डम. ..डम डमाडम' संगीत के साथ नाटक शुरू हुआ तो उस बस्ती के सारे लोग वहाँ इकट्ठे हो गए।

नाटक वाकई जोरदार था। बच्चों ने अपना-अपना पार्ट बड़े लाजवाब ढंग से निभाया। बीच-बीच में चुटीली हँसी वाले संवाद थे। कहीं-कहीं तो इतनी मजेदार सिचुएशन थी कि नाटक देखने वाले दर्शक हँस-हँसकर पागल हो गए।

बस्ती के बच्चों का जोश अब बढ़ गया था। और मिल्दू तो उन सबका जैसे नेता बन गया हो। वह सभी को समझाता, "हम इसी हालत में क्यों रहें? क्या हमें भगवान जी ने सिर्फ कूड़ा उठाने के लिए पैदा किया है? क्या हम बड़े-बड़े काम नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते?"

मिल्दू की बातें सुनकर बस्ती के सारे बच्चों में पढ़ने-लिखने की ललक पैदा होती जा रही थी। अब तो घोष बाबू और मिताली पढ़ाने आते तो पूरा मैदान बच्चों से भरा होता। आसपास उनके मम्मी-पापा और बड़े लोग भी आकर बैठ जाते। कभी-कभी तो इतने ज्यादा लोग हो जाते कि पढ़ाने-लिखाने में भी दिक्कत होने लगी।

तब घोष बाबू को एक तरीका सूझा। उन्होंने सोचा, 'मिल्दू को जल्दी से पढ़ा-लिखा दिया जाए, तो वह मदद कर सकता है। वह दूसरों को तो पढ़ाएगा ही, पूरी बस्ती में भी एक हलचल पैदा हो जाएगी।'

घोष बाबू ने मिल्दू को बुलाकर कहा, "देखो मिल्दू, अब गरमी की छुट्टियाँ होने वाली हैं। तो अब मेरे पास ज्यादा समय होगा। तुम चाहो तो ज्यादा देर तक पढ़ लो, ताकि हाईस्कूल तक का कोर्स तुम्हारा जल्दी से खत्म हो जाए। फिर इम्तिहान जब होगा, दे देना।"

मिल्दू दो-तीन महीने में ही खासा पढ़-लिख गया। अब वह खुद भी बस्ती के बच्चों को थोड़ा-बहुत पढ़ा दिया करता। इतवार को घोष बाबू और मिताली पढ़ाने आते और बोलते-बोलते थक जाते तो बीच में मिल्दू खड़ा हो जाता। वह सब बच्चों को पढ़ाता, उनकी कॉपियाँ जाँचता। साथ ही मन में जोश भरने वाली बहुत सी अच्छी बातें भी बताता।

धीरे-धीरे समय बीता। मिल्दू ने हाईस्कूल की परीक्षा पास कर ली। अच्छे नंबर आए तो घोष बाबू के कहने पर उसने इंटरमीडिएट में दाखिला ले लिया। इंटरमीडिएट में उसने काफी ज्यादा उत्साह से पढ़ाई की और फर्स्ट आया। उसके बाद वह घोष बाबू के घर गया। उनके पैर छूकर बोला, "गुरु जी, आपने मुझे मंत्र दिया था, शिक्षा का मंत्र! मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि आगे पढ़ूँगा। आज आपके कारण ही मैं लिख-पढ़ पाया हूँ।"

सुनकर घोष बाबू ने उसे छाती से लगा लिया। फिर कहा, "मुझे खुशी है, मैंने तुम्हारी आँखों में जो उजास देखी

थी, वह आज तुम्हारे पूरे जीवन में फैल गई है। पर यह उजाला केवल तुम्हारे जीवन में न रहे, बल्कि बस्ती के सब बच्चों तक पहुँचना चाहिए। मेरी इच्छा है कि तुम बस्ती के सब बच्चों को पढ़ाओ। हम एक स्कूल खोलते हैं। वहाँ कोई फीस नहीं ली जाएगी। हर बच्चा दाखिला ले सकता है। वहाँ मुफ्त किताबें मिलेंगी, मुफ्त पढ़ाई। और अध्यापक का जिम्मा तुम्हें लेना पड़ेगा। तुम्हारी तनखा मैं दूँगा और स्कूल चलाने का खर्चा भी।"

सुनकर मिल्दू हैरान। क्या सच में ही ऐसा हो सकता है?

पर घोष बाबू तो बहुत पहले से ही यह सोचे बैठे थे। उनकी और मिल्दू की कोशिशों से बड़ी जल्दी वह स्कूल खुल गया। उसका नाम था अपना स्कूल।

घोष बाबू कहते, "मिल्दू, अब बस्ती का अँधेरा छंट जाएगा। इसलिए कि अपना स्कूल तो हर किसी का स्कूल है। यह स्कूल बस्ती के लोगों को शिक्षा का एक नया मंत्र देगा। बस, तुम इससे दूर मत जाना। तुम्हीं इस स्कूल की आत्मा हो।"

और सचमुच अपना स्कूल खूब चल निकला। उसमें घोष बाबू मिताली मिल्दू तो पढ़ाते ही थे। धीरे-धीरे एक-दो और उत्साही अध्यापक आ गए। पढ़ाने के अलावा खेल-कूद तो होते ही थे। साथ ही वाद-विवाद प्रतियोगिता होती, नाटक होते, कला और संगीत की शिक्षा भी दी जाती।

मिल्दू की तो हालत यह थी कि जैसे उसे पंख लग गए हैं। जब से यह स्कूल खुला था, रात-दिन वह इसी के बारे में सोचता। और रहता भी यहीं था। वही इस स्कूल का प्रिंसिपल भी था, कर्ता-धर्ता भी। फिर घोष बाबू और मिताली तो दौड़-दौड़कर इस स्कूल में आते। वे कहते थे, "इन गरीब बच्चों को पढ़ाते हुए इतना सुख मिलता है कि हम नहीं जानते, स्वर्ग का सुख क्या होता है?"

कोई घोष बाबू से उनके बच्चों के बारे में पूछता तो हँसकर कहते, "भाई, हमारे तो यही बच्चे हैं। सबसे प्यारा बच्चा है मिल्दू, और फिर ये सारे बच्चे।"

मालूम पड़ा घोष बाबू का एक ही बेटा था, जो इंजीनियरिंग पढ़ने अमेरिका पढ़ने गया था, फिर वहीं बस गया। अब साल में एक-दो बार आ जाता है मिलने।

घोष बाबू अपने बेटे से कम प्यार करते हों, ऐसा नहीं। पर उनका मन तो गरीब बस्ती के इन गरीब बच्चों को देखकर ही खिलता है। वे सबसे कहते हैं, "अब तो यही हैं मेरी आशा के केंद्र। इन्हीं में मेरा मन रमता है।"

ऐसे ही बरसों बरस गुजर गए। मिल्दू का स्कूल चलता रहा और तरक्की करता रहा। घोष बाबू और मिताली का आशीर्वाद भी बना रहा। इस स्कूल की रौनक दिनों-दिन बढ़ती ही जा रही थी, कम नहीं हुई। इन बच्चों में पढ़कर कुछ तो दूर-दूर चले गए, पर वहाँ से घोष बाबू और मिताली के लिए उनकी चिट्ठियाँ आतीं।

शिष्यों की प्यार भरी चिट्ठियाँ आतीं, तो घोष बाबू के चेहरे पर बड़ी मीठी सी मुसकान आ जाती। खुश होकर कहते हैं, रोशनी दूर-दूर तक फैल रही है।

मिल्दू अब अपना स्कूल का अध्यापक ही नहीं, ज्ञान का हरकारा भी है जो दूर-दूर तक नई रोशनी का संदेश फैलाता नजर आता है। कहीं भी कोई बच्चा अनपढ़ हो तो मिल्दू उसके घर पहुँचकर टेर लगाता है, "चलो स्कूल, चलो स्कूल!"

फिर सबको समझाता है, "अरे भई, बस्ती में अब स्कूल खुल गया है तो कोई भी बच्चा भला अनपढ़ क्यों रहे? जल्दी से स्कूल भेजिए उसे, पढ़ाने-लिखाने की सारी चिंता हमारी। कापी-किताबें भी हम देंगे। आप तो बस, उसे स्कूल भेजना शुरू कीजिए।"

घोष बाबू कभी-कभी खुशी से भरकर कहते हैं, "मिल्दू, हमने एक बहुत बड़ा दीया जलाया है, ज्ञान का दीया। वह तुम हो। तुम्हारे जैसे उत्साही लोग हों धरती पर तो अँधेरा नहीं रहेगा। कभी नहीं।"

श्रीमती मिताली घोष मुसकराते हुए उनकी बात को आगे बढ़ाती हैं, "हमने एक दीया जलाया था, पर मिल्दू ने एक से एक करते हुए हजारों दीए जला दिए। मिल्दू का काम हमसे ज्यादा बड़ा है।"

उधर मिल्दू रात-दिन अपने स्कूल को सँवारते हुए यही सोचता है कि घोष बाबू का सपना जल्दी से जल्दी पूरा हो, उसे पूरा होना ही चाहिए। क्योंकि तब कोई बच्चा सिर्फ कूड़ा बीनने के लिए अपनी पूरी जिंदगी बरबाद नहीं करेगा।

संपर्कः

545, सेक्टर-29, फरीदाबाद (हरियाणा),
पिन-121008, मो. 09810602327

महात्मा गांधी के जीवन मूल्य

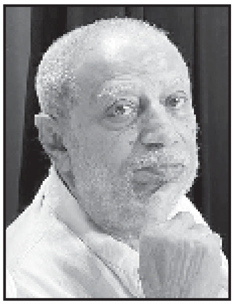

रघु ठाकुर

नित्यानंद निवारी जी के द्वारा लिखित पुस्तक महात्मा के जीवन मूल्य, एक ऐसे समय में आई है जब उसकी समाज देश और दुनिया को बहुत आवश्यकता है, इस पुस्तक में 10 खंड हैं जिनमें महात्मा गांधी के विभिन्न पक्षों पर उन्होंने अपनी व्याख्या की है।

पहला खंड– अहिंसात्मक संचार और महात्मा है। इसमें नित्यानंद जी ने अहिंसा के शब्द की महात्मा गांधी की दृष्टि से बारीक परिभाषा की है उन्होंने भारत के पुराने धार्मिक ग्रंथों या शास्त्रों के अध्ययन के आधार पर भी यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि महात्मा गांधी ने भारत की आजादी के लिए जो अहिंसात्मक आंदोलन चलाया था। वह अहिंसा एक सादा और सर्वदा तथा सर्वत्र विद्यमान रहने वाला भाव है।

वे गांधी की दृष्टि से अहिंसा की व्याख्या करते हैं कि "अहिंसा का अर्थ केवल हिंसा ही करना नहीं है बल्कि किसी का अहित न सोचना भी है, किसी को कटुवाणी न बोलना भी है। वे लिखते हैं हिंदू शास्त्रों के अनुसार अहिंसा का अर्थ है सर्वदा और सर्वत्र यानि मनसा वाचा कर्मणा सभी प्राणियों के प्रति प्रेम का भाव।"

दूसरे भाग– शिक्षा और गांधी में विद्या की अनिवार्यता के लिए वे आगे लिखते हैं– "विदवाविहीनः पशुभिः समानः" यानि विद्या रहित व्यक्ति पशु के समान होता है। शास्त्रों के अनुसार "सच्ची विद्या वह है जो दोषों से मुक्त करें।" उपनिषद भी कहते हैं "विद्या अमृतम् अश्नुते" यानि विद्या से अमृत और आनंद की प्राप्ति होती है। तिवारी जी ने इस खंड में भी महात्मा गांधी की खोज प्राचीन शास्त्रों के माध्यम से की है जिन्हें लोग लगभग भूल चुके हैं और आज का कट्टर पंथ इन शास्त्रों की उन महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा नहीं करता जो मानव को मानव बनाती है, बल्कि धर्म और शास्त्रों को कुछ संकीर्ण जमाते इस रूप में प्रस्तुत कर रही हैं जैसे धर्म और शास्त्र का मतलब अंधविश्वास और दानव होना हो।"

तिवारी जी ने महात्मा गांधी के कथन को कुछ शास्त्रों के साथ जोड़कर प्रमाणित किया है। वे लिखते हैं कि ईशोपनिषद में लिखा है

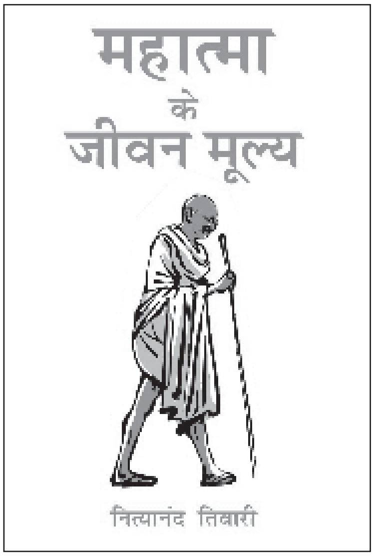

लेखक
नित्यानंद तिवारी
प्रकाशक
वाची प्रकाशन, नई दिल्ली
मूल्य : 400

"विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेद्वोभयां सह" अर्थात जो विद्या और अविद्या दोनों को एक साथ जानता है वह अविद्या से मृत्यु को पार कर विद्या के माध्यम से अमरत्व प्राप्त करता है।

तीसरे खंड में श्री नित्यानंद तिवारी जी ने महात्मा गांधी के खादी और चरखा के कार्यक्रमों का विस्तृत वर्णन दिया है। तथा खादी जो गांधी जी के विचारों और जीवन शैली का हिस्सा तो थी ही स्वतंत्रता के आंदोलन का भी एक महत्वपूर्ण पक्ष था, जो आत्मनिर्भरता स्वदेशी, स्वावलंबन, पर्यावरणीय तथा स्वास्थ्य का भी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता था।

उनके चरखा और खादी के विकास ने शायद अंग्रेजों को भारत छोड़ने की ओर सोचने को विवश कर दिया था। खादी के अभियान के बाद जो देश के कोने-कोने में उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम तक फैल गया था, अंग्रेजों की आय भारत के खर्चे में कम हो गई थी। नये भारत में उनका रहना घाटे का सौदा बन गया था।

पुस्तक के तीसरे खंड में नित्यानंद जी ने महात्मा गांधी के प्रकृति और पर्यावरण संबंधी विचारों की प्रस्तुति की है उन्होंने यूनेस्को के सम्मेलन के समय गांधी जी के द्वारा कहे हुए वाक्य को जिसे लिखकर वहां लगाया गया था, उद्धृत किया है।

श्री तिवारी जी ने परिश्रम के साथ यजुर्वेद के श्लोक को अपने इस लेख में उद्धृत किया है तथा उसमें भी प्रकृति के संरक्षण के जो संदेश या उपदेश दिए गए थे उनका उल्लेख किया है। उन्होंने यजुर्वेद की एक पंक्ति लिखी है ओम शांति रक्षण शांति पृथ्वी जिसका अर्थ है सभी प्राणियों के प्रति सह सदृश्यता का परिचय देना ही जीवन का सही लक्षण है। इसी में कहा गया है कि "पृथ्वी मातर्मा पृथ्वी मा हिसायो अहं त्वम्"

श्री नित्यानंद जी ने अपनी पुस्तक के चौथे और पांचवें खंड में गांधी और जल संरक्षण तथा "शुद्ध हवा के पक्षधर गांधी" को बहुत अच्छे तार्किक और तथ्यात्मक रुप से प्रस्तुत किया है जो पठनीय भी है और अनुकरणीय भी है।

महात्मा गांधी ने अपने एक लेख में लिखा था शरीर को तीन प्रकार के प्राकृतिक पोषण की आवश्यकता होती है, हवा, पानी और भोजन लेकिन साफ हवा सबसे ज्यादा आवश्यक है और इसीलिए 1918 में अहमदाबाद में उन्होंने भारत की आजादी को तीन मुख्य तत्व "वायु जल और अनाज" की आजादी के रूप में परिभाषित किया था।

पुस्तक के सातवें खंड में श्री तिवारी जी ने "गांधी के ऊर्जा स्रोत प्रभु श्री राम" के शीर्षक से महात्मा गांधी के राम की कल्पना को लिखा है। महात्मा गांधी श्री राम की चर्चा करते थे। वे जिस राम की चर्चा करते थे उसका उन्होंने बहुत सुंदर वर्णन लेख में किया है उन्होंने 1928 के रामनवमी के अवसर पर बापू के भाषण के कुछ अंश दिए हैं कि "हम जिस राम को गाते हैं वह ना ही वाल्मीकि के राम है ना ही तुलसी के राम हैं। हालांकि रामायण मुझे बहुत प्रिय है और मैं उसे बहुत ही शानदार ग्रंथ मानता हूँ। अगर आज कोई कष्ट में है तो मैं उसे राम नाम दोहराने को कहूंगा और कोई नहीं सो पा रहा है उसे भी कहूंगा परंतु यह राम दशरथ के पुत्र या सीता के पति नहीं है, हकीकत में यह देहधारी राम नहीं है, वह तो अजन्में हैं व जगत के स्वामी है। इसलिए हमें केवल उस राम को स्मरण करना चाहिए जो हमारी कल्पना के राम हैं ना कि दूसरे की कल्पना के"।

हरिजन और महात्मा के खण्ड में तिवारी जी ने एक तो हरि शब्द की अनेक संदर्भों के साथ व्याख्या की है और यह कहा है कि हरि का अर्थ ईश्वर से है। इसीलिए महात्मा गाँधी ने हरिजन शब्द का प्रयोग आज से लगभग 100 साल पहले समाज के उन लोगों के लिए सुविचारित ढंग से किया था जिन्हें तत्कालीन समाज अस्पृश्य शूद्र आदि-आदि शब्दों का प्रयोग करता था और उनके प्रति जन्मना घृणा का भाव रखता था।

महात्मा गांधी के रामराज्य की कल्पना भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि गांधी का रामराज्य एक ऐसा राज्य था जिसमें पीड़ा नाम की कोई वस्तु नहीं थी। उसका अर्थ था "दैहिक दैविक भौतिक तापा, रामराज काहु नहीं व्यापा" और अगर यह तीन प्रकार की व्याधियां दुनिया में ना हो तो

फिर कोई भी संकट नहीं रहेगा।

तिवारी जी ने अपने इस लेख में ऋग्वेद के एक ऋषि के कथन का उल्लेख किया है, जिसमें कहा गया है "मेरे पिताजी वैद्य हैं मेरी मां दूसरे घर चक्की पिसती है और यह उल्लेख एक ऋषि का है यानी एक ही परिवार में तीन वर्णों के लोग साथ रहते थे। वर्ण जन्मना नहीं था कर्मणा था, जाति जन्मना है और चूंकि वर्ण नाम पर जाति को जन्मना कहा जाता है इसलिए आज की दुनिया में वर्ण और जाति को भूल जाना चाहिए, अब एक ही जाति है मानव जाति।

एक खंड में तिवारी जी ने हरिजन और महात्मा के शीर्षक से बापू के हरिजन होने का अर्थ और उसके माध्यम से समाज में विशेषत: भारतीय समाज में जो अस्पृश्यता फैली हुई है उसका उल्लेख बापू के संदर्भ में किया है।

महात्मा की पत्रकार के नाम का लेख भी बहुत महत्वपूर्ण और पठनीय है और आज के कॉर्पोरेट दौर के पत्रकार, पत्रकारिता के लोगों के लिए, भी पठनीय है। महात्मा की पत्रकारिता से खण्ड में श्री तिवारी जी ने महात्मा गाँधी के दृष्टिकोण से और उनके द्वारा संपादित पत्रों के माध्यम से पत्रकारिता को स्पष्ट किया है।

सरोजिनी नायडू और महात्मा गांधी के संबंधों के बारे में भी तिवारी जी का एक लेख है तथा 'स्वराज का दर्शन क्या है', 'स्वराज का तात्पर्य क्या है' इसको बताने वाला भी एक लेख है ।"स्वराज दर्शन" का खण्ड भी एक महत्वपूर्ण आलेख है जिसमें उन्होंने महात्मा गाँधी के स्वराज की कल्पना को सप्रमाण प्रस्तुत किया है। इस आलेख में उन्होंने बापू के आर्थिक दृष्टिकोण राजनीतिक दृष्टिकोण, समाज सुधार आदि सभी प्रश्नों को लिया है। हिन्द स्वराज पुस्तक के अनेक संदर्भों को उल्लेख करते हुए उन्होंने भारत के बारे में गाँधी जी की मूल कल्पना को प्रस्तुत किया है।

श्री तिवारी जी की यह पुस्तक पेज संख्या के रूप में छोटी लग सकती है परंतु दर्शन और सत्य के मामलों में यह विशाल है व्यापक है और इसमें हजारों हजार प्रश्नों का सार छुपा हुआ है। एक प्रकार से तिवारी जी ने गागर में सागर भर दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि बड़ी संख्या में लोग इसे पढ़ेंगे तथा महात्मा गांधी के जीवन दर्शन और सर्वकालिक प्रासंगिकता तथा वैश्विक व्यापकता को अनुभव करेंगे। उनके आलोचक भी इस पुस्तक को पढ़कर अपने भ्रम दूर करेंगे और गांधी के सत्य, जीवन और दर्शन को समझने का प्रयास करेंगे।

देश का सोशल मीडिया गैर प्रमाणिक, गैर जिम्मेदार और अधिकांश रूप में कपोल कल्पित और स्वयं निर्मित है। इसका एक बड़ा हिस्सा महात्मा गांधी कि छवि को मिटाने में लगा हुआ है। यह लोग भूल जाते हैं की गांधी को मिटाने का अर्थ दुनिया में भारत की पहचान, भारत के आदर्श को मिटाना है और इतना ही नहीं अपने ही इतिहास अपने पुरखों के चिंतन मनन और लेखन, वेदों और उपनिषद को नकारना है।

ऐसा लगता है कि जैसे गाँधी के ऊपर कीचड़ उछालना ही कुछ मित्रों व समूहों का, सिद्धांत बन गया है।

यह ऐसा दौर है जहां भारत के बाहर की दुनिया गांधी को अपना रही है, आदर्श मान रही है और एक अर्थ में पूज रही है और दूसरी तरफ भारत के कुछ लोग हर स्तर पर महात्मा गांधी के खिलाफ प्रतिदिन झूठे प्रचार, झूठे बयान गंदे से गंदे आरोपों को फैलाने में लगे हैं।

उम्मीद है इस पुस्तक से यह योजनाबद्ध रूप में फैलाया हुआ अंधकार का जाल भी कुछ कटेगा व कम होगा।

गांधी ना मरे हैं ना मरेंगे बल्कि जितना गांधी को मारने के प्रयास होंगे उतना ही अधिक गांधी जिंदा होंगे, यही गांधी का अमरत्व है और श्री नित्यानंद तिवारी जी ने अपनी इस पुस्तक से गांधी के अमरत्व को सुंदर ढंग में समाज के समक्ष प्रस्तुत किया है।

(समीक्षक वरिष्ठ गांधीवादी विचारक हैं।)

गतिविधियाँ

गांधीजी की विशाल मूर्ति का अनावरण

गांधी स्मृति के उपाध्यक्ष व पूर्व केन्द्रीय मंत्री विजय गोयल ने तीस जनवरी मार्ग स्थित गांधी स्मृति में 30 सितंबर को महात्मा गांधी की विशाल मूर्ति का अनावरण किया। इस अवसर पर दिल्ली के विभिन्न स्कूलों के 350 बच्चों ने एकस्वर में गांधीजी की प्रिय रामधुन 'रघुपति राघव राजा राम' का गायन किया।

इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए विजय गोयल ने कहा कि महात्मा गांधी का जीवन सभी के लिए अनुकरणीय है। गांधी जी ने चरखे के माध्यम से भारतवासियों को विदेशी वस्त्रों का त्याग कर आत्मनिर्भर बनने का मंत्र दिया। आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जो इस संस्था के अध्यक्ष भी है, महात्मा गांधी के जीवन को सच्चे अर्थों में आत्मसात कर रहे हैं। उन्होंने स्वच्छता, शौचालय, महिला सशक्तिकरण, आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी, खादी, गंगा सफाई आदि जैसी योजनाओं के जरिए महात्मा गांधी के सपनों के भारत को साकार किया है।

कार्यक्रम में गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के निदेशक डॉ ज्वाला प्रसाद ने अपने विचार रखते हुए कहा कि गांधीजी ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहले दक्षिण अफ्रीका और बाद में भारत में सत्याग्रह के जरिए उन्होंने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए संघर्ष करना सिखाया।

इस अवसर पर समिति के प्रशासनिक अधिकारी संजीत कुमार सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे।

गांधी जयंती पर गांधी स्मृति में सर्वधर्म प्रार्थना आयोजित

गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के शहादत स्थल गांधी स्मृति में सर्व धर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और पूर्व केन्द्रीय मंत्री व गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के उपाध्यक्ष विजय गोयल ने बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रख्यात गायक सोनू निगम ने भक्ति संगीत प्रस्तुत किया।

इस कार्यक्रम में अनेक देशों के राजनयिक, गांधीवादी कार्यकर्ता व अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए विजय गोयल ने कहा कि महात्मा गांधी का व्यक्तितव बहुत प्रेरक था। गांधीजी ने चरखे और खादी के माध्यम से आत्मनिर्भरता का मंत्र देशवासियों को दिया। उनके विचारों को आत्मसात करके हम अपना व देश का विकास कर सकते हैं।

गोयल ने कहा कि आज यदि गांधी जी को वास्तव में कोई जी रहा है, तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने स्वच्छता, आत्मनिर्भरता, शौचालय, महिला सशक्तिकरण आदि अनेक योजनाओं के जरिए महात्मा गांधी के सपनों को साकार किया है।

कार्यक्रम में प्रसिद्ध गायक सोनू निगम ने राम धुन, सुख के सब साथी, अच्युतम केशवम् जैसे भजनों से लोगों को भाव विभोर कर दिया। इससे पूर्व विभिन्न धर्मों के गुरुओं ने प्रार्थना प्रस्तुत की।

गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के निदेशक अंतरराष्ट्रीय महात्मा गांधी लीडरशिप पुरस्कार से सम्मानित

गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के निदेशक डॉ. ज्वाला प्रसाद को गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन में प्रतिष्ठित महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर लंदन के मेयर, कोलंबिया की मिस वर्ल्ड, ऑस्ट्रेलिया के न्यायाधीश, सेसेल्स के पर्यटन मंत्री, ऑक्सफोर्ड के मेयर सहित लगभग 50 देशों के गणमान्य लोग उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि प्रति वर्ष गांधी जयंती पर यह पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। इससे पहले भारत के दो गणमान्य व्यक्तियों धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ऊर्फ बागेश्वर धाम सरकार और गोपाल दास गौर को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है।

डॉ. प्रसाद ने विगत वर्ष में बाढ़ग्रस्त होने के बावजूद राजघाट स्थित गांधी दर्शन परिसर को सुरम्य बनाने से लेकर आगंतुकों को आकर्षित करने तक अनेक कार्य किए हैं। पिछले वर्ष भारत सरकार द्वारा चलाए गए स्वच्छता अभियान 3.0 में संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत देशभर में कार्यरत शीर्ष 10 संस्थानों में गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति का उल्लेखनीय स्थान आया था। यहां विभिन्न कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं और प्रतिमाह भारी संख्या में पर्यटक गांधी दर्शन एवं गांधी स्मृति म्यूजियम में घूमने आते हैं तथा गांधी जी के जीवन दर्शन को नजदीक से अनुभव करके जाते हैं। वहीं दूसरी ओर प्रति माह कई बड़े बड़े कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं।

डॉ प्रसाद की इस उपलब्धि पर 8 अक्टूबर को गांधी दर्शन में एक कार्यक्रम में समिति के कर्मचारियों व कई अन्य गणमान्य लोगों ने उनका अभिनंदन किया।

गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति, नई दिल्ली

‘अंतिम जन’ मासिक पत्रिका

(सदस्यता प्रपत्र)

मैं गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति द्वारा प्रकाशित अंतिम जन मासिक पत्रिका, (हिन्दी) का/की ग्राहक ....वर्ष/वर्षों के लिये बनना चाहता/चाहती हूँ।

	वर्ष	रुपये		वर्ष	रुपये
[ ]	एक प्रति शुल्क	20/-	[ ]	दो वर्ष का शुल्क	400/-
[ ]	वार्षिक शुल्क	200/-	[ ]	तीन वर्ष का शुल्क	500/-

.... बैंक चेक संख्या/डिमान्ड ड्राफ्ट संख्या ....
दिनांक .... राशि .... Director, Gandhi Smriti & Darshan Samiti, New Delhi में देय, संलग्न है।

ग्राहक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में): ....
व्यवसाय : ....
संस्थान : ....
पता : ....
....
पिन कोड : .... राज्य : ....
दूरभाष (कार्यालय) .... निवास .... मोबाईल..............................
ई मेल : ....

हस्ताक्षर ....

कृपया इस प्रोफॉर्मा को भरकर (शुल्क) राशि (चेक/ड्राफ्ट) सहित निम्नलिखित पते पर भेजें :

प्रधान संपादक
‘अंतिम जन’ मासिक पत्रिका
गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति, गांधी दर्शन, राजघाट, नई दिल्ली - 110002

आप हमसे संपर्क कर सकते हैं :- दूरभाष : 011-23392796
ई मेल : antimjangsds@gmail.com, 2010gsds@gmail.com

अगर आप ‘अंतिम जन’ पत्रिका के नियमित पाठक बनना चाहते हैं तो अकाउंट में पेमेंट कर भुगतान की प्रति या स्क्रीनशॉट और अपना पत्राचार का साफ अक्षरों में पता, पिनकोड, मोबाईल नंबर, ईमेल आईडी सहित भेजें।

Name – Gandhi Smriti & Darshan Samiti
A/c No. - 90432010114219
IFSC Code- CNRB0019043
Bank – Canara Bank
Branch – Khan Market, New Delhi-110003

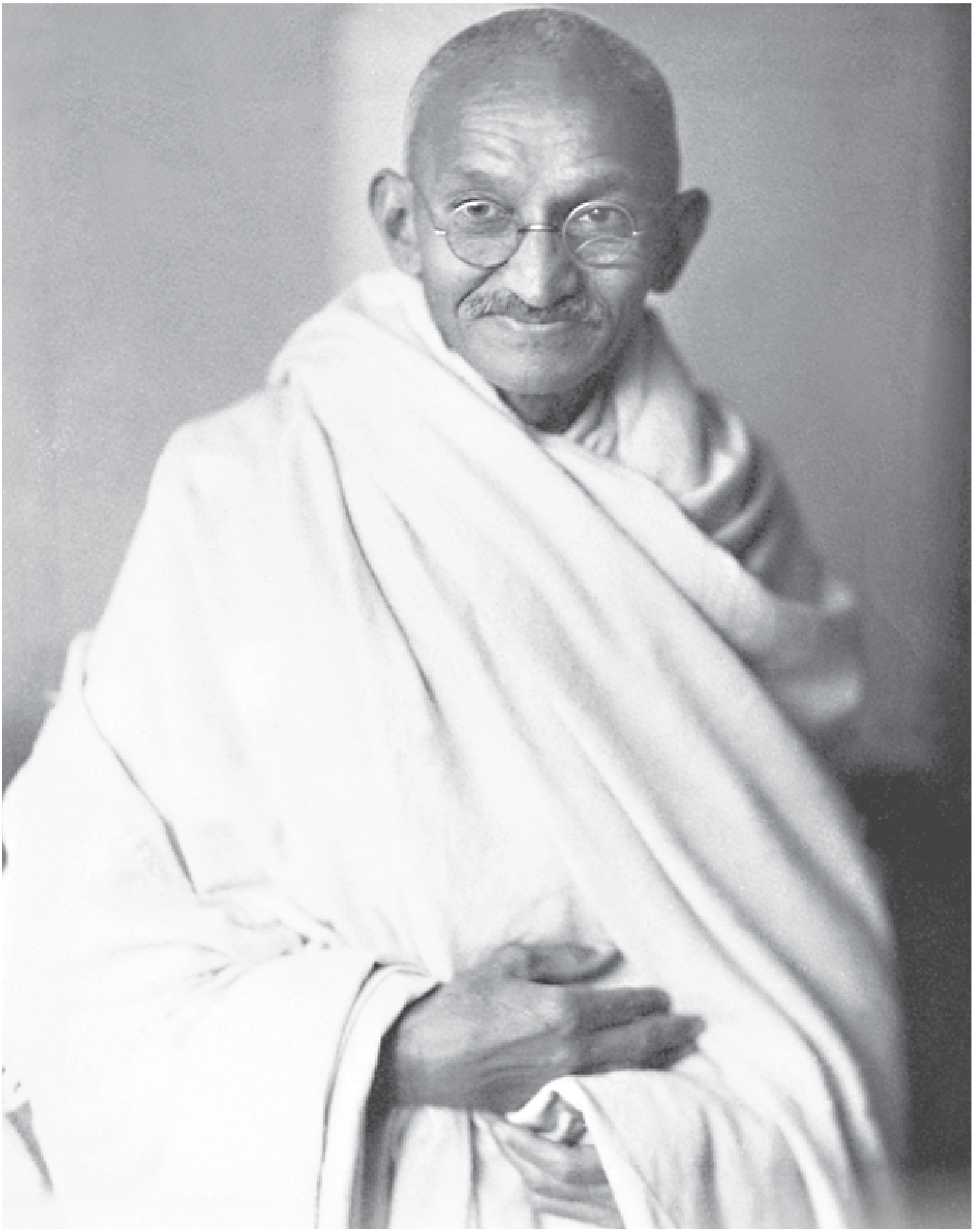

मैं उस रोशनी के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ जो हमारे चारों और व्याप्त अंधकार को मिटा दे। जिन्हें अहिंसा की जीवन्तता में आस्था है वे आएं और मेरे साथ इस प्रार्थना में शामिल हो।

मो.क.गांधी

गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति

हमारे आकर्षण

गांधी स्मृति म्यूजियम (तीस जनवरी मार्ग)

* गांधी स्मृति म्यूजियम
* डॉल म्यूजियम
* शहीद स्तंभ
* मल्टीमीडिया प्रदर्शनी
* महात्मा गांधी के पदचिन्ह
* महात्मा गांधी का कक्ष
* महात्मा गांधी की प्रतिमा
* वर्ल्ड पीस गोंग

गांधी दर्शन (राजघाट)

* गांधी दर्शन म्यूजियम
* क्ले मॉडल प्रदर्शनी
* गांधीजी को समर्पित रेल कोच प्रदर्शनी
* गेस्ट हाउस और डॉरमेट्री (200 लोगों के लिये)
* सेमीनार हॉल (150 लोगों के लिये)
* कॉन्फ्रेंस हॉल (300 लोगों के लिये)
* प्रशिक्षण हॉलः (80 लोगों के लिये)
* ओपन थियेटर
* राष्ट्रीय स्वच्छता केन्द्र
* गेस्ट हाउस और डॉरमेट्री

(डॉ. ज्वाला प्रसाद)
निदेशक

प्रवेश निःशुल्क (प्रातः 10 बजे से सायं 6.30 बजे तक), सोमवार अवकाश

हॉल व कमरों की बुकिंग के लिये संपर्क करें– ईमेलः 2010gsds@gmail.com, 011-23392796

gsdsnewdelhi www.gandhismriti.gov.in

RNI NO. DELHIN/2018/76242

''आप मुझे जो सजा देना चाहते हैं, उसे
कम कराने की भावना से मैं यह बयान नहीं
दे रहा हूँ। मुझे तो यही जता देना है कि
आज्ञा का अनादर करने में मेरा उद्देश्य कानून
द्वारा स्थापित सरकार का अपमान करना
नहीं है, बल्कि मेरा हृदय जिस अधिक बड़े
कानून से-अर्थात अन्तरात्मा की आवाज को
स्वीकार करता है, उसका अनुसरण करना ही
मेरा उद्देश्य है।''

(मोहनदास करमचंद गांधी)

गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति, नई दिल्ली
(एक स्वायत्त निकाय, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार)

प्रकाशक - मुद्रक : स्वामी गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के लिए पोहोजा प्रिंट सोल्यूशंस प्रा. लि., दिल्ली - 110092 से मुद्रित तथा गांधी दर्शन, राजघाट, नई दिल्ली-110092 से प्रकाशित।